VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स Workbook

जनवरी 2025

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

एथिक्स केस स्टडी

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

MCQs

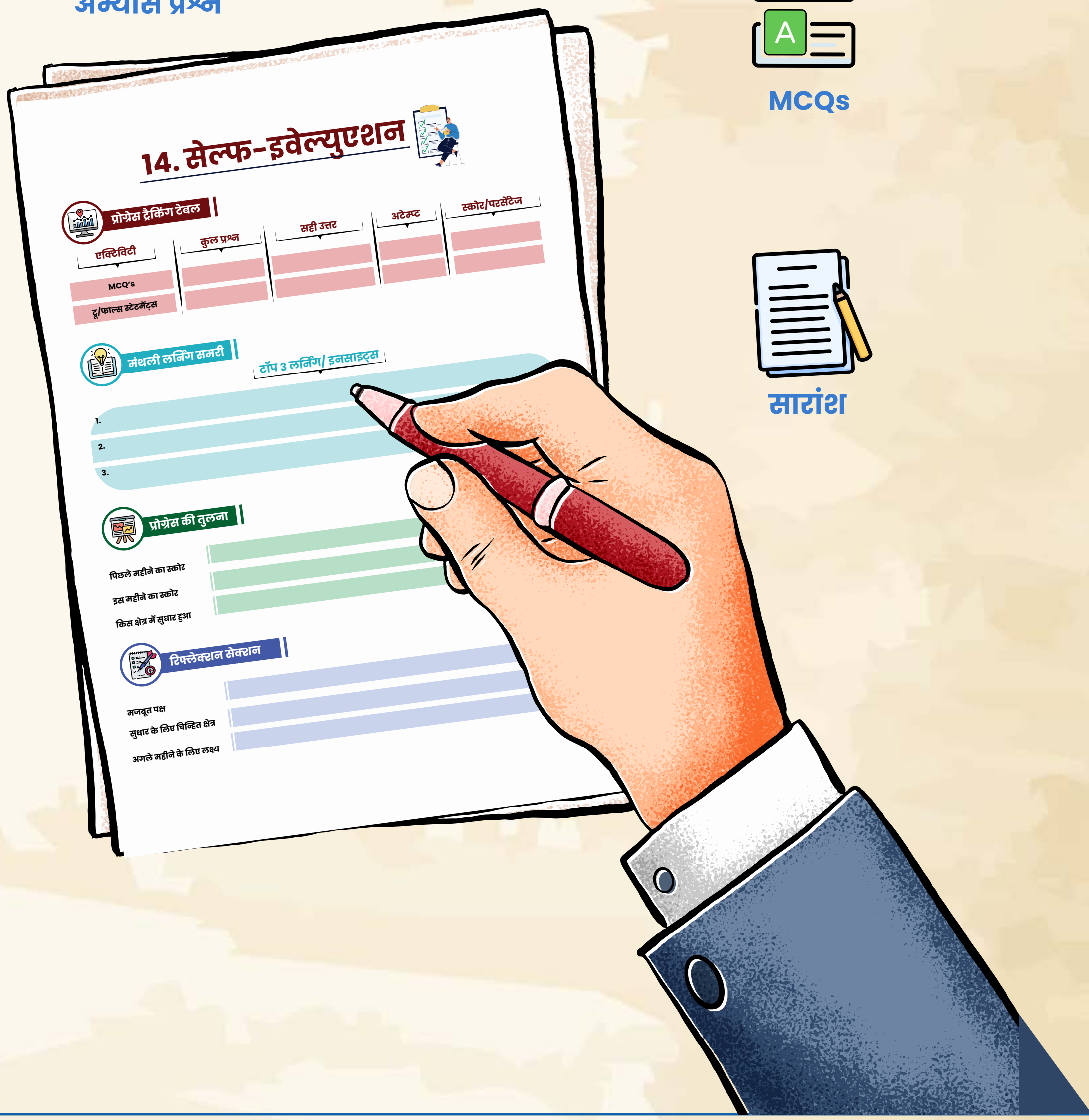

स्मरणीय तथ्य

सारांश

ट्रू/ फाल्स स्टेटमेंट्स

अहमदाबाद | बेंगलूरू | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

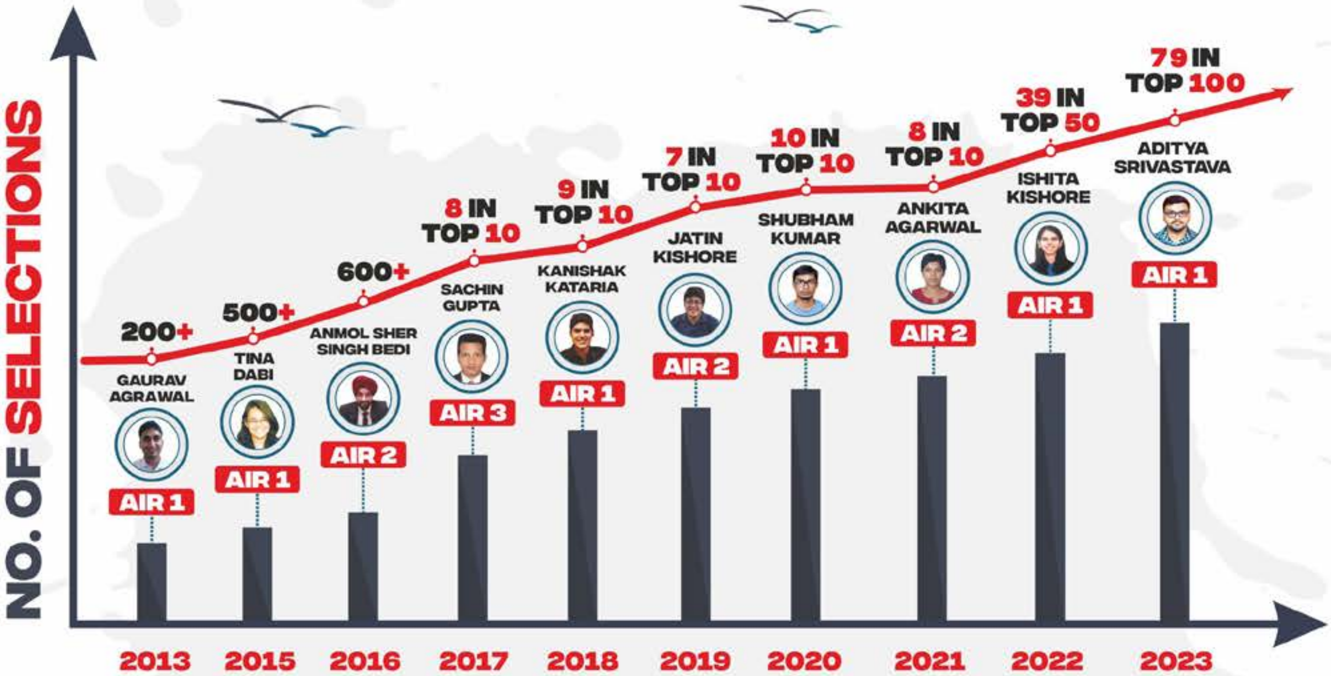

LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 10 APR, 8 AM | 17 APR, 5 PM | 22 APR, 11 AM | 29 APR, 2 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 25 MAR, 8 AM | 17 APR, 6 PM

हिन्दी माध्यम | DELHI: 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 1 APR | BHOPAL: 25 MAR | CHANDIARH: 18 JUN

HYDERABAD: 2 APR | JAIPUR: 5 APR | JODHPUR: 15 APR | LUCKNOW: 9 APR | PUNE: 8 APR

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM | JAIPUR: 10 अप्रैल | JODHPUR: 15 अप्रैल | प्रवेश प्रारम्भ | BHOPAL | LUCKNOW

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन

1.1. सहकारिता 6
1.2. नीति आयोग के 10 वर्ष 8
1.3. लोकपाल और लोकायुक्त 9
1.4. भारतीय निर्वाचन आयोग 10
1.5. इंटरनेट शटडाउन 12
1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 13

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

2.1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय 15
2.2. लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद 16
2.3. जलवायु वार्ताओं में संस्थाओं की भूमिका) 16
2.4. विश्व स्वास्थ्य संगठन 17
2.5. सिंधु जल संधि 18
2.6. ऑकस 19
2.7. क्वाड समूह 19
2.8. भारत-अफगानिस्तान संबंधों में बदलाव 20
2.9. भारत-यूरोपीय संघ संबंध 21
2.10. भारत-इंडोनेशिया संबंध 22
2.11. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 23

3. अर्थव्यवस्था

3.1. रुपये का मूल्यह्रास 25
3.2. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण 25
3.3. WPI के आधार वर्ष की समीक्षा 26
3.4. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 27
3.5. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24 28
3.6. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 28
3.7. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 29
3.8. सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस उपचार' योजना 30
3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 31

4. सुरक्षा

4.1 इंटरपोल 34
4.2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा 35
4.3. तटीय सुरक्षा योजना 36
4.4. दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय) नियम, 2024 37
4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 38

5. पर्यावरण

5.1. वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024) 40
5.2. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए 41
5.3. स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन इंजन 42
5.4. तापीय विद्युत संयंत्र और सल्फर डाइऑक्साइड 44
5.5. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड 44
5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 45

6. सामाजिक मुद्दे

6.1. बढ़ती वैश्विक आर्थिक असमानताओं पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट 53
6.2. भारत का डिजिटल स्वास्थ्य 54
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 55

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

7.1. जीनोम इंडिया परियोजना (GENOME INDIA PROJECT) 56
7.2. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें 57
7.3. तीसरा लॉन्च पैड 58
7.4. स्क्रैमजेट इंजन 59
7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 60

8. संस्कृति

8.1. भारत में लौह युग 64
8.2. भौगोलिक संकेत टैग 65
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 66

9. नीतिशास्त्र

9 .1. मौजूदा दौर की विदेशी सहायता से संबंधित 68

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं

10.1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 70
10.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 70
10.3. सुकन्या समृद्धि योजना 71

11. क्विक फेक्ट्स

12. एक्टिविटी ब्लॉक

12.1. MCQs 77
12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स 79
12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 79
12.4. एथिक्स केस स्टडी 80

13. उत्तर और व्याख्या

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या 81
13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers) 83
13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण . . 83
13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण 85

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

यह वर्कबुक आपको टॉपिक्स के गहन अध्ययन और व्यावहारिक प्रैक्टिस के जरिए न केवल मुख्य अवधारणाओं को समझने, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से अपनी तैयारी में इस्तेमाल करने में भी मदद करेगी। मासिक समसामयिकी डाक्यूमेंट का अध्ययन करने के बाद इस वर्कबुक के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, आप अपने ज्ञान को और बेहतर कर सकेंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास विकसित करेंगे।

इस वर्कबुक में सुर्ख़ियों में रहे महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर तरीके से याद रखा जा सके। उदाहरण के लिए, राजव्यवस्था एवं शासन खंड में, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है, जैसे कि नीति आयोग के 10 वर्ष, भ्रष्टाचार से निपटने में लोकपाल और लोकायुक्तों की भूमिका, और भारतीय निर्वाचन आयोग की 75वीं वर्षगांठ।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले खंड में, कूटनीति के संबंध में भारत की नीतियों को प्रमुखता दी गई है, जिसमें अफगानिस्तान को लेकर भारत का बदलता रुख, सिंधु जल संधि विवाद का समाधान, और यूरोपीय संघ, क्वाड एवं आसियान देशों के साथ भारत का बढ़ता सहयोग आदि शामिल हैं। ये घटनाक्रम भारत के वैश्विक प्रभाव और रणनीतिक प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं।

अर्थव्यवस्था खंड में, रुपये का मूल्यह्रास, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई है, जो भारत के मैक्रोइकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में समझ प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, नीतिशास्त्र और सुर्ख़ियों में रही योजनाएं जैसे अन्य सेक्शन में भी इसी प्रारूप का पालन किया गया है।

वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

1. **मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्ख़ियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।
2. **स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
3. **एक्टिविटी ब्लॉक:**
   - **MCQs:** महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।
   - **ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स:** मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।
   - **मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:** स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।
   - **एथिक्स केस स्टडी:** हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने से संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।
   - **उत्तर और व्याख्या:** इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट्रू/ फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।
4. **प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

नियमित प्रैक्टिस के लिए खुद को समर्पित करें, प्रक्रिया को अपनाएं और इस वर्कबुक को अपनी तैयारी में अपना भरोसेमंद साथी बनाएं। ध्यान, दृढ़ संकल्प और सही टूल्स के साथ, आप न केवल करेंट अफेयर्स में महारत हासिल करेंगे बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वासी भी होंगे।

हार्दिक शुभकामनाएं,
करेंट अफेयर्स टीम,
VisionIAS

"सफलता अंतिम नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती; मायने रखता है आगे बढ़ने का साहस।" – विंस्टन चर्चिल

राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. सहकारिता (COOPERATIVES)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 (IYC 2025)** का उद्घाटन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष (IYC) 2025 के बारे में

- **घोषणा:** जून, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा।
- **थीम:** "सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं"।
- **आयोजक:** सहकारी संस्थाओं के प्रचार और बढ़ावा देने हेतु समिति (COPAC)।

सहकारी समितियां क्या हैं?

- **परिभाषा:** साझा आर्थिक लक्ष्यों वाला एक स्वैच्छिक समूह।
- **उद्देश्य:** आपसी सहायता के माध्यम से सदस्यों, विशेषकर गरीबों की मदद करना।
- **संसाधन:** सदस्य पारस्परिक लाभ के लिए **संसाधनों को एकत्रित** करते हैं।
- **सहकारी आंदोलन:** 1895 में स्थापित एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन, **अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)** द्वारा प्रोत्साहित किया गया।
  - भारत ने नवंबर 2024 में **ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी** की थी। इस सम्मेलन की थीम थी- **"सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है।"** यह थीम **भारत के "सहकार से समृद्धि"** दृष्टिकोण के अनुरूप थी।

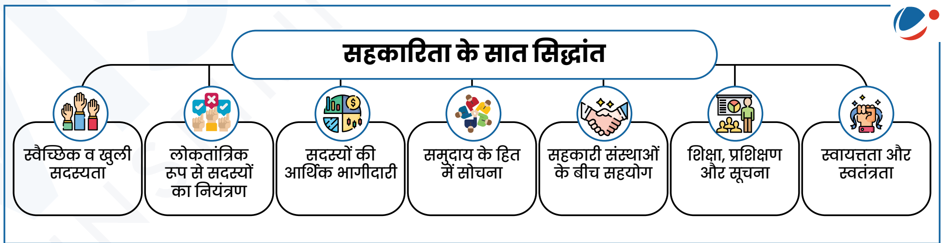

भारत में सहकारी समितियां

- **उत्पत्ति:** भारत में सहकारिता **कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904** के साथ शुरू हुई थी।
- **वर्तमान स्थिति:** विश्व की **27% सहकारी समितियां।**
- **शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्रक:** आवास, डेयरी, और प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS)।
- **अग्रणी राज्य:** महाराष्ट्र (देश की 25% सहकारी समितियां), गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि।
- **संवैधानिक स्थिति:** 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया-
  - **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 19(1)(c) संबंधित है।
  - **राज्य की नीति के निदेशक तत्व: अनुच्छेद 43B** जोड़ा गया।
  - **नया भाग IXB:** अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक।
- **गवर्नेंस संरचना:**
  - **बहु-राज्य सहकारी समितियां: संघ सूची की प्रविष्टि 44** के अंतर्गत तथा **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत शासित।
  - **राज्य सहकारी समितियां: राज्य सूची की प्रविष्टि 32** के अंतर्गत तथा संबंधित **राज्य के सहकारी समिति अधिनियमों** के तहत शासित।

भारत में सहकारिता के प्रकार

- **उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं**- कम मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं, उदाहरण के लिए- **केंद्रीय भंडार, अपना बाजार आदि।**
- **उत्पादक सहकारी संस्थाएं**- संसाधन उपलब्ध करवा कर लघु उत्पादकों की मदद करती हैं, उदाहरण के लिए- **बयानिका, हरियाणा हैंडलूम आदि।**
- **सहकारी ऋण संस्थाएं**- जमा स्वीकार करती हैं तथा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती हैं।
- **सहकारी कृषि संस्थाएं**- संसाधन जुटाकर व लाभ साझा करके किसानों के भू-स्वामित्व को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करती हैं।
- **आवास सहकारी संस्थाएं**- किस्त आधारित भुगतान स्वीकार करके वहनीय आवास उपलब्ध करवाती हैं।
- **विपणन सहकारी संस्थाएं**- किसानों को लाभदायक रूप से बाजार में अपनी उपज बेचने में मदद करती हैं, उदाहरण के लिए- **अमूल (Amul)।**

सामाजिक-आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्त्व

- **सामाजिक सामंजस्य:** उदाहरण के लिए- आवास संबंधी सहकारी समितियां निवासियों को शहरी नीतियों से जोड़ती हैं।
- **समाज को सशक्त बनाना:** समान अधिकार, सौदेबाजी की शक्ति और नेतृत्व विकास।
- **वित्तीय समावेशन:** किसानों के लिए किफायती ऋण।
- **धन संबंधी असमानता को कम करना:** कम ब्याज दरों पर ऋण से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक मदद मिलती है, स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलता है आदि।
- **नैतिक मूल्य:** सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए एकता और विश्वास को बढ़ावा देती हैं।

भारत में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:**
  - **सरकारी हस्तक्षेप:** उधार और निवेश को सीमित करते हैं।
  - **राजनीतिकरण:** शक्तिशाली स्थानीय व्यक्ति प्रबंधन कार्य को नियंत्रित करते हैं।
  - **जागरूकता की कमी:** कई सदस्य सहकारी उद्देश्यों और नियमों से अनजान रहते हैं।
  - **प्रतिद्वंद्विता:** झगड़े सक्रिय भागीदारी को कम करते हैं।
- **सीमित पहुंच और अक्षमता:**
  - **क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में सहकारी समितियां अविकसित हैं।
  - **छोटी समितियां:** सीमित सदस्यता और संसाधनों का अभाव।
  - **एकल-उद्देश्यीय फोकस:** समग्र समाधानों का अभाव।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियां:**
  - **कमजोर लेखा परीक्षा प्रणाली:** अनियमित और अप्रभावी।
  - **समन्वय की कमी:** अलग-अलग स्तरों पर काम करने में विफल रहना।
- **कार्यात्मक कमजोरियां:**
  - **सामाजिक मुद्दे:** प्रबंधकीय और तकनीकी सीमाएं।
  - **कुशल कार्यबल की कमी:** प्रशिक्षण का अभाव।
  - **खराब प्रबंधन:** सीमित करियर विकास।
  - **डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना:** केवल 45% सहकारी सदस्य डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं।

भारत में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलें

संस्थागत समर्थन	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) (1963) सहकारिता मंत्रालय (2021) राष्ट्रीय सहकारिता नीति
कानूनी और गवर्नेंस संबंधी सुधार	बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 PACS के लिए मॉडल उप-नियम
आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास	**विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना:** यह PACS गोदामों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ती है। **मार्गदर्शिका योजना:** इसका लक्ष्य 2 लाख नवीन सहकारी समितियों की स्थापना करना है। **महिला सशक्तीकरण हेतु 'श्वेत क्रांति 2.0' के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs):** इसका लक्ष्य 2029 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर 1,000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना।
प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन	**राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD):** सहकारी समितियों पर डेटा। **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (NUCFDC):** यह शहरी सहकारी बैंकों को विनियमित करता है। **'सहकारी समितियों के बीच सहयोग' के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं:** बैंक खाते खोलने की सुविधा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना

- **संरचनात्मक सुधार:** कमजोर समितियों का विलय।
- **परिचालन दक्षता में सुधार:** पेशेवर प्रबंधक, ऋणों को सरल बनाना, समन्वय को बढ़ाना आदि।
- **क्षमता निर्माण:** कौशल विकास और डिजिटलीकरण।
- **जन जागरूकता और शिक्षा।**
- **विधायी और गवर्नेंस संबंधी सुधार:** सहकारी बैंकिंग के लिए **नरसिम्हम समिति** की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।
- **पारदर्शिता:** सहकारी समितियों को RTI अधिनियम के तहत लाना, कदाचार की जांच के लिए CBI एवं CVC की जांच प्रक्रिया को लागू करना, पेशेवर दृष्टिकोण के लिए मजबूत ऑडिट प्रणाली आदि।

1.2. नीति आयोग के 10 वर्ष (10 YEARS OF NITI AAYOG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

1 जनवरी, 2025 को नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने अपना **दसवां स्थापना दिवस** मनाया।

नीति आयोग के बारे में

- नीति आयोग सरकार का एक **सलाहकार निकाय (थिंक-टैंक)** है। इसे **केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत स्थापित** किया गया है। इसने **पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान** लिया है।
  - यह **न तो संवैधानिक और न ही सांविधिक** निकाय है।
- **कार्य:**
  - भारत में **SDGs** को हासिल करने की निगरानी करना;
  - **प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देना आदि।
- **संरचना**
  - **अध्यक्ष:** भारत का **प्रधान मंत्री।**
  - **शासी परिषद:** प्रधान मंत्री, सभी राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री (पदेन सदस्य) (प्रधान मंत्री द्वारा नामित), उपाध्यक्ष (प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त), पूर्णकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य (प्रधान मंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ)।
  - **क्षेत्रीय परिषदें:** अस्थायी, प्रधान मंत्री द्वारा आहूत बैठक में संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होते हैं।
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्ति, सचिव रैंक का अधिकारी व निश्चित कार्यकाल।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - ग्राम स्तर की योजनाएं विकसित करना, **कमजोर वर्गों** पर ध्यान केंद्रित करना;
  - राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक नीति में **एकीकृत** करना;
  - **ज्ञान, नवाचार व उद्यमशीलता प्रणालियों** का निर्माण करना;
  - **अंतर-क्षेत्रीय/ विभागीय मुद्दों** का समाधान करना आदि।
- **अन्य विशेषताएं:**
  - **विकास निगरानी एवं मूल्यांकन संगठन (DMEO), अटल नवाचार मिशन (AIM),** आदि द्वारा समर्थन प्राप्त।
  - **गतिविधियां:** नीति और कार्यक्रम फ्रेमवर्क; सहकारी संघवाद; निगरानी एवं मूल्यांकन; थिंक-टैंक एवं नवाचार केंद्र।

नीति आयोग की उपलब्धियां

- **सहकारी संघवाद में वृद्धि:** केंद्र और राज्यों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए- **'टीम इंडिया हब'।**
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत किया:** सूचकांक के माध्यम से। उदाहरण के लिए- राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक आदि।
- **नीतिगत सलाह:** वित्तीय आवंटन केंद्रित नीति से हटकर, विकेंद्रीकृत शासन दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए- राज्यों में **स्टेट इंस्टीट्यूशन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (SITs)** की स्थापना।
- **नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया:** अटल इनोवेशन मिशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब आदि के माध्यम से।
- **क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप:** उदाहरण के लिए- **उत्तर पूर्व के लिए नीति फोरम,** सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन (SATH-E) पहल, पोषण अभियान, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आदि।
- **SDGs की निगरानी:** कार्यक्रमों को लक्ष्यों के साथ समन्वित करता है। उदाहरण के लिए- SDG इंडिया इंडेक्स।

चुनौतियां: बजटीय बाधाएं, अंतर्राज्यीय असमानता, मंत्रालयों की ओवरलैपिंग भूमिकाएं, क़ानूनी दर्जे का अभाव, गैर-बाध्यकारी सिफारिशें।नीति आयोग की पहलें, रिपोर्ट्स और सूचकांक

मुख्य पहलें	हालिया रिपोर्ट्स	सूचकांक
अटल नवाचार मिशन	सेफ (SAFE) एकोमोडेशन	SDG इंडिया इंडेक्स
नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म	घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाना	संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	खाद्य तेलों की वृद्धि को गति देने हेतु मार्ग	राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
महिला उद्यमशीलता प्लेटफॉर्म	साथ-ई (SATH-E) रिपोर्ट	भारत नवाचार सूचकांक

निष्कर्ष

- नीति आयोग ने **संघवाद, नियोजन और नवाचार** के माध्यम से नीतियों को प्रभावित किया है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। नीति आयोग को बेहतर राज्य-केंद्र समन्वय बनाने हेतु अधिक स्वायत्तता, संसाधन और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है।

1.3. लोकपाल और लोकायुक्त (Lokpal and Lokayukta)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जनवरी, 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना **पहला स्थापना दिवस** मनाया। भारत का लोकपाल एक **भ्रष्टाचार-रोधी वैधानिक निकाय** है। इसे **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के तहत स्थापित किया गया है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के बारे में

- यह लोक पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने हेतु **संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त** का प्रावधान करता है।
- **2016 का संविधान संशोधन: सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता लोकपाल चयन समिति** का सदस्य होगा।
  - परिसंपत्तियों/ देयताओं के प्रकटीकरण के लिए **धारा 44** में संशोधन किया गया।

लोकपाल के बारे में

- **संरचना: एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक** होते हैं।
  - लोकपाल के **आधे सदस्य SC/ ST/ OBC व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं** में से होंगे।
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक।
- **लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति:** राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर। **समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं**-
  - प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता/ लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, CJI/ नामित न्यायाधीश, तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद्।
- **क्षेत्राधिकार: प्रधान मंत्री** (परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा आदि के मामलों को छोड़कर), **मंत्री, MPs, ग्रुप A, B, C और D के केंद्र सरकार अधिकारी।**
- **शक्तियां:** CVC से रिपोर्ट प्राप्त करना, दिशा-निर्देश जारी करना, पूछताछ के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां आदि।

लोकायुक्त के बारे में

- **राज्यों द्वारा कानून** पारित करके।
- लोकायुक्तों की संरचना, पात्रता, कार्यकाल आदि **अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न** होते हैं।

लोकपाल के लिए पात्रता मानदंड

- **अध्यक्ष:** वर्तमान या सेवानिवृत्त CJI / सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या कोई प्रख्यात व्यक्ति।
- **न्यायिक सदस्य:** सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश/ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
- **अन्य सदस्य:** प्रख्यात व्यक्ति- भ्रष्टाचार-रोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता आदि में 25 वर्षों का अनुभव वाला व्यक्ति।
- **आयु:** न्यूनतम 45 वर्ष।
- **अयोग्य व्यक्ति**
  - **राजनीतिक संबद्धता-** MP या राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश का विधायक या किसी पंचायत/ नगरपालिका का सदस्य।
  - **बर्खास्तगी:** केंद्र या राज्य सरकार की सेवा से हटाया या बर्खास्त किया गया व्यक्ति।
  - **लाभ का पद:** ऐसा व्यक्ति, जो किसी लाभ या विश्वास के पद पर हो या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो।
  - **अपराध:** नैतिक भ्रष्टाचार सहित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति।

लोकपाल/ लोकायुक्त से जुड़ी समस्याएं

- **शिकायतकर्ता की सुरक्षा:** व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए कमजोर रक्षोपाय।
- **अपील के लिए अपर्याप्त प्रावधान।**
- **राजनीतिक पूर्वाग्रह:** समिति के राजनीतिक सदस्य लोकपाल को प्रभावित करते हैं। **'प्रख्यात न्यायविद' को परिभाषित नहीं** किया गया है।
- **प्रधान मंत्री को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाना:** जांच से नेतृत्व क्षमता कमजोर हो सकती है।
- **अधिनियम की अन्य कमियां:** संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, विलंब, शिकायत करने की सीमा 7 वर्ष आदि।

आगे की राह

- **द्वितीय ARC की सिफारिशें:** प्रधान मंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- **संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्वायत्तता** प्रदान करना।
- जवाबदेह निकायों में **सत्ता का विकेन्द्रीकरण।**
- **11वां अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन (2012):** नोडल शिकायत एजेंसी के रूप में लोकायुक्त, राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर क्षेत्राधिकार, नौकरशाहों को लोकायुक्त के दायरे में लाना आदि।

निष्कर्ष

पब्लियस कोर्नेलियस टेकिटस: "जितना भ्रष्ट राज्य होगा, उतने ही अधिक कानून बनाए जाएंगे।" इसलिए मौजूदा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से नए कानूनों की जरूरत नहीं होगी।

1.4. भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ECI ने अपनी **स्थापना के 75वें वर्ष का जश्न** मनाया। **25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस** भी मनाया गया।

ECI के बारे में

- **उत्पत्ति:** ECI **25 जनवरी, 1950** को स्थापित एक **स्थायी संवैधानिक निकाय** है।
- वर्ष 2011 से हर साल **25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस** मनाया जाता है।
- **संवैधानिक प्रावधान: भाग XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक।**
- **वैधानिक प्रावधान:** "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023" नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल को शासित करता है।
- **मुख्य भूमिका:** लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन।
- **ECI की संरचना:** एक **मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)** एवं दो **निर्वाचन आयुक्त (EC)**।

ECI के मुख्य कार्य: चुनाव प्रबंधन, मतदाता सूची तैयार करना, आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू करना आदि।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 (1991 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया) के प्रमुख प्रावधान

विशिष्टता	विवरण
योग्यता	CEC/ ECs योग्यता: भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या रह चुका हो। ईमानदारी और चुनावों का अनुभव हो।
खोज समिति	कानून और न्याय मंत्री (अध्यक्ष), दो वरिष्ठ सदस्य। 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार करना।
चयन समिति	प्रधान मंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा में विपक्ष का नेता, और कैबिनेट मंत्री। राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करना।
कार्यकाल	6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (CEC और EC दोनों के लिए)। पुनर्नियुक्ति नहीं।
वेतन और अन्य लाभ	सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर
त्याग-पत्र और निष्कासन	राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र दे सकते हैं। पद से हटाना- CEC: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह तथा ECs: CEC की सिफारिश पर।
कानूनी संरक्षण	आधिकारिक कर्तव्यों के लिए सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही से संरक्षित।

ECI के समक्ष चुनौतियां

- **पूर्ण स्वायत्तता की कमी:**
  - **चयन प्रक्रिया:** सरकारी प्रतिनिधियों के बहुमत वाली समितियां पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं।
  - **ECs को पद से हटाना:** ECs को CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
  - **सेवानिवृत्ति के बाद का नियोजन:** सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद पर नियुक्ति को लेकर अधिनियम मौन है।
- **परिचालन संबंधी मुद्दे:**
  - **सीमित शक्तियां:** ECI राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता।
  - **मतदाता सूची प्रबंधन:** डुप्लीकेट एंट्री, गलत विवरण और पात्र मतदाताओं का सूची से बाहर होना जैसी समस्याएं।
  - **चुनावी कदाचार:** धनबल और बूथ कैप्चरिंग जैसे मुद्दे निष्पक्ष चुनावों को बाधित करते हैं।
  - **वोटर टर्नआउट:** 30 करोड़ से अधिक मतदाता अक्सर आंतरिक प्रवास के कारण मतदान नहीं कर पाते हैं।
  - **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है।
- **उभरती हुई चुनौतियां:**
  - **गलत सूचना:** फेक न्यूज़ और डीपफेक स्वतंत्र चुनावों को बाधित कर रहे हैं।

ECI की प्रमुख पहलें:

- **EVM:** 1977 में संकल्पना की गई थी। चुनावों को आधुनिक बनाने के लिए 1982 में प्रायोगिक परीक्षण किया गया था।
- **व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP):** मतदाता साक्षरता के लिए 2009 में शुरू हुआ था।
- **cVIGIL ऐप:** MCC के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए 2018 में शुरू किया गया था।
- **VVPAT:** इसे चुनावों में पारदर्शिता बढ़ावा देने के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था।
- **राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (NERPAP):** त्रुटि-मुक्त मतदाता सूचियां बनाने के लिए 2015 में शुरू किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** ECI **एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-WEB) स्टॉकहोम और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क (CEN)** का संस्थापक सदस्य है।

ECI के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आगे की राह

- **स्वायत्तता:**
  - **नियुक्तियां:** अनूप बर्णवाल मामले में कॉलेजियम (प्रधान मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और CJI) पर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का उपयोग करना चाहिए।
  - **ECs के लिए सुरक्षा:** ECs को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी होनी चाहिए (255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट)।
  - **सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं:** ECs के लिए CEC बनने की पात्रता बनी रह सकती है (दिनेश गोस्वामी समिति, 1990)।
  - **सचिवालय:** एक **स्थायी सचिवालय** होना चाहिए (255वें विधि आयोग की रिपोर्ट)।
- **परिचालन:**
  - **MCC को कानूनी रूप देना:** वैधानिक समर्थन देकर इसका अनुपालन करना चाहिए।
  - **भागीदारी: रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVM)** का संचालन किया जाना चाहिए।
  - **एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र** तक सीमित करना चाहिए।
- **उभरती चुनौतियां:**
  - **तकनीक:** हेट स्पीच/ डीपफेक का पता लगाने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए।
  - **फर्जी मतदान:** आधार से जुड़े मतदाता पहचान-पत्रों के साथ चेहरे की पहचान को एकीकृत करना चाहिए।
  - चुनाव संबंधी शोध के लिए **चुनावी शोध केंद्र** स्थापित करने चाहिए।

Agartala | Agra | Ahmedabad | Aizawl | Ajmer | Aligarh | Amritsar | Ayodhya | Bareilly | Bathinda | Bengaluru | Bhilai | Bhopal | Bhubaneswar | Bikaner | Bilaspur | Chandigarh | Chennai Chhatarpur | Chhatrapati Sambhaji Nagar | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Dhanbad | Dharamshala | Dharwad | Durgapur | Faridabad | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Gorakhpur Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Hisar | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jammu | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur Kanpur | Kochi | Kohima | Kolkata | Kota | Kozhikode | Kurukshetra | Leh | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Meerut | Moradabad | Mumbai | Muzaffarpur | Mysuru | Nagpur | Nashik | Navi Mumbai | Noida | Orai | Panaji | Panipat | Patiala | Patna | Prayagraj | Puducherry | Pune | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rohtak | Roorkee | Sambalpur | Shillong | Shimla | Siliguri | Srinagar | Surat Thane | Thiruvananthapuram | Tiruchirappalli | Tirupati | Udaipur | Vadodara | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam | Warangal

1.5. इंटरनेट शटडाउन (INTERNET SHUTDOWN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के **इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर** के अनुसार, भारत में 2024 में 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन किया गया था। यह पिछले आठ सालों में सबसे कम था। 2023 में यह संख्या 96 थी। इसका कारण मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में कम इंटरनेट शटडाउन होना है।

भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रावधान

- **CrPC, 1973:** 2017 तक, CrPC की धारा 144 (अब BNSS की धारा 163) के तहत लागू।
  - जिला मजिस्ट्रेट को गैर-कानूनी सभा/ गतिविधियों पर अंकुश लगाने की अनुमति है।
- **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (2017 में संशोधित):** 2017 में संशोधित किए गए नियमों के अनुसार 15 दिन तक इंटरनेट बंद करने की अनुमति है।
  - **आधार:** 'लोक आपात'/ 'लोक सुरक्षा' (परिभाषित नहीं किया गया)।
  - **प्राधिकारी:** संघ/ राज्य का गृह सचिव।
  - **समीक्षा:** 5 दिनों के भीतर कैबिनेट सचिव/ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा।
- **अनुच्छेद 19(2):** राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि के आधार पर बोलने व अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध।

इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क	इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क
• **सुरक्षा:** उदाहरण- जम्मू व कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शटडाउन से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद मिली थी। • **सांप्रदायिक हिंसा:** उदाहरण- 2023 में मणिपुर, हरियाणा में शटडाउन से हिंसा से निपटने में मदद मिली थी। • **गलत सूचना:** उदाहरण- 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान गलत सूचना को रोका गया था। • **कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना:** उदाहरण-CAA और कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान शटडाउन किया गया था। • **परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए:** उदाहरण- राजस्थान में REET, 2021 परीक्षा में शटडाउन किया गया था।	• **आर्थिक नुकसान:** 2023 की पहली छमाही में लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का आर्थिक व 118 मिलियन डॉलर को विदेशी निवेश नुकसान हुआ था। → **2020 में:** 129 बार शटडाउन के कारण भारत को 2.8 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और 10.3 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। → एक दिन में 379 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। • **मानवाधिकार:** महिलाएं अपराधों की रिपोर्ट नहीं कर पाती। • **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रतिबंधित होता है। • **प्रेस की स्वतंत्रता:** उदाहरण- 2019 में जम्मू और कश्मीर में पत्रकारिता प्रभावित हुई थी। • **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान:** ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन आदि बाधित होती हैं।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:

- **फ़हीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामला:** केरल हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत **इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार** माना।
- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला:** सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें (रिपोर्ट: 'दूरसंचार सेवाओं/ इंटरनेट का निलंबन और इसका प्रभाव', 2021)

- **सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियां:** दूरसंचार विभाग (DoT) को अन्य लोकतांत्रिक देशों में इंटरनेट शटडाउन पर अध्ययन करना चाहिए व पद्धतियां अपनानी चाहिए।
- **निलंबन के आधार:** इंटरनेट शटडाउन के औचित्य के लिए मापदंडों व तंत्र को संहिताबद्ध करना चाहिए।
- **आनुपातिकता:** दूरसंचार विभाग व गृह मंत्रालय को आनुपातिकता के नियम और शटडाउन हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए।
- **समीक्षा समिति:** तीन सदस्यीय समीक्षा समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सार्वजनिक सदस्यों को शामिल करना चाहिए।
- **चुनिंदा प्रतिबंध:** दूरसंचार विभाग को सीमित प्रतिबंध लगाने की नीति तैयार करनी चाहिए।
- **शटडाउन की प्रभावशीलता:** दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय द्वारा लोक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने में शटडाउन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

1.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

1.6.1. 'न्याय तक पहुंच का अधिकार' निरपेक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट (RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE NOT ABSOLUTE: SUPREME COURT)

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **'न्याय प्राप्ति के लिए अदालत की शरण लेने का अधिकार' हमारे लोकतंत्र की आधारशिला** है। सुप्रीम कोर्ट ने एक **याचिकाकर्ता द्वारा कई निराधार मुकदमे दायर करने के पर जुर्माना** लगाया और कहा कि ऐसे मुकदमें न्यायिक व्यवस्था पर बोझ बढ़ाते हैं।

- **निराधार मुकदमे:** ये ऐसे मुकदमे होते हैं, जिनमें **कानून या तथ्य के मामले में कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं होता है।** इनका उद्देश्य किसी को परेशान करना अथवा न्यायिक प्रक्रिया में देरी उत्पन्न करना होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को **सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ (2014)**, **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010)** जैसे मामलों में उठाया था।

'न्याय तक पहुंच का अधिकार' के बारे में

- **अर्थ: विधि के शासन** का सिद्धांत पीड़ित लोगों को **न्यायिक संस्थानों** के जरिये **अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने में** सक्षम बनाता है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने **अनिता कुशवाहा बनाम पुष्पा सूदन (2016)** मामले में निर्णय दिया था कि 'न्याय तक पहुंच का अधिकार' **अनुच्छेद 14** और **अनुच्छेद 21** के तहत एक **मौलिक अधिकार** है।
- **अनिवार्य घटक:**
    - **न्याय-निर्णय तंत्र:** अदालत व अधिकरण।
    - **वहनीय न्याय-व्यवस्था:** कम खर्चीली व गरीबों के लिए सहायता।
    - **तीव्र न्याय-व्यवस्था:** शीघ्र व तीव्र सुनवाई।
    - **सुलभता:** पदानुक्रम और अदालत का कम दूरी पर होना।

अन्य प्रावधान/तंत्र

- **संवैधानिक प्रावधान**
    - संविधान की **प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख** है।
    - अनुच्छेद 39A (निःशुल्क कानूनी सहायता), अनुच्छेद 32 और 226 (उपाय और रिट)।
- **जनहित याचिका (PIL): लोकस स्टैंडी** के नियम को उदार बनाया गया है।
- **वैकल्पिक विवाद-निवारण तंत्र (ADR):** कम खर्चे में और कम औपचारिक प्रक्रिया द्वारा शिकायत का समाधान करना।

1.6.2. डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (दिशा/ DISHA) योजना {DESIGNING INNOVATIVE SOLUTIONS FOR HOLISTIC ACCESS TO JUSTICE (DISHA) SCHEME}

दिशा योजना के तहत **"हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान"** आयोजित किया गया। इसे **भारत के संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ और गणराज्य के रूप में स्थापना** के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है।

दिशा (DISHA) योजना के बारे में

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत **2021 में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग** ने की थी। इसे **2021-2026** के लिए शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:** भारतीय संविधान की **प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A, 14 और 21 के अनुसार "न्याय"** सुनिश्चित करना।
- **अन्य उद्देश्य: टेली-लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज (न्याय बंधु) तथा कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों** के लाभों को अधिक लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना।

1.6.3. जेल मैनुअल और सुधार सेवा अधिनियम में संशोधन (AMENDMENT TO PRISON MANUAL AND CORRECTIONAL SERVICES ACT)

गृह मंत्रालय ने देश की जेलों में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए **मॉडल जेल मैनुअल, 2016 के नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023** में संशोधन किया।

भारत में जेल

- **गवर्नेंस:** "**सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत 'राज्य सूची'** का विषय है।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** जेल अधिनियम, 1894
- **सुधार:** आदर्श जेल अधिनियम, 2023

- ये संशोधन **सुकन्या शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, जातिगत भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश** के अनुपालन में किए गए हैं।
    - सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में **"आदतन अपराधियों"** की परिभाषा संबंधित राज्य के कानून के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे अपराधी वे होते हैं, जिन्हें पांच वर्षों में कई बार दोषी ठहराया गया हो और अपील पर भी सजा बरकरार रहे।

किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

- **जेल प्राधिकारी जातिगत आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव की अवश्य रोकथाम करेंगे।** इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों या काम का आवंटन भी शामिल है।
  - जातिगत भेदभाव **अनुच्छेद 14** (कानून के समक्ष समानता), **अनुच्छेद 15** (भेदभाव का निषेध), **अनुच्छेद 17** (अस्पृश्यता का उन्मूलन), आदि के तहत **निषिद्ध** है।
- **'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'** जेलों पर **बाध्यकारी** है।
  - जेलों में **हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं** है।

1.6.4. विलय का सिद्धांत (Doctrine of Merger)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान **'विलय के सिद्धांत'** को रेखांकित किया।

'विलय के सिद्धांत' के बारे में

- सुप्रीम कोर्ट ने **'कुन्ह्याम्मद बनाम केरल राज्य, 2000' मामले** में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी।
- इसके अनुसार, **एक समय में एक ही विषय पर एक से अधिक डिक्री या आदेश लागू नहीं** हो सकते।
- इसलिए, जब एक उच्चतर न्यायालय, किसी अधीनस्थ अदालत के आदेश, डिक्री, या निर्णय को रद्द, संशोधित, या पुष्टि करते हुए निपटारा करता है, तो **निचली अदालत के आदेश का अस्तित्व समाप्त** हो जाता है और वह उच्चतर न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है।

1.6.5. CBI के लिए राज्य की सहमति (STATE CONSENT FOR CBI)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को किसी राज्य में कार्यरत **किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।**

- इसने **आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया,** जिसमें राज्य की सहमति न मिलने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया था।

CBI के लिए राज्य की सहमति के बारे में

- **कानून: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6** के अनुसार CBI को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमति लेना अनिवार्य है।
- **सहमति के दो प्रकार हैं:** सामान्य सहमति, और मामला-विशिष्ट सहमति।

1.6.6. पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 (PANCHAYAT SE PARLIAMENT 2.0)

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने **पंचायत से पार्लियामेंट 2.0** का उद्घाटन किया।

पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय महिला आयोग और लोक सभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग** से आयोजित किया गया है।
- इसका उद्देश्य **पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों** को सशक्त बनाना है। साथ ही, उन्हें **संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं, और शासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व** के लिए प्रेरित भी करना है।

1.6.7. 'विकसित पंचायत कर्मयोगी' पहल ('VIKSIT PANCHAYAT KARMAYOGI' INITIATIVE)

हाल ही में, केंद्रीय **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर 'विकसित पंचायत कर्मयोगी'** पहल शुरू की।

- **पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती** के उपलक्ष्य में **प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस** मनाया जाता है।

विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के बारे में

- **उद्देश्य: प्रभावी गवर्नेंस और योजना निर्माण** के लिए आवश्यक साधन एवं ज्ञान प्रदान करके **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता बढ़ाना।**
- यह पहल **'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान** का भाग है।
- यह कार्यक्रम **विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर निर्णय लेने को बढ़ावा** देता है।

1.6.8. वेतन आयोग (Pay Commission)

केंद्र सरकार ने **आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी** दी।

वेतन आयोग के बारे में

- **गठन:** केंद्र सरकार द्वारा।
- 1947 से अब तक **7 वेतन आयोग गठित** किए जा चुके हैं।
  - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें **2016** में लागू हुई थीं। इसका कार्यकाल **2026 में पूरा होने वाला** है।
  - सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष **न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर** थे।
- **महत्त्व:** इसकी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ग्रेड, भत्ते और अन्य लाभ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

1.6.9. एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर (EDELMAN TRUST BAROMETER)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक शुरू होने से पहले वार्षिक **एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर** जारी किया गया।

- इसे **एडेलमैन ट्रस्ट** ने जारी किया है। यह सर्वेक्षण **28 देशों** में किया गया है। यह **सरकार, मीडिया, व्यवसाय और गैर-सरकारी संगठनों पर लोगों के विश्वास (ट्रस्ट) के प्रभाव** का अध्ययन है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- कम-आय वाले आबादी समूह के लोगों के सरकार, व्यवसाय, मीडिया आदि पर **विश्वास** के मामले में भारत **तीसरे स्थान** पर है। **प्रथम दो स्थानों पर क्रमशः चीन और इंडोनेशिया हैं।**
- **उच्च आय वर्गों के विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान** पर है।
- जब **अन्य देशों में भारतीय मुख्यालय वाली (भारत की) कंपनियों पर विश्वास की बात आती है, तो भारत 13वें स्थान** पर है।

2.1. संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय (USA'S PROTECTIONIST MEASURES)

सुर्खियों में क्यों?

USA ने अपनी **'अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी'** का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), पेरिस समझौते और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसी **प्रमुख वैश्विक संस्थाओं/ व्यवस्थाओं से अलग होने** का फैसला किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- USA **2017 में पेरिस समझौते से भी बाहर** हो गया था, लेकिन **2021** में इसमें फिर से शामिल हो गया था। इसी तरह इसने **2020 में WHO की सदस्यता त्यागने** की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि, 2021 में इसमें फिर से शामिल हो गया था।
- व्यापार घाटा कम करने के लिए अमेरिका की ओर से **टैरिफ वॉर (प्रशुल्क युद्ध)** भी जारी है।
- इन संरक्षणवादी उपायों को **आर्थिक राष्ट्रवाद** के विचार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

अमेरिका द्वारा पूर्व में अपनाए गए संरक्षणवादी उपाय

- **वैश्विक संस्थानों से अलग होना**
    - **यूनेस्को** (2017 में अलग हुआ, 2023 में पुन: शामिल हुआ);
    - **TPP समझौता (2017 में अलग हुआ)** आदि।
- **WTO के विवाद निपटान निकाय के अपीलीय निकाय** में नियुक्तियों को बाधित करके उसे निष्क्रिय बना दिया है।
- **NAFTA** 2020 में समाप्त हो गया था। इसकी जगह **संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA)** ने ले ली है।

संरक्षणवाद (PROTECTIONISM

परिभाषा और प्रकार
संरक्षणवादी नीतियां अपनाकर कोई देश विकास कर रहे अपने घरेलू उद्योगों को विदेशों की बड़ी और स्थापित कपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाता है।

टैरिफ	कोटा	सब्सिडी
(आयात पर कर/ शुल्क लगाना)	(आयात की मात्रा सीमित/ निर्धारित करना)	(घरेलू उत्पादकों के लिए नेगेटिव टैक्स)

लाभ	नुकसान
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है बाजार में स्थानीय उद्योगों, विशेषकर MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जाता है।	**तकनीकी प्रगति में बाधा आती है** वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण घरेलू उत्पादकों को नवाचार करने और अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है।
व्यापार संतुलन बनाए रखता है और व्यापार घाटे को कम करता है आयात के जरिये देश में किसी अन्य देश के सस्ते माल की डंपिंग से सुरक्षा करता है।	**ग्राहकों के लिए विकल्प सीमित हो जाता है और उनके लिए लागत बढ़ जाती है** घरेलू बाजार में वैश्विक कंपनियों का प्रवेश मुश्किल हो जाने की वजह से।
स्थानीय कार्यबल के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है आप्रवासियों पर प्रतिबंध के जरिये	**संसाधनों का अनुचित आवंटन** नवाचार हेतु उपायों की कमी के कारण उत्पादन और श्रम की दक्षता कम होती है।
न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा विकासशील देशों के लिए मुक्त बाजार एवं उच्च मजदूरी वाले विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान हो जाता है।	**टैरिफ का अधिक प्रभावी न होना** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़े होने के कारण उद्योगों को दीर्घकालिक रूप से नुकसान हो सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के नए कदम के संभावित प्रभाव

- **बहुपक्षवाद/ बहुपक्षीय संस्थाओं पर प्रभाव**
    - **वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो सकती है:** अमेरिका का **'अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति संप्रभुतावादी विचार'** बहुपक्षीय संस्थाओं के मानदंड संबंधी प्राधिकार को तेजी से कमजोर कर सकता है।
    - **वैश्विक अनुसंधान के समक्ष खतरा उत्पन्न** हो सकता है।
    - **वित्त-पोषण:** अमेरिकी फंड रुकने से **विकास और आपातकालीन कार्य प्रभावित होंगे।**
        - उदाहरण के लिए - 2022-2023 में **WHO के कुल राजस्व का 15.6% अमेरिकी अंशदान से आया** था।
    - **पर्यावरण पर प्रभाव:** अमेरिकी नीति **'साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)** के सिद्धांत के खिलाफ है।
    - **वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान** उत्पन्न हो सकता है।

भारत-USA सहयोग पर प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** USA और चीन के बीच व्यापार तनाव (IT सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स व फार्मास्यूटिकल्स) तथा **हिंद-प्रशांत भागीदारी {क्वाड, IMEC और IPEF)** की वजह से विश्व के निवेशक भारत में अपनी विनिर्माण गतिविधियां स्थापित कर सकते हैं। चीन को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, **iCET** और असैन्य परमाणु ऊर्जा साझेदारी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा।
- **नकारात्मक प्रभाव:** भारतीय निर्यातकों को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, अमेरिकी टैरिफ (45.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा), H1-B वीजा प्रतिबंधों से भारतीय तकनीकी कर्मचारी (70% वीजा) प्रभावित हो सकते हैं। **'बाय अमेरिकन'** नीति भारत से निर्यात को प्रभावित कर रही है। इससे **मेक इन इंडिया पहल** पर भी असर पड़ सकता है।

2.2. लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद (MINILATERALISM AND MULTILATERALISM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **साइबर अपराध संधि** अपनाई, जो कमजोर **साइबर गवर्नेंस प्रणाली** से निपटने और **बहुपक्षवाद** को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि और बहुपक्षवाद का पुनरुत्थान

- **राष्ट्रवाद का उदय, लोकलुभावनवाद, आर्थिक असमानताएं और वैश्विक महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा** जैसे कारक वैश्विक उदारवादी व्यवस्था एवं बहुपक्षवाद के पतन का कारण बन रहे हैं।
- उपर्युक्त कारकों के कारण **अल्पकालिक रणनीतिक गठबंधनों और लघुपक्षीय गुटों का उदय** हुआ है।
- **संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि** को अपनाने की प्रक्रिया, **बहुपक्षवाद की एक बड़ी जीत** है।

बहुपक्षवाद और लघुपक्षवाद के बारे में

- **बहुपक्षवाद:** द्विपक्षवाद एवं एकपक्षवाद के विपरीत बहुपक्षवाद के अंतर्गत **3 या अधिक राष्ट्र** किसी साझा प्रणाली के नियमों और मूल्यों के आधार पर **समान मुद्दे पर आपस में सहयोग** करते हैं।
  - **उद्भव:** अधिकांश **बहुपक्षीय संस्थाएं** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आईं।
- **लघुपक्षवाद:** यह एक **अनौपचारिक, लचीला और स्वैच्छिक** फ्रेमवर्क है। यह **1945** से वैश्विक गवर्नेंस में **सह-अस्तित्व** में रहा है। उदाहरण के लिए, **GATT** की शुरुआत प्रमुख शक्तियों के बीच **लघुपक्षीय वार्ता** के रूप में हुई थी।

लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद के बीच तुलना

	लघुपक्षवाद	बहुपक्षवाद
शामिल पक्षकार	कम पक्षकार या देश	अनेक देशों के बीच सहयोग
औपचारिकता	स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं	औपचारिक समझौते
लक्ष्य	किसी विशिष्ट खतरे से निपटना	व्यापक वैश्विक मुद्दों से निपटना
उदाहरण	RCEP, क्वाड आदि।	WTO, विश्व बैंक, IMF आदि।

लघुपक्षवाद की ओर झुकाव के लिए उत्तरदायी कारक

- **बढ़ती बहुध्रुवीयता: शक्ति के कई केंद्रों** का उद्भव।
- **रणनीतिक गठबंधन बनाम वैश्विक सहयोग:** उदाहरण के लिए- क्वाड।
- **आसान विनियमन और निर्णय निर्माण।**
- **सुधारों में ठहराव,** जैसे कि WTO के दोहा दौर में उत्पन्न गतिरोध, आदि।
- **बहुपक्षवाद की कथित विफलता:** वैश्विक सहयोग प्राप्त करने में विफल रहना।

लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद के सह-अस्तित्व की आवश्यकता क्यों है?

- **लघुपक्षवाद से आगे बहुपक्षवाद के उदय होने और वार्ताओं को सुगम** बनाने के लिए।
- **बहुपक्षीय वार्ताओं की गति तेज करने के लिए:** उदाहरण के लिए- 2015 की पेरिस वार्ता।
- **कमियों या अंतराल को कम करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए,** जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि।

2.3. जलवायु वार्ताओं में संस्थाओं की भूमिका (ROLE OF INSTITUTIONS IN CLIMATE NEGOTIATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अजरबैजान के बाकू** में आयोजित **UNFCCC के CoP29** में जलवायु वित्त को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए। इस दौरान, वैश्विक साझा चुनौतियों के समाधान में बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए गए।

जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाने में संस्थाओं की भूमिका

- **वैधता और विश्वसनीयता:** सुनियोजित फ्रेमवर्क, लगभग सभी देशों की सदस्यता आदि के माध्यम से।
- **विश्वास का निर्माण करना और पर्यावरणीय भ्रष्टाचार से निपटना।**
- **ग्लोबल साउथ में जलवायु परिवर्तन शमन कार्यवाइयों का समर्थन करना:** संस्थाएं जलवायु परिवर्तन शमन संबंधी कार्यवाइयों को लागू करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- सुभेद्य और लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए **अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लचीलापन और जलवायु न्याय को बढ़ावा देना।**

बहुपक्षीय जलवायु वार्ता के संदर्भ में मौजूद चुनौतियां

- **UNFCCC की सीमाएं:** पेरिस समझौते के तहत सभी देशों को स्वेच्छा से शमन, अनुकूलन और भुगतान करना होगा।
- **जलवायु न्याय का अनसुलझा मुद्दा और जलवायु परिवर्तन की समस्या को मान्यता न देना।**
- **बढ़ता उत्सर्जन:** कानकुन और पेरिस जैसे महत्वपूर्ण समझौतों के बावजूद, UNFCCC के परिणाम सीमित रहे हैं।

जलवायु वार्ता के लिए प्रभावी संस्थागत फ्रेमवर्क्स को बढ़ावा देने की दिशा में आगे की राह

- **लघुपक्षवाद की भूमिका:** इसमें छोटे व हित-आधारित गठबंधन शामिल होने चाहिए।
- **समावेशी बहुपक्षवाद और ज्ञान मीमांसा से संबंधित संस्थान को बढ़ावा** देना चाहिए।
- **मूल्य-आधारित सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और जलवायु वित्त तंत्रों को मजबूत** करना चाहिए।

2.4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WORLD HEALTH ORGANIZATION: WHO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। इससे अमेरिका की ओर से WHO को प्राप्त होने वाले सभी तरह के फंड, सहायता या संसाधनों के हस्तांतरण पर रोक लग गई है।

WHO में अमेरिका

- **संस्थापक सदस्य:** अमेरिका 1948 में WHO के संस्थापक सदस्यों में से एक था।
- **इससे पहले सदस्यता छोड़ना:** अमेरिका इससे पहले 2020 में निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए WHO से अलग हो गया था:
  - **कोविड-19 महामारी** एवं अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से **ठीक से न निपटना,**
  - **तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में विफलता,** और
  - **सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रहने में WHO की असमर्थता।**
- **अमेरिका से फंडिंग:** अमेरिका WHO के द्वि-वर्षीय बजट का सबसे बड़ा स्रोत है, जो 2025 में समाप्त हो रहा है।

WHO के बारे में

- **यू.एन. एजेंसी:** WHO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी** है।
- **उत्पत्ति:** 1946 में न्यूयॉर्क में आयोजित **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन** के दौरान WHO के संविधान को अपनाया गया था। बाद में यह **1948 में लागू हुआ।**
- **प्रमुख कार्य: स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करना,** लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम करना एवं स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवाओं का विस्तार करना।
- **सदस्यता: 194** सदस्य देशों को **6 क्षेत्रों** में बांटा गया है। ये क्षेत्र हैं- अफ्रीका, अमेरिका, पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र।
  - **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश** WHO के सदस्य बन सकते हैं। अन्य देश विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अनुमोदित आवेदन के माध्यम से इसके सदस्य बन सकते हैं।
- **फंडिंग के दो मुख्य स्रोत हैं:**
  - **निर्धारित योगदान:** इसके तहत सदस्य देश अपने निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं।
  - **स्वैच्छिक योगदान:** यह मुख्य रूप से **सदस्य देशों** से प्राप्त होता है।

WHO के 14वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क, 2025-2028 के रणनीतिक उद्देश्य

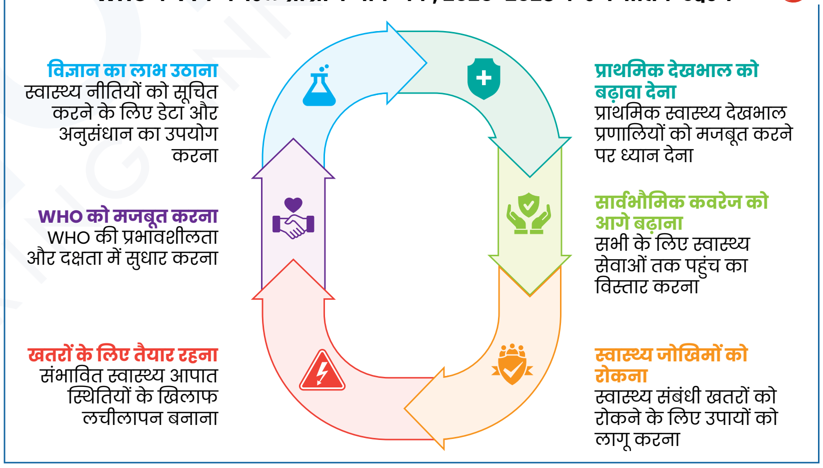

- **प्रशासनिक और संगठनात्मक संरचना:**
  - **विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA):** इसका आयोजन प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाता है।
  - **कार्यकारी बोर्ड:** इसका नेतृत्व WHO का महानिदेशक करता है।

WHO का महत्त्व

- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कानूनों को विनियमित** करता है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC):** उदाहरण के लिए- WHO की **ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी।**
- **स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटना: पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न (PHEIC)** घोषित करता है।
- **रोगों का उन्मूलन:** WHO ने **चेचक के उन्मूलन में अहम भूमिका निभाई है एवं पोलियो के उन्मूलन** के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है।

WHO की वैश्विक पहलें

- **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** यह त्वरित और जटिल आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए मानकीकृत फ्रेमवर्क्स का उपयोग करता है।
- **स्वास्थ्य के लिए कार्य योजनाएं:** इसमें हर नवजात शिशु की देखभाल, देशज लोगों का स्वास्थ्य, पोषण, सर्वाइकल कैंसर, मेनिन्जाइटिस, टीबी और पोलियो उन्मूलन (2017-2026) जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- **अच्छी सेहत को बढ़ावा देना:** जैसे:
  - **MPower:** लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करना।
  - **LIVE LIFE:** बुजुर्गों की अच्छी सेहत और आत्महत्या को रोकने के लिए काम करना (2021 से 2030 तक)।
- **अनुसंधान और नवाचार:** जीनोमिक निगरानी, mRNA वैक्सीन तकनीक, पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र, वैक्सीनेशन सुरक्षा पहल आदि।

WHO की कमियां

- **बड़े पैमाने वाले रोगों के प्रति अपर्याप्त समन्वित प्रतिक्रिया।**
- **राजनीतिक दबाव:** विशेष रूप से **चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका** की ओर से।
- **जटिल संगठनात्मक संरचना:** एक से अधिक विभागों के कारण कार्यों में ओवरलैपिंग।
- **वित्तीय स्वतंत्रता और प्रभावी कानूनी शक्तियों का अभाव।**
- **हितों का टकराव:** WHO पर यह आरोप लगा है कि उसके निर्णय फार्मास्यूटिकल क्षेत्रक के हितों से प्रभावित रहे हैं।

WHO में सुधार

- **ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा (2017):** इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्रक में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।
- **तीन-स्तरीय संचालन मॉडल।**
- **सतत वित्त-पोषण:** WHO ने 2024 में अपना **पहला निवेश दौर शुरू** किया था।
- **WHO रिजल्ट्स फ्रेमवर्क:** यह **आउटपुट स्कोरकार्ड का उपयोग करके राष्ट्रों के स्तर पर प्रगति को ट्रैक** करता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स** तथा गूगल और फीफा जैसे संगठनों के साथ साझेदारी।
- **घटना प्रबंधन प्रणाली: चिकित्सा टीमों की तैनाती आदि की शीघ्र उपलब्धता** सुनिश्चित करता है।

2.5. सिंधु जल संधि (INDUS WATER TREATY: IWT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बैंक** द्वारा नियुक्त **तटस्थ विशेषज्ञ** ने यह स्पष्ट किया है कि वह जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन दो जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद मतभेदों का समाधान करने में पूरी तरह से "सक्षम" है। भारत ने विशेषज्ञ की इस घोषणा का "स्वागत" किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **विवाद की शुरुआत 2015 में पाकिस्तान** ने की थी। इसके बाद विश्व बैंक ने **दोहरी विवाद समाधान प्रक्रिया** अपनाई थी। इसके तहत **भारत के अनुरोध पर "तटस्थ विशेषज्ञ"** नियुक्त किया गया था। जबकि **पाकिस्तान के अनुरोध पर "स्थायी मध्यस्थता न्यायालय"** को भी मामले में शामिल किया गया था।
- **इन विवादित जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं-**
  - **झेलम नदी पर 330 मेगावाट की किशनगंगा जलविद्युत परियोजना** (2018 में उद्घाटन); तथा
  - **चेनाब और झेलम नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना** (निर्माणाधीन)।

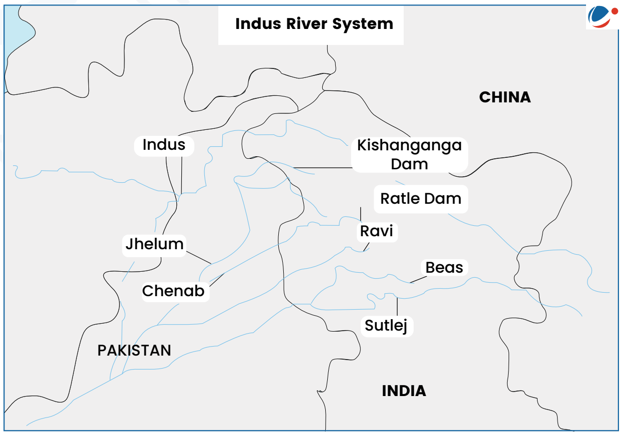

सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इस संधि पर **1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने** हस्ताक्षर किए थे।
- **जल उपयोग अधिकार:**
  - **पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास और सतलुज) –** भारत इनका **बिना किसी रोक-टोक के उपयोग** कर सकता है।
  - **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम और चेनाब)** – इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि, भारत को विशिष्ट गैर-उपभोज्य उद्देश्य से कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति प्राप्त है। जैसे- नौवहन, लकड़ी का परिवहन आदि।
    - इस संधि से सिंधु नदी प्रणाली का लगभग **30% जल भारत को और 70% जल पाकिस्तान** को मिलता है।
- **कार्यान्वयन:** इसके लिए **स्थायी सिंधु जल आयुक्त** नियुक्त किए गए हैं।
- **विवाद समाधान तंत्र (त्रिस्तरीय श्रेणीबद्ध तंत्र):** स्थायी सिंधु आयोग (PIC), तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय।

IWT से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां

- **पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं का विरोध।**
- **पर्यावरणीय चिंताएं: जलवायु परिवर्तन के कारण** नदी प्रणाली के जल प्रवाह में बदलाव आ सकता है।
- **भारत की बढ़ती जरूरतें: जनसंख्या वृद्धि और कृषि विस्तार** के कारण अधिक पानी की जरूरत है।
- **सुरक्षा और राजनीतिक दबाव:** रणनीतिक उपयोग और आतंकवाद संबंधी चिंताएं।

आगे की राह

- **एकीकृत जल प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन।**
- **आधुनिकीकरण और पुनर्वार्ता: नई तकनीकों** को ध्यान में रखते हुए सुधार किया जा सकता है।
- **पारदर्शिता और डेटा साझाकरण: रियल-टाइम सैटेलाइट आधारित निगरानी।**

सीमा-पार जल बंटवारे पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत

- **हेलसिंकी नियम, 1966:** यह **नदियों और उनसे जुड़े भूजल के उपयोग** को नियंत्रित करता है।
- **हेलसिंकी कन्वेंशन, 1992:** यह **जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक कानूनी ढांचा** प्रदान करता है।
- **यू.एन. कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन-नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटरकोर्स, 1997.**

2.6. ऑकस (AUKUS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑकस (AUKUS) के गठन के **पांच वर्ष पूरे** हो गए हैं। यह **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक **त्रिपक्षीय सुरक्षा व रक्षा साझेदारी** है।

AUKUS के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **सितंबर, 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य: रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, तकनीकी एकीकरण में तेजी** लाना आदि।
- **दो प्रमुख पिलर:**
  - **पिलर-1: ऑस्ट्रेलिया** को पारंपरिक रूप से **सशस्त्र, परमाणु-संचालित पनडुब्बियां (SSNs) हासिल** करने में सहायता देना।
  - **पिलर-2:** इसके तहत **खुफिया जानकारी साझा करने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रक में सहयोग में तेजी लाने पर ध्यान** केंद्रित किया गया है।

AUKUS का महत्त्व

- **सामरिक:** AUKUS, ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमता को मजबूत करने और एक **स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति** से मेल खाता है।
- **हिंद-प्रशांत में QUAD का पूरक है।**
- उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व स्थापित करने पर केंद्रित है। इससे चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- **लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन है,** जो इसे एक वैध सुरक्षा समूह के रूप में स्वीकार्यता दिलाता है।

AUKUS से जुड़ी चिंताएं

- **भू-राजनीतिक चिंताएं: संभावित हथियारों की दौड़** को लेकर चिंताएं।
- **QUAD की रणनीतिक भूमिका का कमजोर होना।**
- **परमाणु प्रसार का जोखिम:** AUKUS के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु-संचालित पनडुब्बियां प्राप्त होंगी।

2.7. क्वाड समूह (QUAD GROUPING)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad/ क्वाड) की **20वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

क्वाड के बारे में

- इसे **2007 में जापान के तत्कालीन प्रधान मंत्री शिंजो आबे** ने औपचारिक रूप दिया था।
- **सदस्य देश:** ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका।
- **प्रकृति:** यह एक **अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी** आधारित समूह और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अग्रणी **लोकतांत्रिक देशों** का एक गठबंधन है।
- **उद्देश्य: खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन** करना।
- **कार्य:** 6 कार्य-क्षेत्रों पर "सिक्स लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप्स" - **जलवायु, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, साइबर, स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी, आधारभूत अवसंरचना और अंतरिक्ष।**
- **ग्लोबल फुटप्रिंट:** यह संगठन दुनिया की **24% आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 35% योगदान, वैश्विक व्यापार में 18% हिस्सेदारी** का प्रतिनिधित्व करता है।
- **भारत के लिए क्वाड की प्रासंगिकता:** रणनीतिक प्रतिसंतुलन, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और स्वास्थ्य एवं मानवीय सहायता में सहायक।

क्वाड का बदलता स्वरूप: सैन्य से आर्थिक गठबंधन तक

भले ही क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गुट नहीं है, लेकिन यह एक सैन्य-केंद्रित समूह से आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देने वाले एक व्यापक गठबंधन में बदल गया है, जो वैश्विक भू-राजनीतिक बदलावों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित कर रहा है।

- **मिलिट्री पर फोकस (प्रारंभिक चरण):**
  - **मालाबार सैन्य अभ्यास और 2+2 वार्ता (भारत-अमेरिका)** के माध्यम से **समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, समुद्री डोमेन जागरूकता में वृद्धि करना और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का निर्माण** करना।
  - **क्वाड एक्ट (2024) को मजबूत करना:** इसमें एक **क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह** शामिल है।

- **आर्थिक विस्तार (हालिया चरण):** कोविड-19 के बाद, क्वाड की अधिकांश पहलें आर्थिक और सतत विकास पर अधिक केंद्रित रही हैं। **उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:**
  - विलमिंग्टन घोषणा-पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी, क्वाड कैंसर मूनशॉट, इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना (क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पहल) आदि।

क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **संस्थागत फ्रेमवर्क का अभाव** और **जिम्मेदारियों का असमान बोझ।**
- **परस्पर विरोधी साझेदारियां** और **चीन के संदर्भ में अलग-अलग रणनीतियां।**
- **भारत की अपनी विशिष्ट चिंताएं: भू-राजनीतिक तनाव** और **अलग-अलग हिंद-प्रशांत विज़न** क्योंकि भारत हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अन्य प्रशांत महासागर क्षेत्र पर जोर देते हैं।

क्वाड को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- एक स्पष्ट **हिंद-प्रशांत रणनीति** को परिभाषित करना चाहिए।
- **सदस्यता का विस्तार करना** चाहिए और **भारत की समुद्री रणनीति को मजबूत** करना चाहिए।

2.8. भारत-अफगानिस्तान संबंधों में बदलाव (SHIFT IN INDIA–AFGHANISTAN RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के विदेश सचिव और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक** दुबई में संपन्न हुई।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों का विकास-क्रम

- **1. प्राचीन संबंध:** भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंध रहे हैं।
- **2. मैत्री संधि:** 1950 में हुई भारत-अफगानिस्तान मैत्री संधि ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की आधारशिला रखी।
- **3. अमेरिका की वापसी के बाद:** तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत का दृष्टिकोण बदल गया और सीमित भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह बैठक **भारत की कूटनीति में बदलाव और तालिबान समर्थित अफगान सरकार के साथ बढ़ते संपर्क** का संकेत है।
- यह 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और सत्ता पर तालिबान के नियंत्रण के बाद **भारत और तालिबान के बीच उच्चतम स्तर** की बैठक थी।
- इससे पहले नवंबर, 2024 में **भारतीय राजनयिकों और तालिबान के रक्षा मंत्री के बीच पहली आधिकारिक बैठक** काबुल में संपन्न हुई थी।

अफगानिस्तान के प्रति भारत की कूटनीतिक नीति में बदलाव क्यों आया है?

- **अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों में तनाव:** पाकिस्तान ने पूर्वी अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए हैं।
- क्षेत्र में **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने** और अफगानिस्तान की जमीन से आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए।
- **मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद** करने के लिए।
- अफगानिस्तान में **विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू** करना और पहले से किए गए निवेश को सुरक्षित करने के लिए।
- भारत की **सॉफ्ट पावर को मजबूत करने** और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए।

अफगानिस्तान में भारत का योगदान:

- कृषि के लिए सलमा बांध, व्यापार के लिए ज़रांज-डेलाराम राजमार्ग, बिजली के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाएं, भारतीय दूतावास परिसर, आदि।

अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक अप्रोच में परिवर्तन क्यों चुनौतीपूर्ण हो सकता है?

- **तालिबान की आंतरिक कार्यप्रणाली और नीतियां**, खासकर **महिलाओं और लड़कियों के प्रति नीतियां।**
- **आतंकवाद और सुरक्षा से संबंधित चिंताएं** और **मादक पदार्थों की तस्करी।**
- **चीन का बढ़ता प्रभाव।**

आगे की राह

- **एक्ट वेस्ट पॉलिसी:** भारत को **अपनी पारंपरिक मित्रता का लाभ उठाना** चाहिए।
- **मानवीय सहायता: चीन को प्रतिसंतुलित** करने के लिए।
- **विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करना:** विकास परियोजनाओं के माध्यम से निवेश बढ़ाना।
- **सांस्कृतिक संबंध:** वीज़ा व्यवस्था को उदार बनाकर लोगों के बीच संबंध विकसित करना।
- **कूटनीतिक भागीदारी बढ़ाना:** अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय फ़ोरम पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.9. भारत-यूरोपीय संघ संबंध {INDIA-EUROPEAN UNION (EU) RELATIONS}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त** और भारत के **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस बैठक में **भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच दीर्घकालिक साझेदारी** के लिए **छह प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित एक रोडमैप** तैयार किया गया।
- **भारत-EU सहयोग के लिए 6-सूत्रीय रूपरेखा**
    - **साझा मूल्य:** बाजार एकीकरण के लिए लोकतंत्र, कानून के शासन पर सहयोग।
    - **गुणवत्तापूर्ण उत्पादन:** मानकों का सामंजस्य (जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट सिद्धांत)।
    - **सतत विकास:** निष्पक्षता, CBDR को बढ़ावा देना।
    - **व्यापार एजेंडा:** टैरिफ की समस्या से निपटने हेतु एक निष्पक्ष, न्यायसंगत व्यापार ढांचा बनाना।
    - **प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन।**
    - **लोगों से लोगों के बीच संबंध:** कुशल युवा सहयोग के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना।

भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों का महत्त्व

- **पारस्परिक संबंध:**
    - **ऐतिहासिक संबंध**: भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले शुरुआती देशों में शामिल था।
        - **2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-EU शिखर सम्मेलन** के दौरान, दोनों पक्षों के बीच संबंधों को अपग्रेड कर **रणनीतिक साझेदारी** में परिवर्तित किया गया।
    - **व्यापार साझेदारी:**
        - **EU** भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
        - भारत, यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2023 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) था।
    - **रणनीतिक सहयोग:** सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षवाद जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के हित समान हैं।
        - उदाहरण के लिए, **भारत-EU द्विपक्षीय संवाद** आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, प्रवासन और मोबिलिटी, आदि पर केंद्रित है।
        - **भारत-EU स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (2016)** के तहत **पेरिस समझौते** के कार्यान्वयन और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
    - **कनेक्टिविटी:** 2021 में शुरू की गई कनेक्टिविटी साझेदारी का उद्देश्य डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों आदि को मजबूत करना है।
- **भारत के लिए लाभ**
    - **निवेश:** अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच **EU से भारत में 107.27 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ**।
    - **निर्यात को बढ़ावा:** भारत से यूरोपीय संघ को **सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और कृषि क्षेत्रक के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सकता** है।
    - **सिक्योरिटी और डिफेंस:** उदाहरण- **भारत में एयरबस C-295 विमानों का विनिर्माण।**
    - **प्रौद्योगिकी और इनोवेशन:** 2022 में स्थापित **"भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद", व्यापार, तकनीक और सुरक्षा** से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए एक **रणनीतिक समन्वय तंत्र है।**
- **यूरोपीय संघ (EU) के लिए भारत का महत्त्व**
    - **विशाल बाजार मिलना:** भारत यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन सकता है।
    - **सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध और भू-राजनीतिक सहयोग:** यूरोपीय संघ, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका और विकास क्षमता का लाभ उठाकर अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।
    - **सुरक्षा और स्थिरता:** भारत, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।

चुनौतियां

- **व्यापार में विविधता की कमी:** व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाएं जैसी गैर-प्रशुल्क बाधाएं द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार में बाधा बनती हैं।
- **चीन के आयात पर यूरोपीय संघ की निर्भरता।**
- **FTA वार्ताओं में देरी: डिजिटल क्षेत्रक पर नियम** जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद के कारण।
- **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM)**।
- **सहमति की कमी: श्रम कानूनों, मानवाधिकारों, पर्यावरण मानकों** जैसे विषयों पर मतभेद।

आगे की राह

- **FTA को अंतिम रूप देने में तेजी लाना:** स्पष्ट प्रशुल्क नीतियां और नियम निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे।
- **हरित क्षेत्र में सहयोग** और **श्रम नीति** आदि।

2.10. भारत-इंडोनेशिया संबंध (INDIA-INDONESIA RELATIONS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति **'भारत-इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ'** के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे।

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रमुख घटनाक्रम

- स्वास्थ्य-देखभाल सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा आदि से संबंधित MoUs पर हस्ताक्षर।
- इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का इतिहास

- **ऐतिहासिक संबंध:** प्राचीन काल (रामायण व महाभारत काल) से ही सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध।
- इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति **एच. ई. सुकर्णो** 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** भारत और इंडोनेशिया **बांडुंग सम्मेलन (1955)** में NAM के अग्रणी संस्थापक देश थे।
- **2005 में रणनीतिक साझेदारी** हुई, जो बाद में **2018 में नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी** में परिवर्तित हो गई।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का महत्त्व

- **पारस्परिक लाभ**
  - **आर्थिक संबंध:** भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद (EFD डायलॉग) 2023 का उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना है।
  - **समुद्री सुरक्षा:** उदाहरण के लिए, मलक्का और सिंगापुर स्ट्रेट में नौवहन की सुरक्षा (SOMS)।
  - **डिफेंस एवं सुरक्षा: रक्षा बलों के बीच** थल सेना अभ्यास **गरुड़ शक्ति,** और नौसेना अभ्यास **समुद्र शक्ति** जैसे कार्यक्रम द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अलावा, दोनों देश **मिलन, कोमोडो, तरंग शक्ति और सुपर गरुड़ शील्ड** जैसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
    - **रक्षा स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण क्षमताओं का विकास करना:** उदाहरण के लिए, **इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल** की प्रौद्योगिकी देने पर वार्ता जारी है।
  - **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार: संयुक्त राष्ट्र** और **G-20 जैसे बहुपक्षीय फ़ोरम्स पर सहयोग**।
  - **क्षेत्रीय साझेदार:** इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है।
  - **अवसंरचना और कनेक्टिविटी: इंडोनेशिया-मलेशिया-थाईलैंड ग्रोथ ट्राएंगल (IMT-GT)** के साथ भारत की विकास साझेदारी बढ़ रही है।
  - **सांस्कृतिक और विरासत के क्षेत्र में सहयोग: 2025-2028 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम** की घोषणा की गई है।
  - **समान हितों के अन्य क्षेत्र: सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा, साइबर सुरक्षा** में सहयोग।
- **भारत के लिए महत्त्व**
  - **व्यापार: इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र** में **भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है।
  - **भू-रणनीतिक महत्त्व:** भारत, **'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (SAGAR) पहल** के अनुरूप, **इंडोनेशिया के आचेह में सबांग बंदरगाह** के विकास में सहायता प्रदान कर रहा है।
  - **रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS) पर समझौता ज्ञापन (2024) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - **स्वास्थ्य-देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स:** दोनों देशों की सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना।
- **इंडोनेशिया के लिए महत्त्व**
  - **भारत जैसा विशाल बाजार का लाभ मिलना:** भारत, इंडोनेशिया के **कोयला और कच्चे पाम आयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है।**
  - **निवेश: भारतीय कंपनियों ने** इंडोनेशिया में अवसंरचना विकास, बिजली, वस्त्र, इस्पात, ऑटोमोटिव जैसी क्षेत्रकों में **अधिक निवेश** किया है।
  - **जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटना:** भारत ने **मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR)** के तहत इंडोनेशिया को सहायता प्रदान की है। इंडोनेशिया भारत के नेतृत्व वाले **आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल हो गया है।**
  - **खाद्य सुरक्षा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग** तथा **शिक्षा और कौशल विकास।**

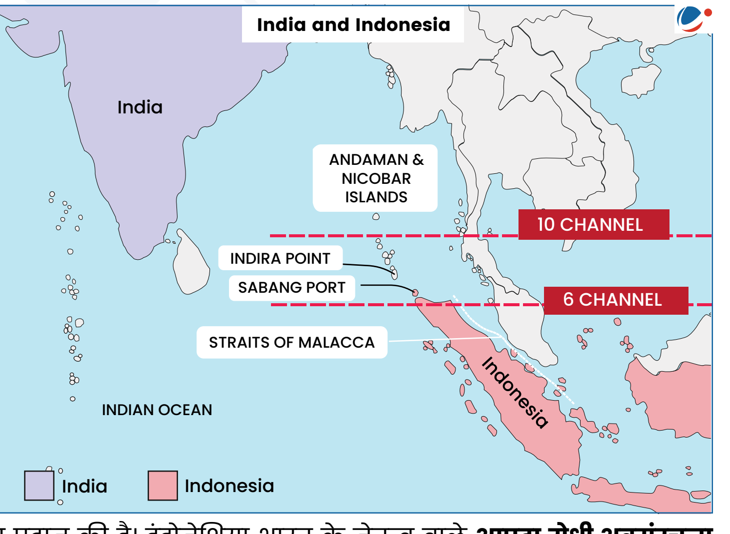

चुनौतियां

- **व्यापार क्षमता का पूरा उपयोग नहीं:** उच्च टैरिफ, नॉन-टैरिफ बाधाएं तथा FTA (भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता) का कम उपयोग द्विपक्षीय।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** इंडोनेशिया ने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के तहत चीन से भारी निवेश स्वीकार किया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।
- **ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद, सबांग बंदरगाह का विकास** जैसी सामरिक परियोजनाओं की धीमी प्रगति।
- **कनेक्टिविटी का अभाव:** सीमित डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी, वीजा संबंधी समस्याएं आदि।

आगे की राह

- **सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता:** दोनों को **"आसियान प्लस"** नीति बनानी चाहिए।
- **व्यापार के क्षेत्र में सुधार** और क्षेत्रीय सहयोग का लाभ उठाना चाहिए।
- **ग्लोबल साउथ में सहयोग।**
- भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय साझेदारी की तरह **मिनीलैटरल का विकास करना** चाहिए।
- **दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान; शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए।

2.11. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

2.11.1. भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष (60 YEARS OF INDIA-SINGAPORE BILATERAL RELATIONS)

भारत और सिंगापुर के राष्ट्रपतियों ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की **60वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से लोगो (logo)** का अनावरण किया।

भारत-सिंगापुर संबंध

- **राजनयिक संबंध: 1965 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों** की भी शुरुआत हुई थी।
  - भारत और सिंगापुर ने **2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए थे। **2024** में उन्हें **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** में अपग्रेड किया गया था।
- **व्यापार:** 2023-24 में सिंगापुर **भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार**।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों द्वारा **अग्नि वारियर (थल सेना) व सिम्बेक्स (नौसेना)** जैसे सैन्य अभ्यासों की मेजबानी।
- **भारतीय प्रवासी: सिंगापुर की आबादी** में भारतीय मूल के लोगों की **हिस्सेदारी 9%** है।

भारत के लिए सिंगापुर का महत्त्व

- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** चांगी नौसैनिक अड्डे तक पहुंच से भारत को चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भौगोलिक अवस्थिति:** वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में FDI (11.77 बिलियन डॉलर) का प्रमुख स्रोत रहा था।

2.11.2. ब्रिक्स (BRICS)

नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में एक **"साझेदार देश"** के रूप में शामिल किया गया है।

- यह ब्रिक्स का 9वां साझेदार देश है। अन्य आठ देश **बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा** और **उज्बेकिस्तान** हैं।

ब्रिक्स के बारे में

- **कुल सदस्य: 11**; इसकी स्थापना **2009** में **ब्राजील, रूस, भारत** और **चीन** द्वारा की गई थी। वर्ष 2010 में **दक्षिण अफ्रीका** भी इसमें शामिल हो गया। **अन्य पूर्ण सदस्य:** मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया।
- **भारत** ने **चौथे (2012), आठवें (2016)** और **तेरहवें (2021) ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की है।

2.11.3. अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (BIRTHRIGHT CITIZENSHIP IN US)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के बारे में

- **परिभाषा:** जन्मसिद्ध नागरिकता **अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (1868) के तहत** एक प्रावधान है, जो अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्वतः नागरिकता प्रदान करता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ: संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वोंग किम आर्क (1898) निर्णय** में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर-नागरिक माता-पिता के बच्चों के लिए भी इसे बरकरार रखा गया।

अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की समाप्ति के भारत पर प्रभाव

- H-1B वीजा धारक **स्वतः नागरिकता के लिए पात्र नहीं** होंगे।
- **अस्थायी वीज़ा धारक:** भारतीय छात्रों और अस्थायी वीज़ा पर रहने वाले परिवारों को अमेरिका में जन्मे अपने बच्चों के लिए अमेरिका की नागरिकता हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
- **आप्रवास पर प्रभाव और "बर्थ टूरिज्म" पर अंकुश:** इससे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने संबंधी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी।

2.11.4. ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध (WORLD'S LARGEST HYDROPOWER DAM ON BRAHMAPUTRA)

चीन ने **तिब्बत के मेडोग क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बांध और दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना** के निर्माण को मंजूरी दी है।

- इस बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता **चीन के थ्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना अधिक** है। **मध्य चीन** में स्थित थ्री गॉर्जेस बांध वर्तमान में **दुनिया का सबसे बड़ा बांध** है।

परियोजना के बारे में

- **अवस्थिति:** हिमालय पर्वत श्रेणी में यारलुंग त्सांगपो (या ज़ंगबो) नदी के निचले अपवाह में।

बांध निर्माण से जुड़ी चिंताएं

- **इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियां:** तिब्बती पठार पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव और भू-राजनीतिक जोखिम:** भारत और बांग्लादेश चीन की जल प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता से चिंतित हैं।

चीन और भारत ने सीमा-पार नदियों के अपवाह से जुड़ी चिंताओं को हल करने के लिए **2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ELM)** की स्थापना की थी।

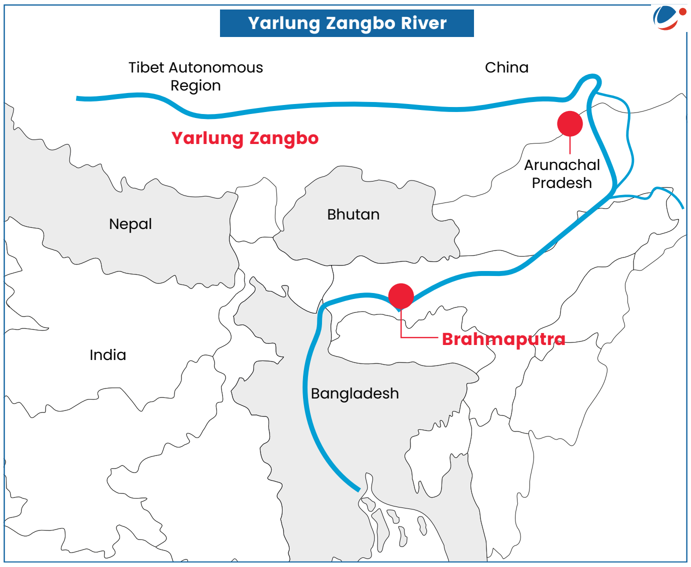

2.11.5. पंगसौ दर्रा (PANGSAU PASS)

हाल ही में, **अरुणाचल प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम 'पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव'** संपन्न हुआ।

पंगसौ दर्रे के बारे में

- **स्थान: भारत-म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ी पर 3,727 फीट (1,136 मीटर)** की ऊंचाई पर स्थित।
- **नाम की उत्पत्ति:** इसका नाम **म्यांमार के निकटवर्ती गांव, पंगसौ** के नाम पर रखा गया है।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** ऐसा माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में **शान जनजाति (अहोम) द्वारा असम पर किए गए आक्रमण** का मार्ग यही था।
- **कनेक्टिविटी:** ऐतिहासिक **स्टिलवेल सड़क (लेडो सड़क) नाम्पोंग और पंगसौ दर्रे** से होकर **म्यांमार** में प्रवेश करती है।

2.11.6. फिलाडेल्फिया कॉरिडोर (PHILADELPHI CORRIDOR)

इजरायल और हमास के बीच हालिया युद्ध विराम की शर्तों में **फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायल की वापसी** का भी प्रावधान है।

फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में

- इसे मूल रूप से **1979 की इजरायल-मिस्र शांति संधि** के तहत स्थापित किया गया था।
- यह **गाजा-मिस्र सीमा के साथ भूमि की एक संकरी पट्टी** है। यह लगभग **14 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी** है।
- यह कॉरिडोर **दक्षिणी गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र** के रूप में कार्य करता है।
- यह **भूमध्य सागर से शुरू होकर इजरायल सीमा के साथ केरेम शालोम** तक जाता है।

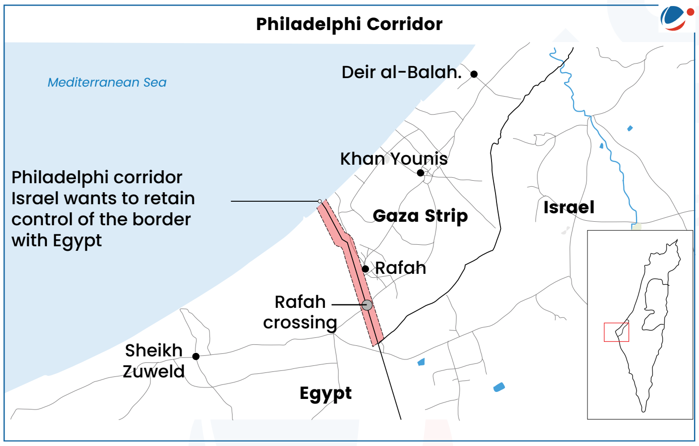

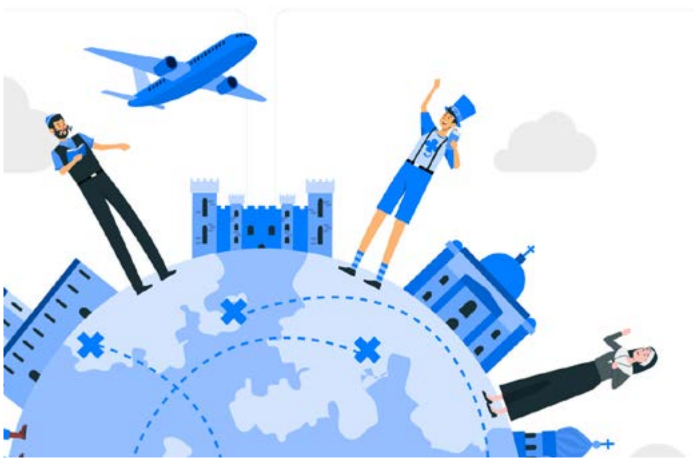

2.11.7. मेक्सिको की खाड़ी (GULF OF MEXICO)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर "अमेरिका की खाड़ी" रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मेक्सिको की खाड़ी के बारे में

- **सीमाएं:** उत्तर में **संयुक्त राज्य अमेरिका**, पश्चिम और दक्षिण में **मैक्सिको** तथा दक्षिण-पूर्व में **क्यूबा**।
- यह खाड़ी **फ्लोरिडा जलडमरूमध्य** के माध्यम से **अटलांटिक महासागर** से और **युकाटन चैनल** के माध्यम से **कैरेबियन सागर** से जुड़ती है।
- **नियंत्रण और स्वामित्व: संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा** का इस पर साझा नियंत्रण व स्वामित्व है।

2.11.8. पनामा नहर (PANAMA CANAL)

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने **पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण फिर से लागू** करने की धमकी दी।

पनामा नहर के बारे में

- यह **82 किलोमीटर (51 मील) लंबा कृत्रिम जलमार्ग है।** पनामा नहर **अटलांटिक महासागर (कैरिबियन सागर) को प्रशांत महासागर** से तथा **उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका** से जोड़ती है।
- नहर में जहाजों का परिवहन **गैटुन झील** के माध्यम से होता है।
- **महत्त्व:** यह **संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच** जहाजों की यात्रा को **8,000 मील (लगभग 22 दिन) तक कम** कर देता है।

3.1. रुपये का मूल्यह्रास (RUPEE DEPRECIATION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रुपये की विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **85 के स्तर को पार कर गई।** यह पिछले दो वर्षों में रुपये का **सबसे तेजी से मूल्यह्रास** हुआ है।

रुपये का मूल्यह्रास क्या है?

- यह **विदेशी मुद्राओं** के सापेक्ष **भारतीय रुपये (INR) के मूल्य में होने वाली गिरावट** है।
- **विनिमय दर:** यह किसी एक मुद्रा की कीमत को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में व्यक्त करती है।
  - **निश्चित (Fixed) विनिमय दर**: सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
  - **लचीली (Floating) विनिमय दर**: विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति कारकों द्वारा तय की जाती है। भारत वर्तमान में इसे अपनाता है, लेकिन RBI समय-समय पर हस्तक्षेप करता है।
  - **प्रबंधित (Managed) फ्लोटिंग विनिमय दर**: यह निश्चित और लचीली विनिमय दर प्रणाली का **मिश्रण** है।

रुपये के मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक

- **केंद्रीय बैंक में विश्वास:** बाजार केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में जोखिम का आकलन करते हुए मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं।
- **तरलता:** यह तब उत्पन्न होती है जब अल्पावधिक विदेशी-मुद्रा ऋण, तरल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से अधिक हो जाता है।
- **मुद्रास्फीति:** उच्च मुद्रास्फीति दर भारतीय रुपये की क्रय शक्ति को कमजोर कर देती है।
- **मौद्रिक नीति:** RBI की ब्याज दर से जुड़ी नीतियां और विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप रुपये के मूल्य को प्रभावित करते हैं।
- **पूंजी का देश से बाहर जाना:**विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पूंजी निकालने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है।
- **व्यापार घाटा:** जब आयात मूल्य, निर्यात मूल्य से अधिक हो जाता है।
- **वैश्विक आर्थिक कारक:** कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, आदि।

रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव

- **सकारात्मक प्रभाव:** निर्यात को बढ़ावा, उच्च विप्रेषण (रेमिटेंस) धनराशि प्राप्त होना, पूंजी और निवेश में वृद्धि।
- **नकारात्मक प्रभाव:** आयात की उच्च लागत, उच्च मुद्रास्फीति, पूंजी और निवेश में कमी (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी), विदेशी कर्ज का भुगतान महंगा हो जाना, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाना।

आगे की राह

- **अल्पकालिक उपाय:** RBI के बाजार संचालन, करेंसी स्वैप समझौते, मौद्रिक नीति में बदलाव, गैर-जरूरी आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आयात नीति में बदलाव, आदि।
- **दीर्घकालिक उपाय: व्यापार भुगतान में विविधता (कई रूपों में करना) लाना;** विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना; **निर्यात को प्रोत्साहन (रंगराजन समिति); मुक्त व्यापार समझौता, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना;** राजकोषीय विवेकशीलता (Fiscal Prudence) अपनाना, आदि।

3.2. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण (INTERNATIONALIZATION OF RUPEE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **RBI** ने **FEMA, 1999 को उदार** बनाया ताकि **सीमा-पार लेन-देन के निपटान के लिए** भारतीय रुपये के उपयोग (रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण) को बढ़ावा मिल सके।

RBI द्वारा फेमा (FEMA) नियमों में किए गए हालिया बदलाव:

- **भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति:**
  - **अधिकृत डीलर बैंकों की विदेशी शाखाओं में INR (भारतीय रुपया) खाते** खोल सकते हैं और उनका उपयोग विदेशी निवेश के लिए कर सकते हैं।
  - अपनी प्रत्यावर्तनीय (रिपेट्रिएशन) INR खातों, जैसे- **स्पेशल नॉन-रेजिडेंट रुपी (SNRR) खाता** और **स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SVRA)** का उपयोग करके भारत से बाहर रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ लेन-देन का निपटान कर सकते हैं।
- भारतीय निर्यातक व्यापार लेन-देन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में **विदेश में खाते** खोल सकते हैं।
  - **रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** इसका तात्पर्य व्यापार, चालू और पूंजी खाता लेन-देन सहित वैश्विक लेन-देन में भारतीय रुपये के उपयोग से है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा**: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जिसका उपयोग जारीकर्ता देश की सीमाओं के बाहर न केवल उस देश के निवासियों द्वारा, बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा भी किया जाता है। व्यापक उपयोग, मजबूत आर्थिक बुनियाद, स्थिरता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उदाहरण- अमेरिकी डॉलर, यूरो आदि।

- **वोस्ट्रो खाता:** यह किसी अन्य देश (जैसे कि भारत) में **विदेशी बैंक द्वारा स्थानीय मुद्रा में खोला गया बैंक खाता** होता है।
- **नोस्ट्रो खाता:** यह किसी **घरेलू बैंक** (जैसे कि भारत का कोई बैंक) का विदेश में स्थित किसी **विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में** खोला गया खाता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता, **मुद्रा संकट और मुद्रास्फीति दबावों** को **कम** करता है।
- **विनिमय दर से जुड़े जोखिमों को कम करता है, व्यवसाय को बढ़ावा देता है।**
- **अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है।**
- **विनिमय दर जोखिमों के बिना "घाटे का वित्तपोषण" के जरिए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना आसान हो जाता है।**
- **भारत के वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना।**

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां

- विनिमय दर में अस्थिरता।
- **मौद्रिक नीति दुविधा या ट्रिफिन डाइलेमा:** मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय होने पर घरेलू आवश्यकताओं और विश्व में उस मुद्रा की मांग के बीच संतुलित बनाए रखने की दुविधा।
- **रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता:** INR चालू खाता में पूरी तरह परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है।
- **बाहरी खतरे का जोखिम और विश्व में अधिक उपयोग नहीं।**

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय भुगतान अवसंरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने UPI को अपनाया है।
- **समझौता ज्ञापन (MoU):** RBI ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- RBI की रणनीतिक कार्य-योजना 2024-25
- **स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SVRA):** RBI ने 22 देशों के साथ INR में व्यापार निपटान को आसान बनाया है।
- **अन्य:** द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते, रुपया मूल्यवर्ग वाला बॉण्ड यानी मसाला बॉण्ड जारी करना।

आगे की राह (RBI के अंतर-विभागीय समूह की सिफारिशें)

- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) का अंतर्राष्ट्रीयकरण।
- **कंटिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) में INR को शामिल करना**: CLS एक वैश्विक प्रणाली है जो विदेशी मुद्रा लेन-देन को पेमेंट बनाम पेमेंट (PvP) के आधार पर निपटाने के लिए कार्य करती है।
- करेंसी स्वैप और लोकल करेंसी सेटलमेंट (LCS)
- **SDR बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल करने के प्रयास**।
- **वित्तीय बाजारों को मजबूत करना:** RBI और सेबी के KYC मानदंडों का सामंजस्य, वैश्विक 24x5 INR बाजार, भारतीय सरकारी बॉण्ड्स को वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल करना।

3.3. WPI के आधार वर्ष की समीक्षा (WPI BASE YEAR REVISION)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की मौजूदा श्रृंखला का आधार वर्ष **2011-12** से बदलकर **2022-23** करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कार्य समूह कम्प्यूटेशनल पद्धति में सुधार का सुझाव देगा और **WPI की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) को अपनाने के लिए एक रोडमैप की भी सिफारिश** करेगा।

- **WPI आधार वर्ष में बदलाव की आवश्यकता:** संरचनात्मक परिवर्तन, कमोडिटी बास्केट को अपडेट करना, वस्तु एवं सेवा कर (GST) के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
- **WPI की जगह PPI को अपनाने की आवश्यकता:** WPI में मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह, WPI में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाना, लगाए गए करों को शामिल नहीं करना।
- **PPI के लाभ**: इसमें **सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है** और अप्रत्यक्ष करों को बाहर रखता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मान्यता प्राप्त है।

तुलना

पैरामीटर	थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
परिभाषा	थोक स्तर पर मदों की कीमतों में परिवर्तन को मापता है।	उत्पादक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है।	उपभोक्ता द्वारा किए गए मूल्य भुगतान में परिवर्तन को मापता है।
आधार वर्ष	2011-12	भारत में अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है।	2012
संघटन	इसमें मुख्य रूप से विनिर्मित उत्पाद, ईंधन और प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं।	इसमें अलग-अलग उत्पादन चरणों में वस्तुएं और सेवाएं, दोनों शामिल हैं।	इसमें भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवास जैसी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं।
क्या सेवाएं शामिल हैं?	नहीं	हाँ	हाँ
माप	WPI का भारांश उत्पादन मूल्यों पर आधारित होता है।	मदों का भारांश आपूर्ति और उपयोग तालिका से प्राप्त किया जाता है।	CPI बास्केट का भारांश उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से लिए गए औसत घरेलू व्यय पर आधारित होता है।
करों का समावेश	अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं करना	PPI के कुछ वेरिएंट में कर शामिल हो सकते हैं यदि उन्हें उत्पादकों पर लगाया जाता है।	अप्रत्यक्ष कर शामिल
मल्टीपल काउंटिंग पूर्वाग्रह	संभावना	संभावना नहीं	संभावना
जारीकर्ता	केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT के तहत **आर्थिक सलाहकार कार्यालय**	भारत में अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है।	केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)**

निष्कर्ष

WPI आधार वर्ष में संशोधन और PPI को अपनाना वास्तव में मुद्रास्फीति को मापने का अधिक सटीक और विश्वस्तरीय तरीका हो सकता है। आर्थिक नीति निर्माण में भी सुधार हो सकता है और डेटा-आधारित निर्णयों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क भी प्रदान कर सकते हैं।

3.4. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 (FISCAL HEALTH INDEX REPORT 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने **राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) रिपोर्ट 2025** जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- FHI रिपोर्ट भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित एक वार्षिक प्रकाशन है।
- **इसका उपयोग देश के समग्र राजकोषीय प्रशासन में सुधार**, आर्थिक मजबूती और स्थिरता के लिए नीतिगत कदम उठाने के लिए किया जाता है।

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में

- **परिचय:** यह सूचकांक **राज्यों को समग्र राजकोषीय सूचकांक के आधार** पर रैंकिंग प्रदान करता है। यह पांच प्रमुख उप-सूचकांकों (व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रह, राजकोषीय विवेक, डेब्ट इंडेक्स, ऋण स्थिरता) और नौ लघु उप-सूचकांकों पर आधारित है।
- **राज्यों को FHI स्कोर के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - **अचीवर:** 50 से अधिक स्कोर।
  - **फ्रंट रनर:** 40 से अधिक और 50 से कम या इसके बराबर स्कोर।
  - **परफ़ॉर्मर:** 25 से अधिक और 40 से कम या इसके बराबर स्कोर।
  - **आकांक्षी:** 25 या इससे कम स्कोर।
- इसमें **CAG** के डेटा का उपयोग करके **18 प्रमुख राज्यों** का विश्लेषण किया गया है। विशेष श्रेणी दर्जा वाले राज्यों और हिमालयी राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
- **विश्लेषण की अवधि:** वित्तीय वर्ष 2022-23

FHI 2025 के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नज़र

- **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:** ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा।
- **कर-भिन्न राजस्व के मामले में प्रदर्शन:** ओडिशा, झारखंड, गोवा और छत्तीसगढ़ ने कर-भिन्न राजस्व (नॉन-टैक्स रेवेन्यू) में मजबूत सुधार प्रदर्शित किए हैं, जो उनकी कुल राजस्व आय का 21% रहा।
- **पूंजीगत व्यय:** मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अपनी विकास निधि का 27% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित करके बेहतर पूंजी निवेश का प्रदर्शन किया।
- **ऋण स्थिरता (डेब्ट सस्टेनेबिलिटी):** पश्चिम बंगाल और पंजाब में ऋण-GSDP अनुपात में वृद्धि की वित्तीय प्रवृत्ति देखी गई।
- **FHI रिपोर्ट का महत्त्व:** प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा, पारदर्शिता और जवाबदेही, तथ्यों के आधार पर नीति निर्माण।
- **निष्कर्ष:** FHI राज्यों को वित्तीय प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

3.5. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24 {HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE SURVEY (HCES), 2023-24}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने **2022-23 और 2023-24** के दौरान घरेलू उपभोग व्यय पर लगातार दो सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था।

HCES 2023-24 के मुख्य बिंदु

- **मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) में वृद्धि:**
  - **ग्रामीण:** 4,122 रुपये (सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क प्राप्ति के लाभ को जोड़ने पर 4,247 रुपये, 9% की वृद्धि दर्ज),
  - **शहरी:** 6,996 रुपये (सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क प्राप्ति के लाभ को जोड़ने पर 7,078 रुपये, 8% की वृद्धि दर्ज)।
- **शहरी-ग्रामीण अंतराल:** यह 2011-12 में 84% था, जो 2023-24 में घटकर **70%** हो गया। यह कमी ग्रामीण उपभोग में वृद्धि को दर्शाता है।
- **गैर-खाद्य मदों पर बढ़ता व्यय:** परिवहन, वस्त्र, आदि पर व्यय में वृद्धि।
- **उपभोग असमानता में कमी:** गिनी गुणांक घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में 0.237 और शहरी क्षेत्रों में 0.284 हो गया।
- **राज्यों के बीच असमानता**: औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय सबसे अधिक सिक्किम में तथा सबसे कम छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया।

घरेलू उपभोग सर्वेक्षण व्यय (HCES) के बारे में

- इसे **NSSO** द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाता है। प्रारंभ में (1950-51 से) इसे **हर वर्ष** आयोजित किया जाता था। हालांकि, **26वें चक्र** से यह लगभग **प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार** आयोजित किया जाने लगा।
- **मुख्य उद्देश्य:** जीवन और कल्याण के स्तर को दर्शाना; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के विकास को सुगम बनाना; आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करना।

3.6. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY: CBDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने **'डिजिटल डॉलर'** यानी अमेरिकी **'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)'** शुरू करने के प्रस्ताव को रोकने हेतु एक कार्यकारी आदेश जारी किया।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

- यह वह मुद्रा है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध है।
- **डिजिटल मुद्राओं के 3 प्रकार**:
  - **क्रिप्टोकरेंसी**: ब्लॉकचेन लेज़र का उपयोग लेन-देन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, यह विकेंद्रीकृत है, उदाहरण- बिटकॉइन।
  - **CBDCs**: केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की गई फिएट मुद्राओं का डिजिटल रूप। यह केंद्रीकृत है, उदाहरण- डिजिटल रुपया।
  - **स्टेबलकॉइन्स**: किसी अंडरलाइंग एसेट्स के रिजर्व या एल्गोरिदम द्वारा समर्थित होती है, बाजार की मांग के आधार पर आपूर्ति; **नियंत्रण:** केंद्रीकृत या हाइब्रिड, उदाहरण: टीथर (USDT)।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में

- RBI के अनुसार **CBDC** एक **कानूनी मुद्रा है** और **केंद्रीय बैंक की देनदारी** होती है, जो **डिजिटल स्वरूप** में संप्रभु मुद्रा के रूप में जारी की जाती है और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर दर्ज होती है।
- **CBDCs के प्रकार:**
  - **होलसेल CBDCs:** इसका उपयोग बैंकों और अन्य लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के बीच किया जाता है।
  - **रिटेल CBDCs**: यह आम जनता के लिए डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप आदि के माध्यम से उपलब्ध है।
  - **रिटेल CBDC के दो मॉडल: टोकन-आधारित CBDCs:** अनाम (एनोनिमस); **अकाउंट-आधारित CBDCs**: पहचान की आवश्यकता होती है।
- **भारत का डिजिटल रुपी (e₹):** इसे **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। वर्तमान में पायलट मोड में, RBI की देयता।

CBDC के संभावित लाभ

- **वित्तीय समावेशन:** डिजिटल भुगतान सेवाओं की प्राप्ति में मदद कर सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
- **लेन-देन की लागत कम हो जाती है।**
- **नकदी पर निर्भरता में कमी;** लेन-देन का बेहतर रिकॉर्ड; भ्रष्टाचार, कर चोरी और अवैध गतिविधियों में कमी।
- **मौद्रिक नीति के प्रभाव में सुधार; सीमा-पार भुगतान दक्षता**
- **उपयोग को सीमित करने वाली प्रोग्राम की हुई पेमेंट प्रणाली।**
- **CBDCs से जुड़ी चुनौतियां**: साइबर अटैक का खतरा, निजता के उल्लंघन का खतरा, डिजिटल डिवाइड, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की चुनौतियां, मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा।

आगे की राह

- **प्राइवेसी और पारदर्शिता को संतुलित करना:** जीरो नॉलेज प्रूफ्स (ZKPs) तथा प्राइवेसी-संरक्षण डिजिटल लेजर्स समाधान जैसी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल।
  - जीरो नॉलेज प्रूफ्स एक क्रिप्टोग्राफिक पद्धति है। इसमें वास्तविक डेटा साझा किए बिना यह साबित किया जाता है कि डेटा सही है।
- **मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का एकीकरण:** CBDCs का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTs), आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **विनियामक और कानूनी फ्रेमवर्क:** सरकारों को CBDC को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
- **राष्ट्रों के बीच सहयोग और मानकीकरण:** इंटरऑपरेबिलिटी और विनियमन के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना।

3.7. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (INDIA'S DIGITAL ECONOMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **"भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप"** शीर्षक से एक व्यापक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है।

'अध्ययन रिपोर्ट' के बारे में

- यह अध्ययन **'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER)'** द्वारा जारी किया गया है।
- यह अध्ययन **OECD** एवं **ADB** द्वारा विकसित एक फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है।
  - भारत विकासशील देशों में पहला होगा जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुमान के लिए OECD फ्रेमवर्क अपनाएगा; यह अध्ययन पारंपरिक उद्योगों, जैसे- **व्यापार; बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI); और शिक्षा** में डिजिटल योगदान को भी शामिल करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है?

- यह आम तौर पर दूरसंचार, इंटरनेट, **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाओं,** हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित ICT क्षेत्रक को दर्शाता है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (2022-23) का एक अवलोकन

- **स्थिति:** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट-2024 के अनुसार, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटाइज़्ड देश है।
- **योगदान:** भारत की GDP में 402 अरब डॉलर का योगदान, इसमें कुल 14.67 मिलियन कर्मी कार्यरत हैं, जो देश के कुल अनुमानित कार्यबल का 2.55% है।
- **अनुमानित संवृद्धि:** 2024-25 तक हिस्सेदारी बढ़कर 13.42% अनुमानित है, जो कृषि और विनिर्माण क्षेत्रकों की हिस्सेदारी से अधिक होगी।

डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभ/ महत्त्व

- **निर्यात में वृद्धि:** भारत विश्व में ICT सेवाओं का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पहला स्थान आयरलैंड (2023) का है।
- **सेवा प्रदायगी में सुधार:** उदाहरण के लिए, e-Hospital और e-Sanjeevani (राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा)।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और सुगम तरीके से व्यवसाय करने को प्रोत्साहन** देती है।
- **स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा:** भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में **दुनिया में तीसरे स्थान पर** है **(2024)**।
- भारत में दुनिया के **55% से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs)** स्थित हैं।
- GCCs: ये विदेशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित केंद्र होते हैं, ताकि वे अपने मूल संगठनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर सकें।
- **असमानता को कम करना/ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए, **नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)।**

डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **सर्व-स्वीकार्य परिभाषा नहीं होना; विश्वसनीय डेटा की कमी।**
- **साइबर अटैक और साइबर अपराध:** उदाहरण के लिए, डिजिटल अरेस्ट और साइबर स्लेवरी।
- **निजता के अधिकार का उल्लंघन और चिंताएं**: उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, दुष्प्रचार, डिजिटल मोनोपोली, आदि।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** NSSO के अनुसार, 15-29 वर्ष के 70% भारतीय युवा ई-मेल के साथ फाइल अटैच नहीं कर पाते हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** भारत में सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण की वृद्धि दर धीमी है, टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मक विकास की कमी है, आदि।

आगे की राह

- **विश्वसनीय डेटा संग्रह:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमित अपडेट और विस्तृत अनुमान तैयार करना
- **डिजिटल साक्षरता और कौशल को बढ़ावा देना:** स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल करना।
- **नियमों में अनिश्चितता को कम करना:** नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर स्पष्ट नियम बनाना।
- **सभी को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना**
- **साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और डिजिटल माध्यमों पर भरोसा बढ़ाना**: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना।
- **व्यवसाय करना आसान बना**: श्रम कानूनों सहित व्यवसाय से जुड़े कानूनों की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन करना।

3.8. सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस उपचार' योजना ('CASHLESS TREATMENT' SCHEME FOR ROAD ACCIDENT VICTIMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए **"कैशलेस उपचार"** योजना शुरू की।

कैशलेस उपचार योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वित्तीय कवरेज:** सरकार सात दिनों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के उपचार खर्च को कवर करेगी, बशर्ते पुलिस को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर सूचना दी जाए।
  - अस्पतालों द्वारा किए गए उपचार के क्लेम का भुगतान **मोटर वाहन दुर्घटना निधि** से किया जाएगा।
  - दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति, **आयुष्मान भारत PM-JAY** पैकेज के तहत ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा उपचार का विकल्प चुन सकता है।
- **पात्रता:** यह योजना सभी प्रकार की सड़कों पर और मोटर वाहन से जुड़ी सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।
- **क्रियान्वयन:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा **ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) ऐप्लिकेशन** की मदद से।
- **एक्स-ग्रेशिया भुगतान:** हिट-एंड-रन मामलों में मृतक के परिवार को **2 लाख रुपये का मुआवजा** दिया जाएगा।
- **कानूनी प्रावधान: मोटर वाहन अधिनियम, 1988** की **धारा 162** के तहत।

कैशलेस उपचार योजना की आवश्यकता क्यों है?

- **सड़क दुर्घटना में उच्च मृत्यु दर:** WHO की **"सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023"** के अनुसार, भारत में 2010 से 2021 के बीच **सड़क दुर्घटनाओं में 15% की वृद्धि** दर्ज की गई, जबकि वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में 5% की गिरावट दर्ज की गई। **केवल 2024** में ही, भारत में **सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख लोगों की मौत** हो गई।
- **'गोल्डन ऑवर' में उपचार:** समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करके कई घायलों की जान बचाई जा सकती है।
- **पीड़ितों पर वित्तीय बोझ:** उपचार में अधिक खर्च होने के कारण कई बार समय पर और सही इलाज नहीं मिल पाता है।
- **आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई:** योजना प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करती है।
- **सरकारी प्रतिबद्धता:** यह पहल **भारत में 2030 तक सड़क दुर्घटना संबंधी मृत्यु दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य** के अनुरूप है। यह लक्ष्य **"संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक" अभियान** का हिस्सा है। WHO और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों ने विकसित किया है। यह योजना **स्टॉकहोम घोषणा-पत्र** और **सेफ सिस्टम अप्रोच** का समर्थन करती है।

भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां

- **उच्च मृत्यु दर और उपचार-लागत का बोझ**।
- **तेज गति और लापरवाह ड्राइविंग**: सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण ओवर-स्पीडिंग है।
- **यातायात से संबंधित कानूनों को सही से लागू नहीं करना**।
- **पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होना और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या**।
- **वाहनों में नई सुरक्षा सुविधाओं की कमी**।
- **दुर्घटना के बाद तुरंत उपचार नहीं मिलना और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध नहीं:** सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% मौत की वजह समय पर उपचार नहीं मिलना है।
- **सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए प्रमुख उपाय:** मोटर वाहन अधिनियम (2019) में संशोधन: नियमों के उल्लंघन आदि के लिए कठोर दंड; ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार; राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010)। आदि।

सिफारिशें: सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक कार्य-योजना (2021-2030) का सेफ सिस्टम अप्रोच

सेफ सिस्टम अप्रोच के तहत यह माना जाता है कि सड़कों पर लोगों से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस अप्रोच का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाए या वे गंभीर रूप से घायल नहीं हों। इस अप्रोच के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

- **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट और भूमि-उपयोग योजना:** पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल यात्रा को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षित सड़क अवसंरचना:** सड़कों को पैदल यात्री क्रॉसिंग, गति सीमाएं और अलग लेन जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिज़ाइन करना।
- **सुरक्षित वाहन:** सभी वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी अत्याधुनिक सड़क-सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य बनाना।
- **सुरक्षित सड़क उपयोग:** यातायात कानूनों को सख्त बनाना, गति प्रबंधन को मजबूत करना, तथा जागरूकता अभियान चलाना।
- **दुर्घटना के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया:** आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, ट्रॉमा केयर, और पुनर्वास सुविधाओं में सुधार करना।

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

3.9.1. भारत ने वैश्विक विप्रेषण का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त किया: विश्व बैंक (INDIA SECURES 14.3% OF GLOBAL REMITTANCES: WORLD BANK)

विश्व बैंक के अनुसार, भारत ने **2024 में कुल वैश्विक रेमिटेंस का 14.3% हिस्सा प्राप्त** किया, जो अब तक का सबसे अधिक हिस्सा है।

- विदेश में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में अपने परिवारों को भेजी जाने वाली धनराशि को '**रेमिटेंस**' कहा जाता है।

रेमिटेंस संबंधी ट्रेंड्स

- **2024 में शीर्ष पांच प्राप्तकर्ता:** भारत (2024 में 129 बिलियन डॉलर और 2023 में 125 बिलियन डॉलर), मैक्सिको, चीन, आदि।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रेमिटेंस का स्तर 5.8% की वृद्धि दर के साथ 685 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।
- 2024 में चीन ने वैश्विक रेमिटेंस का केवल **5.3% हिस्सा** ही प्राप्त किया। यह पिछले **दो दशकों में सबसे कम** है।

भारत को अधिक रेमिटेंस प्राप्त होने की वजहें

- **विदेशों में अधिक भारतीय प्रवासी: संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024** के अनुसार, 2023 तक 18 मिलियन भारतीय विदेश में रह रहे थे।
- **नये गंतव्य देशों में प्रवास:** ज्यादातर भारतीय प्रवासी अब तेजी से **USA, UK और ऑस्ट्रेलिया** जैसे उच्च आय वाले देशों में प्रवास कर रहे हैं।
- **कुशल और अकुशल कार्यबल।**

अधिक रेमिटेंस प्राप्ति का महत्त्व

- **प्राप्तकर्ता परिवारों के लिए महत्त्व**: इसका उपयोग भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए किया जाता है।
- **व्यापक आर्थिक महत्त्व:** विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना; चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण।

3.9.2. भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है: विश्व बैंक (INDIA REMAINS THE FASTEST-GROWING ECONOMY: WORLD BANK)

विश्व बैंक की हालिया **ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट** में **21वीं सदी** के पहले 25 वर्षों के **दौरान** विश्व की अर्थव्यवस्था का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **EMDEs के प्रभाव में वृद्धि:** वर्ष 2000 से 2025 के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में **उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs)** की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है। इसमें **EM3 देश (चीन, भारत और ब्राजील)** अग्रणी एवं नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं।
- **आर्थिक संवृद्धि के मामले में भारत अग्रणी:** भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी **6.7% की वार्षिक वृद्धि** होने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाने वाले संकेतक

- **अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का मजबूत प्रदर्शन:**
  - **सेवा क्षेत्रक:** इस क्षेत्रक में निरंतर विस्तार हो रहा है। इससे सेवा निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है।
  - **विनिर्माण:** सरकार की विभिन्न पहलों से विनिर्माण को बढ़ावा मिला है।
- **मजबूत आर्थिक आधार:**
  - **राजकोषीय स्थिति:** भारत के राजकोषीय घाटे में कमी और कर राजस्व में वृद्धि हुई है।
  - **निवेश परिदृश्य:** निजी निवेश में वृद्धि के साथ-साथ निवेश में निरंतरता।
  - **खपत की स्थिति: श्रम बाजार में मजबूती, ऋण वितरण में वृद्धि और मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण निजी उपभोग में** वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। **सरकारी खर्च में वृद्धि सीमित** रह सकती है।

चुनौतियां: बढ़ता संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक तनाव, कर्ज का बढ़ता बोझ और जलवायु परिवर्तन से संबंधित हानि। सफलता के लिए निवेश, उत्पादकता और मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की आवश्यकता होती है।

3.9.3. RBI के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल (T-बिल) के माध्यम से 3.94 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी {GOVERNMENT TO BORROW RS 3.94 LAKH CRORE VIA TREASURY BILLS (T-BILLS)}

हाल ही में, RBI ने **T-बिल जारी करने के लिए कैलेंडर** अधिसूचित किया। ट्रेजरी बिल यानी **T-बिल एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूति (G-Sec)** है।

भारत में सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) बाजार

- **सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के बारे में:** ये केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी जाने वाले जाने वाला लेनदेन योग्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये प्रतिभूतियां सरकार पर ऋण दायित्व के समान हैं।
- **जारीकर्ता:** RBI इन्हें **ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म** पर जारी करके इनकी नीलामी करता है। RBI की **पब्लिक डेब्ट रजिस्ट्री (PDO)** इन प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है।
- **प्रमुख भागीदार:** वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, आदि।

सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के प्रकार

- **अल्पावधिक प्रतिभूतियां:** ये **एक वर्ष से कम समय में मैच्योर** हो जाती हैं। **T-बिल** इसका उदाहरण है।
  - **ट्रेजरी बिल (T-बिल)**: भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली **मनी मार्केट और अल्पावधिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या ऋण प्रतिभूति** है। उदाहरण- **जीरो कूपन बॉण्ड या प्रतिभूतियां** जिन पर कोई **ब्याज देय नहीं**। **जीरो कूपन बॉण्ड को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी** किया जाता है। तीन मैच्योरिटी अवधियों वाली, 91-दिन, 182 दिन और 364 दिन।
  - **नकद प्रबंधन बिल (CMBs)**: अल्पावधि (91 दिनों से कम **अवधि** में मैच्योर) वाली प्रतिभूतियां।
- **दीर्घावधिक प्रतिभूतियां:** ये **एक वर्ष या इससे अधिक वर्षों में मैच्योर** होती हैं। इनके उदाहरण हैं- **सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां।**
  - **दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां:** ब्याज दर डे अर्धवार्षिक आधार पर, ब्याज दर या तो निश्चित होती है या बदलती रहती (फ्लोटिंग) हैं, ये प्रतिभूतियां 5 से 40 वर्ष में मैच्योर होती हैं।
  - **SDL**: अर्धवार्षिक ब्याज के भुगतान के साथ राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां।

नोट: भारत में **केंद्र सरकार T-बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां**, दोनों जारी करती है। वहीं **राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां** जारी करती हैं, जिन्हें **SDL** कहा जाता है।

3.9.4. RBI ने 2024-25 के लिए अपर लेयर (NBFC-UL) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) की सूची जारी की (RBI RELEASES LIST OF NBFCS IN THE UPPER LAYER (NBFC-UL) FOR 2024-25)

- इस सूची में **LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** आदि शामिल हैं। यह सूचीकरण NBFCs के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क यानी **स्केल बेस्ड रेगुलेशन (SBR)** पर आधारित है।
  - एक बार जब किसी NBFC को NBFC-UL के रूप में वर्गीकृत कर लिया जाता है, तो उसे **कम-से-कम 5 साल की अवधि के लिए कठोर विनियामक आवश्यकता का पालन** करना होता है।
- इस फ्रेमवर्क को **प्रणालीगत जोखिमों को कम करने, विनियमन में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने** के लिए पेश किया गया है।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी:** कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत; ऋण देने की गतिविधियों में संलग्न; मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती (केवल सावधि जमा स्वीकार करती है), चेक जारी नहीं कर सकती।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के लिए स्केल आधारित विनियमन फ्रेमवर्क:** बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर।

3.9.5. बैंकनेट/ BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क) {BAANKNET (BANK ASSET AUCTION NETWORK)}

वित्त मंत्रालय ने एक नया ई-नीलामी पोर्टल **'बैंकनेट'** लांच किया।

बैंकनेट के बारे में

- यह **सभी सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से ई-नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित** करता है। साथ ही, यह खरीदारों और निवेशकों को परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक **वन-स्टॉप गंतव्य भी प्रदान** करता है।
- **सूचीबद्ध परिसंपत्तियों में शामिल हैं:** आवासीय परिसंपत्तियां: जैसे फ्लैट, मकान और भूखंड; वाणिज्यिक परिसंपत्तियां; औद्योगिक भूमि व भवन, दुकानें; आदि।
- इस प्लेटफॉर्म से **संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को पुनः स्थापित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने** की उम्मीद है।

3.9.6. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PREPAID PAYMENT INSTRUMENTS: PPI)

RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) धारकों को **थर्ड-पार्टी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिये भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति** दी है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के बारे में

- PPIs वास्तव में अग्रिम रूप से जमा पैसे या वैल्यू के बदले में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, पैसा भेजने जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण- **मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड, आदि।**
- **PPIs बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों** द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
  - **इनके दो प्रकार हैं: लघु PPIs** (ये PPI धारक से बहुत कम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं) तथा **KYC संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर जारी किए जाने वाले PPIs**

3.9.7. खाद्य असुरक्षा को कम करने में व्यापार की भूमिका (ROLE OF TRADE IN REDUCING FOOD INSECURITY)

यू.एन. ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती UNCTAD) की एक रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा को कम करने और अकाल को रोकने में व्यापार की भूमिका की जांच की गई।

व्यापार की भूमिका

- **संधारणीय आपूर्ति से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है:** उदाहरण के लिए अफ्रीका की 30% अनाज की जरूरतें आयात के जरिए पूरी होती हैं।
- **कीमतों और बाजारों को स्थिर करना:** उदाहरण के लिए- **ब्लैक सी पहल** (**संयुक्त राष्ट्र व तुर्किये** की मध्यस्थता में संपन्न; भोजन और उर्वरक के लिए)।
- आर्थिक विकास, गरीबी में कमी।

चुनौतियां

- **उच्च लागत:** उदाहरण: गैर-टैरिफ उपाय; **आयात पर अत्यधिक निर्भरता; परिवहन की बढ़ती लागत।**

सिफारिशें

- **गंभीर खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए अल्पकालिक निर्यात सुविधा तंत्र** पर वार्ता।
- व्यापार बाधाओं को कम करना, खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे देशों की **निर्यात क्षमता को बढ़ावा** देना।
- **बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्क तथा भंडारण सुविधाओं जैसी व्यापार संबंधी अवसंरचना में निवेश** करना।
- विकासशील देशों में **जलवायु-स्मार्ट और संधारणीय खेती का समर्थन** करना चाहिए।

3.9.8. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) नीति {REVISED OPEN MARKET SALE SCHEME (DOMESTIC) POLICY FOR 2024-25}

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा घोषित इस नीति का उद्देश्य **खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना और इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा** देना है।

- राज्य सरकारों, कॉर्पोरेशंस और सामुदायिक रसोई को **चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2,250 रुपये प्रति क्विंटल; ई-नीलामी की आवश्यकता नहीं। इथेनॉल डिस्टिलरी को चावल की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 2,250 प्रति क्विंटल** तय किया गया है।

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) क्या है?

- **परिचय:** इस योजना के तहत, **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** केंद्रीय पूल से अतिरिक्त अनाज (गेहूं और चावल) को **पहले से तय कीमतों पर ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार** में बेचता है।
- **उद्देश्य:** अनाज की बाजार कीमतों को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति में वृद्धि को रोकना।
- **पात्रता:** इस योजना में **गेहूं उत्पादों के प्रोसेसर/ आटा चक्की/ फ्लोर मिलर** भाग ले सकते हैं। हालांकि, **व्यापारियों/ थोक खरीदारों को ई-नीलामी के माध्यम से अनाज की खरीद की अनुमति नहीं** है।
  - आमतौर पर, **राज्य सरकारों को भी नीलामी में भाग लिए बिना खाद्यान्न की खरीद की अनुमति** दी जाती है।
- **FCI के बारे में:** खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय; केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत; **उद्देश्य:** न्यूनतम मूल्य समर्थन, कुशल खाद्यान्न वितरण, बफर स्टॉक को बनाए रखना।

3.9.9. प्रोजेक्ट विस्तार (Project VISTAAR)

IIT- मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार (VISTAAR) के लिए केंद्रीय **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी** की है।

- यहां **VISTAAR से आशय है: वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज।.**

प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में

- यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सभी नेटवर्कों का एक नेटवर्क** है। इस पर प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का कृषि-सलाहकार नेटवर्क बना सकता है।
- यह **महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को बिना बाधा के प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक व्यापक नेटवर्क** है। यह अलग-अलग डेटाबेस को जोड़ता है।
- **उद्देश्य:** कृषि संबंधी बेहतर निर्णय लेने और संसाधन के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना।
- **महत्त्व:**
  - यह नेटवर्क कृषि क्षेत्रक के अधिक हितधारकों तक फसल उत्पादन, बिक्री, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर उत्कृष्ट सलाहकार सेवाएं पहुंचाएगा।
  - यह नेटवर्क किसानों को उनके लिए आवश्यक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

3.9.10. "लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024" रिपोर्ट जारी की गई {LOGISTICS EASE ACROSS DIFFERENT STATES (LEADS) 2024' REPORT RELEASED}

लीड्स रिपोर्ट 2024, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा जारी की गई है।

लीड्स (LEADS) के बारे में

- **उद्देश्य:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - लीड्स को **विश्व बैंक** के **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** की तर्ज पर **2018** में विकसित किया गया था।
    - विश्व बैंक का LPI पूरी तरह से **धारणा-आधारित सर्वेक्षणों** पर निर्भर है। इसके विपरीत, लीड्स में धारणा के साथ-साथ **वस्तुनिष्ठ माप (Objectivity)** भी शामिल है।
- **मापदंड:** चार मुख्य आधारों पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है: संधारणीय लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, परिचालन और विनियामकीय परिवेश तथा लॉजिस्टिक्स सेवाएं।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां:** चार समूहों में वर्गीकृत- तटीय, स्थलरुद्ध, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश।
- **2024 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन-**
  - **अचीवर्स:** गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़, आदि।
  - **फास्ट मूवर्स:** आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आदि।
  - **एस्पायरर्स:** केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़, आदि।

3.9.11. एंटिटी लॉकर (ENTITY LOCKER)

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग** ने **एंटिटी लॉकर** विकसित किया है।

एंटिटी लॉकर के बारे में

- यह **सुरक्षित और क्लाउड-आधारित समाधान** है। यह **बड़े संगठनों, निगमों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों** आदि के लिए **डाक्यूमेंट्स को स्टोर, साझा एवं सत्यापन करना आसान बनाता है।**
- यह भारत के **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- **एंटिटी लॉकर ऑफर:**
  - सरकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से डाक्यूमेंट्स को **रियल टाइम आधार पर प्राप्त और सत्यापित** किया जा सकता है।
  - गोपनीय जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट के धारक की **सहमति प्राप्त करना अनिवार्य** किया गया है।
  - डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए **आधार नंबर से सत्यापन** किया जाएगा, ताकि भविष्य में गड़बड़ी होने पर जवाबदेही तय की जा सके।
  - इसमें **10GB की एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज सुविधा** उपलब्ध होगी। साथ ही डाक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के लिए कानूनी रूप से **वैध डिजिटल सिग्नेचर** की आवश्यकता होगी।

3.9.12. Z मोड़ सुरंग (सोनमर्ग सुरंग) {Z MORH TUNNEL (SONAMARG TUNNEL)}

प्रधान मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में गांदरबल के सोनमर्ग क्षेत्र में Z-मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया।

Z-मोड़ सुरंग के बारे में

- इस सुरंग के निर्माण की शुरुआत 2015 में BRO (सीमा सड़क संगठन) द्वारा की गई थी। बाद में, इसके निर्माण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने ले ली।
- यह दो-लेन वाली सड़क सुरंग 8,650 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। इसमें आपात स्थिति के लिए 7.5 मीटर चौड़ा समानांतर बचाव मार्ग (Escape passage) भी बनाया गया है।
- **सोनमर्ग सुरंग परियोजना कुल 12 किलोमीटर** की है। इसमें 6.4 कि.मी. लंबी मुख्य सुरंग (Z-मोड़), एक निकास सुरंग और एप्रोच मार्ग शामिल हैं।
- **महत्व:**
  - सभी मौसमों के लिए कनेक्टिविटी; पर्यटन को बढ़ावा; स्थानीय लोगों के लिए आजीविका; आदि।

3.6.13. बनिहाल बाईपास (BANIHAL BYPASS)

बनिहाल बाईपास का **निर्माण पूरा** हो चुका है।

बनिहाल दर्रे के बारे में

- यह दर्रा **जम्मू और कश्मीर में NH-44 के 2.35 किमी लम्बे सड़क खंड का हिस्सा है।**
  - NH-44 **भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।** इसे पहले **NH-7** के नाम से भी जाना जाता था।
  - यह राजमार्ग **3,745 किलोमीटर लंबा** है और जम्मू-कश्मीर के उत्तरी छोर पर स्थित **श्रीनगर** को भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित **कन्याकुमारी से जोड़ता है।**
- यह बाईपास **सुरक्षा बलों के लिए तेज और सुगम आवागमन** को सुनिश्चित करेगा। यह **खरपोरा, बनिहाल और नवयुग सुरंग** के बीच यात्रा का समय घटाकर मात्र **7 मिनट** कर देगा।

3.9.14. अंजी खड्ड पुल (ANJI KHAD BRIDGE)

भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल-स्टेड रेल पुल अंजी खड्ड पुल के पूरा होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है।

अंजी खड्ड पुल: मुख्य विवरण

- **स्थान:** जम्मू और कश्मीर के **रियासी जिले** में स्थित **उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना** का हिस्सा है।
- **आयाम: लंबाई-** 725.5 मीटर; **ऊंचाई-** यह **अंजी नदी (चेनाब की एक सहायक नदी)** से 331 मीटर ऊपर है।
- **महत्त्व: कटरा और कश्मीर घाटी** के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा; जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद।

4.1 इंटरपोल (INTERPOL)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत समेत 52 देश शामिल हैं। साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरपोल से बिना बाधा के संपर्क स्थापित करने के लिए **भारतपोल पोर्टल (BHARATPOL portal)** भी लांच किया।

भारतपोल पोर्टल के बारे में

- **पोर्टल:** यह CBI द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है।
  - इसके जरिए **भारत में प्रत्येक जांच एजेंसी और पुलिस बल इंटरपोल के साथ सहजता से जुड़ सकेंगे।**
- **पांच प्रमुख मॉड्यूल्स:**
  - **कनेक्ट:** इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-नई दिल्ली) की विस्तार एजेंसी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।
  - **इंटरपोल नोटिस:** इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी करने के अनुरोधों का प्रसार।
  - **रेफरेंस:** यह इंटरपोल के अन्य 195 सदस्य देशों (भारत सहित 196 सदस्य) के डेटा एवं रेफरेंस प्राप्त करने में मदद करेगा।
  - **ब्रॉडकास्ट:** सहायता के लिए अनुरोध तुरंत उपलब्ध होंगे।
  - **रिसोर्स:** यह मॉड्यूल डाक्यूमेंट्स के आदान-प्रदान और प्रबंधन को आसान बनाता है।
- **भारतपोल (BHARATPOL) का महत्त्व:** कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि, रीयल-टाइम इंटरफ़ेस, त्वरित कार्रवाई और 19 प्रकार के डेटाबेस तक पहुँच।

इंटरपोल के बारे में

- **स्थापना:** इसका गठन 1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था।
  - वर्ष 1956 में नये संविधान को अपनाने के बाद इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया।
- **सदस्य: 196 देश** (भारत सहित)। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- **मुख्यालय:** ल्योन (फ्रांस)।
- **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCBs):** सदस्य देशों के मध्य संपर्क बिंदु के रूप में स्थापित।
  - भारत ने CBI को इंटरपोल का NCB नामित किया है।
- **शासी निकाय:** महासभा और कार्यकारी समिति।

इंटरपोल नोटिस के प्रकार

- **रेड नोटिस**
  वांछित (Wanted) व्यक्ति के लोकेशन का पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए
- **ब्लू नोटिस**
  किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए
- **ग्रीन नोटिस**
  किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए
- **पर्पल नोटिस**
  आपराधिक तरीकों या अपराधियों की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
- **इंटरपोल-UNSC विशेष नोटिस**
  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति के प्रतिबंधों के अधीन संस्थाओं के लिए
- **येलो नोटिस**
  लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए
- **ब्लैक नोटिस**
  अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
- **ऑरेंज नोटिस**
  सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आकस्मिक खतरे की चेतावनी देने के लिए
- **सिल्वर नोटिस (पायलट चरण)**
  आपराधिक संपत्तियों की पहचान और पता लगाने के लिए

- **इंटरपोल सदस्यता प्रक्रिया:** इच्छुक देश आवेदन करता है, आवेदन की समीक्षा महासभा द्वारा की जाती है, महासभा में आवेदन पर वोटिंग की जाती है, 2/3 मत (मतदान में भाग न लेने वालों को छोड़कर) प्राप्त करना अनिवार्य है और स्वीकृत देश इंटरपोल का सदस्य बन जाता है।
- **नोटिस:** इंटरपोल के **कलर कोडेड नोटिस**, सदस्य देशों के लिए **सहयोग या अलर्ट** के लिए जारी किए गए **अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध** होते हैं।

इंटरपोल में भारत की भूमिका

- **NCB के रूप में CBI: CBI,** भारत में इंटरपोल हब के रूप में कार्य करती है। यह इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (ILO) और यूनिट अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की एजेंसियों को इंटपोल से जोड़ती है।
- **ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर (GOC):** नई दिल्ली में स्थित, हर समय (24x7) **अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों में कार्रवाई में सहायता** करता है।
- **इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023:** भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर के युवा पुलिस लीडर्स को प्रशिक्षित करना तथा उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग की आवश्यकता क्यों है?

- **अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति:** मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध, तस्करी जैसे अपराध किसी एक राष्ट्र की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहते हैं। सहयोग के उदाहरण- इंटरपोल ने साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन HAECHI शुरू किया।
- **नए युग की आपराधिक गतिविधियों से निपटना:** साइबर अपराध और तस्कर वैश्विक कानून में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हैं। सहयोग के उदाहरण-ऑपरेशन सेरेन्गेटी (2024) के तहत अफ्रीका के 19 देशों में 1,000 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया।
- **आतंकवाद-रोधी प्रयास:** आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण है।
- **विधिक सहायता:** ऑपरेशन फ्लैश-वेका ने 54 देशों को मानव तस्करी के खिलाफ एकजुट किया।
- **संसाधनों का इष्टतम उपयोग:** संसाधनों को एकत्रित करने से अपराध से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।

अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग में मौजूद बाधाएं

- **कानून और प्रक्रियाओं में अंतर:** देशों के अलग-अलग कानून और मानक जांच प्रक्रिया में बाधा डालते हैं।
- **संस्कृति से जुड़ी बाधाएं:** अलग-अलग भाषा और संस्कृति जांच में बाधा डालती है, अधिक भ्रष्टाचार विश्वास को कम करते हैं।
- **संसाधनों की कमी:** असमान तकनीकी क्षमताओं के कारण सूचना साझा करने में समस्या।
- **राजनीतिक उदासीनता:** तनाव और परस्पर विरोधी हित सहयोग में बाधा डालते हैं।

4.2. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा {DRAFT DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION (DPDP) RULES 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम)'** को लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया।

DPDP अधिनियम, 2023 की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में **के. एस. पुट्टास्वामी** फैसले में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- **2017 में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण समिति** ने डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच की।
- MeitY ने **DPDP विधेयक 2022 का मसौदा** जारी किए। बाद में यह मसौदा DPDP अधिनियम, 2023 के रूप में लागू हुआ।

मजबूत डेटा प्रबंधन नीतियों/ अधिनियम के लाभ

- **मजबूत डेटा प्रबंधन नीतियां** डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और रोजगार आदि को प्रोत्साहित करती हैं।
- यह **सूचना** की **गोपनीयता** और विनियमन को बढ़ाती है तथा सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करती है।

DPDP नियम, 2025 के मुख्य सिद्धांत

- **नोटिस की आवश्यकता:** डेटा फिड्यूशरी (डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई) को डेटा उपयोगकर्ता को स्पष्ट और व्यापक नोटिस प्रदान करना अनिवार्य है।
- **व्यक्तिगत डेटा की चोरी की सूचना:** डेटा फिड्यूशरी को प्रभावित डेटा उपयोगकर्ता और बोर्ड को डेटा की चोरी की सूचना देनी चाहिए।
- **व्यक्तिगत डेटा को हटाना:** यदि डेटा उपयोगकर्ता निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर डेटा फिड्यूशरी से संपर्क नहीं करता है, तो उन्हें व्यक्तिगत डेटा को हटाना होगा।
- **सीमा पार डेटा स्थानांतरण:** केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने पर ही भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण किया जा सकता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- **इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य**, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करना है।
- यह निम्नलिखित प्रावधान करके **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा** (अर्थात; डिजिटल रूप में व्यक्तिगत डेटा) की सुरक्षा सुनिश्चित करता है:
  - डेटा फिड्युशियरी के दायित्व; डेटा प्रिंसिपल और कंसेंट मैनेजर (डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास आधिकारिक रूप से पंजीकृत व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य;
  - अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान

विशिष्टताएं	विवरण
लागू होना (Applicability)	भारत के लोगों के डेटा को भारत के बाहर प्रोसेसिंग करना, यदि ये डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं के वितरण के लिए प्राप्त की जाती है। व्यक्तिगत उपयोग के मामले में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के उपयोग को छूट दी गई है।
सहमति (Consent)	डेटा प्रिंसिपल द्वारा दी गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को वैध उद्देश्य के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। सहमति वापस लेने का अधिकार। सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण हेतु या आपात स्थितियों में डेटा के उपयोग को इस प्रावधान से छूट। किसी बालक या दिव्यांग जन के मामले में माता-पिता की सहमति लेनी आवश्यक।
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड	नियमों के अनुपालन की निगरानी करना और उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना, व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना। दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण में अपील की जा सकेगी।
डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य	**अधिकार:** डेटा प्राप्ति, डेटा में सुधार करने, डेटा हटाने, शिकायत निवारण का अधिकार। कर्तव्य: कोई झूठी शिकायत नहीं: 10,000 रुपये तक का जुर्माना।
डेटा फिड्युशियरी के दायित्व	डेटा की सटीकता, सुरक्षा, उल्लंघन की सूचना देना तथा उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद डेटा को डिलीट करना सुनिश्चित करना।
महत्वपूर्ण डेटा फिड्युशियरी	डेटा की मात्रा, संवेदनशीलता और जोखिमों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। डेटा सुरक्षा अधिकारी, डेटा ऑडिटर नियुक्त करने होंगे और प्रभाव आकलन करना होगा।
माता-पिता की सहमति	बच्चों के डेटा का सत्यापन योग्य सहमति: 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए नुकसानदेह प्रोसेसिंग/ विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।
अधिनियम के तहत दी गई छूट	सुरक्षा, अनुसंधान, स्टार्ट-अप, कानून प्रवर्तन और विदेशी अनुबंधों को लागू करने के मामले में अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। केंद्र सरकार अतिरिक्त मामलों में भी छूट दे सकती है।

DPDP अधिनियम से जुड़ी समस्याएं:

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन** और कुछ प्रकार के **अधिकारों को नहीं दिया जाना।**
- **देश के बाहर डेटा भेजना:** यह अधिनियम बिना किसी की प्रतिबन्ध के देश से बाहर डेटा भेजने की अनुमति देता है।
- **सरकारी एजेंसियों को छूट देना, निजता के उल्लंघन का खतरा** तथा **नुकसान को रोकने हेतु विनियमन का अभाव।**
- **डेटा संरक्षण बोर्ड की स्वतंत्रता:** बोर्ड के सदस्यों का केवल दो साल का कार्यकाल होना और उनकी फिर से नियुक्ति के प्रावधान उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इससे उनके कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- **विश्व की सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को अपनाना, द्विपक्षीय समझौतों को प्रोत्साहित करना:**
- **नियमों में निरंतर बदलाव:** आवश्यकता का आधार पर फ्रेमवर्क में समय-समय पर बदलाव लाना, भागीदारी के आधार पर **अपनाने योग्य नियम बनाने के लिए विशेष** टास्क फोर्स गठित करना और संप्रभुता जैसे शब्दावलियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए।

4.3. तटीय सुरक्षा योजना (COASTAL SECURITY SCHEME)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा योजना (CSS) के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान इसमें मौजूद कई कमियों को रेखांकित किया है।

तटीय सुरक्षा योजना के बारे में

- यह योजना **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 2005 में** तैयार की थी।
- **योजना के चरण**
  - **चरण-I (2005-2011): तटीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना स्थापित करना।
  - **चरण- II (2011-2020): खतरों/ कमियों के विश्लेषण** के आधार पर।
  - **चरण-III:** वर्तमान में केंद्र सरकार इस चरण की **प्रक्रिया** तैयार कर रही है।
- **भारत में तटीय सुरक्षा का महत्त्व**
  - **व्यापार मार्गों एवं बंदरगाह अवसंरचना को सुरक्षित करना:** 12 प्रमुख बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह।
  - **मात्स्यिकी और मछुआरा समुदाय:** भारत, विश्व का 7वां सबसे बड़ा समुद्री-मछली उत्पादक देश है।
  - **आतंकवाद से खतरा:** उदाहरण के लिए, नवंबर 2008 में मुंबई के आतंकी हमले समुद्री मार्ग से हुए थे।

भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र के समक्ष चुनौतियां

- **स्थलाकृति:** भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है। यह भारत में अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए- गुजरात में हरामी नाला।
- **भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में कार्यबल की कमी:** भर्ती में देरी और और सीमित क्षमताएँ।
- **प्रशिक्षण की कमी:** तटीय गश्त और समुद्री युद्ध अभियानों में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
- **अवसंरचना की कमी:** कार्यालयों, हथियारों, नावों और जहाजों की कमी। CAG ने 2008 के मुंबई हमलों के बाद कमियों पर प्रकाश डाला।
- **व्यवस्था में खामियां:** अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद; समन्वय की कमी।
- **मछुआरों के नौकाओं की निगरानी: 300,000 से अधिक पंजीकृत** नौकाओं में खतरे वाले नौकाओं की पहचान मुश्किल है। उदाहरण के लिए- मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों को मछुआरों की नौकाओं से महाराष्ट्र लाया गया था।

तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **समुद्री सुरक्षा का आधुनिकीकरण: नौसेना, तटरक्षक बल और मरीन पुलिस को नए उपकरणों** (जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, रडार और सैटेलाइट्स) से लैस किया जा रहा है।
  - उदाहरण के लिए, अंडमान और निकोबार कमान (एकीकृत बल) का गठन और प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत आईएनएस कदंब परियोजना।
- **तटीय निगरानी नेटवर्क,** NC3I और राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना 'एकीकृत समुद्री डोमेन जागरूकता' प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **NC3I की स्थापना** नौसेना और तटरक्षक बल के परिचालन केंद्रों को जोड़ने के लिए की गई है।
- **समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय समिति,** संयुक्त संचालन केंद्र और तटीय सुरक्षा संचालन केंद्र सहयोग को बढ़ाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सागर पहल और IONS और IORA जैसे फोरम्स।

4.4. दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय) नियम, 2024 {TELECOMMUNICATIONS (PROCEDURES AND SAFEGUARDS FOR LAWFUL INTERCEPTION OF MESSAGES) RULES, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं, जो भारत में टेलीफोन इंटरसेप्शन की अनुमति देता है।

नए नियम 2024 के मुख्य प्रावधान

- **कानूनी आधार:** ये नियम **दूरसंचार अधिनियम, 2023** की धारा 56 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियमावली, 1951 के **नियम 419 और 419A** की जगह लेंगे।
- **अधिकृत एजेंसियां:** केंद्र सरकार लोक-आपातकाल या लोक-सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी) से जुड़ी चिंताओं के मामलों में मैसेज को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को अधिकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारी या संस्था से अनुमति लेना आवश्यक है।

दूरसंचार नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र- संदेशों के कानूनी इंटरसेप्शन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय

- **प्राधिकरण:** केवल संयुक्त सचिव या उससे उच्च अधिकारी ही 7 दिनों के भीतर पुष्टि के साथ आदेश दे सकते हैं।
- **सुरक्षा उपाय और समीक्षा:** इंटरसेप्शन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अन्य तरीके से सूचना प्राप्त न की जा सके; केंद्रीय (अध्यक्ष: कैबिनेट सचिव; सदस्य: विधि मामले, दूरसंचार सचिव) या राज्य (अध्यक्ष: मुख्य सचिव; सदस्य: विधि मंत्रालय के सचिव, राज्य सरकार के अन्य सचिव) समितियों द्वारा 7 दिनों के भीतर समीक्षा की जाती है।
- **वैधता अवधि:** आरंभिक 60 दिन, नवीनीकरण के साथ अधिकतम 180 दिन।
- **डेटा को समाप्त करना:** रिकॉर्ड हर 6 महीने में नष्ट किया जाना आवश्यक है

भारत में फोन इंटरसेप्शन की वैधता

- **दूरसंचार अधिनियम 2023:** इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 को निरस्त कर दिया।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम 2000:** यह कानून **डेटा के सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन** को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है।
- **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (1996) वाद:** सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग को **वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन** माना।

फोन इंटरसेप्शन नियमों से जुड़ी चिंताएं

- **निजता के अधिकार का उल्लंघन:** इससे **एन्क्रिप्टेड सिस्टम भी निगरानी में आ सकते हैं**।
- **स्पष्टता का अभाव:** सार्वजनिक आपातकाल की परिभाषा का अभाव।
- **शक्तियों का केंद्रित होना:** यह सरकार की कार्यकारी शाखा को **फोन इंटरसेप्शन का आदेश** जारी करने और इस आदेश की समीक्षा करने, दोनों प्रकार की शक्ति देता है।
- **कुछ मामलों में रिकार्डेड डेटा को अनिश्चित काल तक रखने** और **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के लिए सुरक्षा की कमी।**
- **जवाबदेही का अभाव**

आगे की राह

- यह सुनिश्चित करना कि फोन सर्विलांस का आदेश केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दी गई हो, न कि राजनीतिक मंशा से।
- **स्वतंत्र ओवरसाइट-संस्था की स्थापना करना।**
- **TSPs को सुरक्षा एवं समय-समय पर ऑडिट के माध्यम से जवाबदेही तय करना।**

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

4.5.1. रक्षा मंत्रालय ने 2025 को 'सुधारों का वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की (MINISTRY OF DEFENSE DECLARES 2025 AS 'YEAR OF REFORMS')

रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का उद्देश्य सशस्त्र बलों को **एडवांस तकनीक से लैस करके उनका आधुनिकीकरण** करना है। इससे उन्हें मल्टी डोमेन में सक्षम **'कॉम्बैट-रेडी यानी युद्ध-तत्पर बल'** बनाया जा सकेगा।

सुधारों के लिए ध्यान देने हेतु पहचाने गए क्षेत्र

- **एकीकृत थिएटर कमान (ITC)** तथा **नई प्रौद्योगिकियां और नए युद्ध क्षेत्र**।
- **व्यवसाय करना आसान बनाना** तथा **पी.पी.पी. के माध्यम** से **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा** करना।
- **नागरिक-सैन्य समन्वय** तथा **रक्षा निर्यात और अनुसंधान एवं विकास** द्वारा **सहयोग**।

4.5.2. वारफेयर में अग्रणी प्रौद्योगिकियां (FRONTIER TECHNOLOGIES IN WARFARE)

रक्षा मंत्री ने कहा कि **"फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना समय की मांग है"**।

- अग्रणी प्रौद्योगिकियां, जैसे- **AI, प्रॉक्सी युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और साइबर हमले** आदि देशों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं।
- **वारफेयर में उपयोग की जाने वाली अग्रणी प्रौद्योगिकियां:** AI आधारित वारफेयर, जैसे- AI संचालित ड्रोन; इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, अंतरिक्ष युद्ध जैसे एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियार और साइबर हमले।
- **भारत द्वारा रक्षा AI परिषद (DAIC)** और **रक्षा AI परियोजना एजेंसी (DAIPA)** के माध्यम से अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाना; एआई-आधारित चेहरे की पहचान के लिए प्रोजेक्ट सीकर इत्यादि।
- **अग्रणी प्रौद्योगिकी से जुड़ी चिंताएं:** अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को **चुनौतियां**, कानून की कमियाँ, दोहरे उपयोग की दुविधा तथा कुछ अन्य मुद्दे जैसे- एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह (किसी नृजाति या समुदाय के प्रति भेदभाव) का खतरा आदि।

रक्षा क्षेत्रक का आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई पहलें

निजी क्षेत्रक और MSMEs की भागीदारी को बढ़ावा देना: स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए iDEX योजना और सृजन (SRIJAN) पोर्टल लॉन्च किया गया है।

उदार FDI नीति: आधुनिक तकनीक प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्रक में FDI सीमा बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से FDI सीमा बढ़ाकर 100% की गई है।

4.5.3. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (INDIAN CYBER-CRIME COORDINATION CENTRE)

हाल ही में, **केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों से वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ एकीकरण** को पूरा करने को कहा।

'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' के बारे में

- **मंत्रालय:** इसे **केंद्रीय गृह मंत्रालय** के तहत स्थापित किया गया है।
- **उद्देश्य:** साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए एक **केंद्रीय हब** के रूप में कार्य करना; प्रारंभिक चेतावनी और सक्रिय उपाय प्रदान करना, जन जागरूकता और पुलिस आदि के लिए क्षमता निर्माण में मदद करना।

4.5.4. पिग बुचरिंग स्कैम (PIG-BUTCHERING SCAM)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में **"पिग बुचरिंग स्कैम" या "निवेश घोटाला"** नाम के नए साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों को आगाह किया।

पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में

- इसमें बड़े पैमाने पर **मनी लॉन्ड्रिंग** और यहां तक कि **साइबर गुलामी** भी शामिल है।
- इसमें साइबर अपराधी समय के साथ **किसी व्यक्ति पर विश्वास कायम** करते हैं। उन्हें **किसी आकर्षक योजना में निवेश शुरू करने और इसे बढ़ाते रहने के लिए राजी** किया जाता है। भरोसा कायम करने के बाद **वे पैसा लेकर गायब** हो जाते हैं।

4.5.5. नौसैनिक लड़ाकू पोत- INS सूरत, INS नीलगिरि और INS वाघशीर राष्ट्र को समर्पित (NAVAL COMBATANTS – INS SURAT, INS NILGIRI AND INS VAGHSHEER COMMISSIONED)

स्वदेशी रूप से विकसित **एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन** किया गया। यह नौसेना के लिए स्वदेशीकरण और समुद्री सुरक्षा में ग्लोबल लीडर बनने के भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तीन अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू पोतों के बारे में

- **INS सूरत:** यह **P15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम** पोत है।
- **INS वाघशीर:** यह मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह P75 स्कॉर्पीन प्रोजेक्ट के तहत विकसित की गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है।
  - यह फ्रेंच स्कॉर्पीन-क्लास डिजाइन पर आधारित कलवरी-क्लास की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है।

भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशीकरण के प्रयास

- **नीतियां:** भारतीय नौसेना का मेरीटाइम कैपबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान (MCPP); भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण योजना (INIP) 2015-2030।
- **मेक इन इंडिया पहल में भारतीय नौसेना को शामिल करना:** उदाहरण के लिए INS विक्रांत (विमान वाहक)।
- **अनुसंधान एवं विकास पहल:** अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस (समुद्रयान परियोजना); आदि।

4.5.6. एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) - नाग Mk 2 {ANTI-TANK GUIDED MISSILE (ATGM)- NAG MK 2}

DRDO ने बताया है कि ATGM-नाग Mk 2 के फील्ड इवेलुएशन ट्रायल्स राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

ATGM-नाग Mk 2 के बारे में

- यह स्वदेशी रूप से विकसित **तीसरी पीढ़ी की** ATGM है। इसमें **'फायर-एंड-फॉरगेट'** की एडवांस्ड तकनीक का उपयोग किया गया है।
- **गाइडेंस सिस्टम:** यह **IIR (इमेजिंग इन्फ्रारेड) सीकर के माध्यम से पैसिव होमिंग** में सक्षम है।

4.5.7. भार्गवास्त्र (Bhargavastra)

भारत ने अपनी पहली **स्वदेशी माइक्रो-मिसाइल प्रणाली 'भार्गवास्त्र'** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे **स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने** के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भार्गवास्त्र की मुख्य विशेषताएं

- **ड्रोन का पता लगाने की क्षमता: 6 किलोमीटर से अधिक दूरी।**
- **त्वरित प्रतिक्रिया एवं मल्टी-टारगेट इंगेजमेंट:** एक साथ **64 टार्गेट्स का पता लगाकर उन्हें ट्रैक और निष्क्रिय** कर सकती है।

4.5.8. प्रलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट (PRALAY MISSILE AND PINAKA ROCKET)

टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली 'पिनाका रॉकेट प्रणाली' गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी।

प्रलय मिसाइल के बारे में

- यह **सतह से सतह पर मार** करने वाली **'कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)'** है।
- इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है।
- **मारक क्षमता: 150-500 किलोमीटर।**

पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) प्रणाली के बारे में

- यह **लंबी दूरी की आर्टिलरी प्रणाली है।** यह **75 किलोमीटर** दूर **तक के लक्ष्यों पर हमला करने** में सक्षम है।
- इसे **DRDO** ने विकसित किया है। इस मिसाइल के कई संस्करण हैं।

4.5.9. यूरोड्रोन (EURODRONE)

भारत यूरोड्रोन प्रोग्राम में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

- यूरोड्रोन या **यूरोपियन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (MALE RPAS) एक ट्विन-टर्बोप्रॉप MALE मानवरहित हवाई वाहन (UAV)** है।
- इसका उपयोग दीर्घकालिक मिशनों जैसे कि **इंटेलिजेंस, निगरानी** आदि के लिए किया जा सकता है।

यूरोड्रोन कार्यक्रम के बारे में

- **सदस्य:** यह **चार देशों** की पहल है। इसमें **जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन** शामिल हैं।
- **नेतृत्व: ऑर्गनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन (OCCAR)** द्वारा।

4.5.10. संजय सिस्टम (SANJAY System)

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने भारतीय थल सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत **युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (BSS) संजय** का शुभारंभ किया।

संजय सिस्टम के बारे में

- इसे **भारतीय थल सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे **'आत्मनिर्भर भारत'** पहल के अनुरूप विकसित किया गया है।
- यह एकत्रित जानकारी को संसाधित करके **आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से युद्धक्षेत्र का एकीकृत निगरानी चित्र तैयार** करेगा।

4.5.11. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (EXERCISES IN NEWS)

सूर्य किरण	यह **भारत और नेपाल** का **वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास** है। **यह** बारी-बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है।
ला पेरोस	यह अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित **मलक्का, सुंडा** और **लोम्बोक** जैसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य में **फ्रांस** द्वारा आयोजित किया जाता है। **भाग लेने वाले देश:** ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, **भारत**, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर।

पर्यावरण (ENVIRONMENT)

5.1. वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 (ANNUAL GROUND WATER QUALITY REPORT 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, जिसे **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB)** द्वारा तैयार किया गया है।

भारत के भूजल प्रबंधन में शामिल प्रमुख संस्थाएं

- **केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB):** यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है।
  - यह भूजल के अन्वेषण और निगरानी का कार्य करता है।
  - यह केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) के रूप में कार्य करता है।
  - **मुख्यालय:** भूजल भवन, फरीदाबाद (हरियाणा)
- **केंद्रीय जल आयोग (CWC):** यह जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमुख तकनीकी निकाय है।
  - **यह राज्य सरकारों के साथ** बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल, जलविद्युत परियोजनाओं के मामले **में समन्वय करता है।**
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):** यह **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974** को लागू करता है।
  - **यह केंद्र सरकार को** प्रदूषण की रोकथाम, प्रदूषण पर नियंत्रण, जल गुणवत्ता में सुधार, वायु गुणवत्ता में सुधार **जैसे विषयों पर सलाह देता है।**

भारत में भूजल गुणवत्ता से संबंधित मुख्य प्रमुख निष्कर्ष

श्रेणी	मुख्य बिंदु पर एक नजर
भूजल उपयोग	भारत विश्व में **सबसे बड़ा** भूजल उपयोगकर्ता देश है तथा **भूजल द्वारा सिंचाई के तहत** के तहत आने वाले क्षेत्रफल के मामले में भी भारत प्रथम स्थान पर है। भूजल निकासी का **87% उपयोग कृषि** कार्यों में और **11% घरेलू कार्यों** में किया जाता है।
पुनर्भरण संबंधी रुझान	**भूजल के कुल वार्षिक पुनर्भरण (15 BCM)** में वृद्धि हुई है, जबकि भूजल **निकासी 2017 के आकलन की तुलना में 3 BCM** कम हुई है।
भूजल निकासी की श्रेणियां भूजल निकासी की श्रेणियां	**सुरक्षित (<70%):** आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र। **अर्ध-संकटग्रस्त (70-90%):** तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, चंडीगढ़। **गंभीर (90-100%):** कोई नहीं। **अत्यधिक दोहन (>100%):** पंजाब, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, दिल्ली।
रासायनिक संघटन	**मुख्य घटक:** भूजल में सबसे ज्यादा कैल्शियम-बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। **क्लोराइड की अधिक मात्रा:** राजस्थान, गुजरात (प्राकृतिक कारक)। भूजल के अत्यधिक दोहन से जल में **लवणता** बढ़ जाती है
कृषि के लिए भूजल की उपयुक्तता	**81% भूजल के नमूने** सिंचाई के लिए सुरक्षित पाए गए हैं। **पूर्वोत्तर के राज्य: 100% भूजल नमूने सिंचाई के लिए** उत्कृष्ट पाए गए है। **कुछ क्षेत्रों में चिंताएँ:** सोडियम अवशोषण दर (SAR) और अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (RSC) का स्तर अधिक है
क्षेत्रीय विविधताएँ	**स्वच्छ जल:** अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में **100% नमूने BIS मानकों के अनुरूप** पाए गए है। **संदूषित क्षेत्र:** राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश **लवणता संबंधी चिंता:** बाड़मेर और जोधपुर (राजस्थान)
मौसमी रुझान	मानसून के दौरान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फ्लोराइड का स्तर भूजल के पुनर्भरण से जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।

भारत में प्रमुख भूजल प्रदूषक

- **नाइट्रेट (NO) (40% स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक):** राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र प्रभावित राज्य हैं। **कारण:** उर्वरक का अत्यधिक उपयोग।
- **फ्लोराइड (F):** राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना प्रभावित राज्य हैं।
- **आर्सेनिक (As):** पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश असम पंजाब प्रभावित राज्य हैं।
- **यूरेनियम (U):** राजस्थान (42%) पंजाब (30%) प्रभावित राज्य हैं। **कारण:** भूजल का अत्यधिक दोहन
- **लवणता (EC) उच्च (EC) स्तर:** राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्रभावित राज्य हैं।

भूजल प्रदूषण के पीछे प्रमुख कारक

- भारी धातुओं और रसायनों से युक्त **औद्योगिक अपशिष्ट डिस्चार्ज।**
- कृषि में **उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग** से नाइट्रेट संदूषण होता है।
- **शहरीकरण:** सीवेज लीकेज और लैंडफिल से रिसाव जलभृतों को संदूषित करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** वर्षा के बदलते पैटर्न और भूजल के अत्यधिक उपयोग से जलभृत पुनर्भरण प्रभावित होता है।
- **संस्थागत और प्रबंधन संबंधी खामियां** और भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 जैसे पुराने कानून।

भूजल प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम

- **अटल भूजल योजना (अटल जल):** यह सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।
- **जल शक्ति अभियान:** 2021 में इसे **"कैच द रेन"** अभियान के रूप में पूरे देश में विस्तारित किया गया।
- **मिशन अमृत सरोवर (2022)**: प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने या उनका कायाकल्प करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **"भू-नीर" पोर्टल:** इसे भू-जल निकासी संबंधी विनियमनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM):** इसके तहत CGWB प्रमुख जलभृतों का मानचित्रण करता है और उनके संधारणीय उपयोग के लिए योजनाएं बनाता है।
- **हेलीबोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण:** इसमें जल संकट वाले क्षेत्रों में हाई-रिज़ॉल्यूशन के सर्वेक्षण किए जाते हैं।
- **कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान:** इसका उद्देश्य वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण संरचनाओं के विकास के लिए योजना बनाना है।
- **भूजल विनियमन हेतु मॉडल विधेयक:** इसे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में भूजल प्रबंधन को विनियमित करने के लिए लाया गया है।
- **राज्य स्तरीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम:** कई राज्य जलग्रहण विकास योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिनमें MGNREGA के तहत भूजल संरक्षण को शामिल किया गया है।

आगे की राह

- **संस्थागत सुधार:** मिहिर शाह समिति ने सिफारिश की थी कि **एकीकृत जल प्रबंधन के लिए CWC और CGWB का विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग (NWC) का गठन** किया जाना चाहिए।
- **कानूनी सुधार:** भूजल अधिकारों को भूमि स्वामित्व से अलग किया जाना चाहिए।
- **संधारणीय जल पद्धतियां:** जल-कुशल कृषि, वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, नीली-हरी अवसंरचना।
- **सामुदायिक सशक्तीकरण:** मिशन काकतिया जैसी स्थानीय जल संरक्षण पहलों का समर्थन किया जाना चाहिए।

5.2. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए {150 YEARS OF INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT (IMD)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

IMD की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधान मंत्री ने मिशन मौसम लॉन्च किया।

मिशन मौसम के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)
- **उद्देश्य:** भारत को "वेदर-रेडी एंड क्लाइमेट-स्मार्ट" राष्ट्र बनाना, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का शमन कम किया जा सके।
- **कार्यान्वयन:** चरण-I (2024-26), चरण-II (2026-31);
  - IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र इसकी **क्रियान्वयन एजेंसियां** हैं।
- **लक्षित लाभार्थी:** आम जनता तथा कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, विमानन, जल संसाधन जैसे क्षेत्रक।
  - यह पूर्वानुमान सटीकता में 5-10% तक सुधार कर सकता है।

भारत में मौसम विज्ञान का इतिहास और पृष्ठभूमि

- **IMD की स्थापना: 1875, शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता** में था।
- **1947 के बाद का दौर: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत; मेसेज-स्विचिंग कंप्यूटर प्रणाली** लागू करने वाला भारत का पहला संगठन हैं।
- भारत **भू-स्थिर उपग्रह (INSAT) वाला पहला विकासशील देश था।**
- यह सार्क देशों सहित **उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों** को चक्रवात संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।

IMD की प्रमुख उपलब्धियां

- **मौसम अवलोकन:** मैन्युअल अवलोकन से अब अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशंस (AWS) का उपयोग कर रहा है। (AWS **की संख्या** 2014 में **675** थी, जो 2024 में बढ़कर **1,208** हो गई है।)
- **संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान:** 7 दिन तक का सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- **मानसून का पूर्वानुमान:** 1886 से अब पूर्वानुमान करने में महारत हासिल कर ली है।
- **आपदा से निपटने की तैयारी:** चक्रवात के चलते होने वाली मौतों की संख्या को 1999 के 10,000 से घटाकर 2020-2024 में शून्य के करीब कर दिया है।
- **दूरसंचार:** 1970 में दूरसंचार निदेशालय का गठन किया गया, और दिल्ली एक क्षेत्रीय दूरसंचार केंद्र बन गया।
- विमानन, कृषि, ऊर्जा और जल संसाधन के लिए **विशेष सेवाएं** प्रदान कर रहा है।
- **बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालय:** नदी उप-बेसिन वार मात्रात्मक वर्षण पूर्वानुमान प्रदान करना।

IMD के समक्ष चुनौतियां

- **जलवायु परिवर्तन: अप्रत्याशित मौसम की घटनाओं** के मद्देनजर बेहतर प्रणालियों की आवश्यकता।
- **ग्रिड रिज़ॉल्यूशन:** 12 किमी × 12 किमी ग्रिड को कवर करता है। यह स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में काफी बाधा डालता है।
- **अग्रिम चेतावनी:** भारी वर्षा की घटनाओं के लिए इसकी सटीकता **80% से कम** है**।**
- **सीमित क्षेत्र का मौसम डेटा:** भारत में 56 RS/ RW (रेडियोसोंडे/ रेडियोविंड) अवलोकन स्टेशन हैं। चीन में इनकी संख्या 120 तक है।
- **मानसून की अप्रत्याशितता:** उष्णकटिबंधीय प्रणालियाँ **मध्य-अक्षांशीय मौसम की तुलना में अधिक अप्रत्याशित होती हैं।**
- **उपकरण की गुणवत्ता:** भारत में कोई भी रेडियोसॉन्ड उपकरण WMO द्वारा प्रमाणित नहीं है।
- **आंकड़ों का अभाव: हिमालय में 9,575 ग्लेशियर** होने के बावजूद ग्लेशियोलॉजिकल अध्ययन सीमित हैं।

आगे की राह

- सटीक पूर्वानुमानों के लिए भौतिक प्रक्रियाओं की **बेहतर समझ।**
- विशेष रूप से मानसून के लिए **पृथ्वी प्रणाली के त्रि-आयामी अवलोकन**।
- अति-स्थानीय पूर्वानुमानों के साथ **अग्रिम चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना।**
- **अंतिम उपयोगकर्ताओं तक बेहतर पहुंच:** अभी भी मौसम का पूर्वानुमान करने वाले और संबंधित उपयोगकर्ताओं के बीच एक अंतर बना हुआ है।
- अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI और ML) का उपयोग करना।**

5.3. स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन इंजन (INDIGENOUS HYDROGEN TRAIN ENGINE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रेल मंत्री ने **1,200 हॉर्सपावर वाले दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन के विकास की घोषणा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दुनिया में केवल **4 देशों (जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन) के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें** हैं, जो लगभग 500 से 600 हॉर्सपावर उत्पन्न करने में सक्षम हैं।
- सभी हाइड्रोजन चालित रेल वाहन **'हाइड्रेल'** के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।
- **इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में लाभ:** ओवरहेड केबल और सबस्टेशन जैसी महंगी अवसंरचना की आवश्यकता नहीं।

भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में

- **डिज़ाइनर:** अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (RDSO), लखनऊ द्वारा डिजाइन किया गया है।
- **निर्माण:** इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई
- **पृष्ठभूमि:** भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने 2023 में **"हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज"** परियोजना की घोषणा की।
- **केंद्रीय बजट 2023-24: 35 हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों** के विकास के लिए धनराशि आवंटित किया गया
- **परीक्षण मार्ग:** जींद-सोनीपत, हरियाणा

हाइड्रोजन के प्रकार	उत्पादन विधि	ऊर्जा स्रोत	ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट
ग्रीन हाइड्रोजन	इलेक्ट्रोलिसिस	नवीकरणीय ऊर्जा	**न्यूनतम**
पिंक हाइड्रोजन	इलेक्ट्रोलिसिस	परमाणु ऊर्जा	**न्यूनतम**
येलो हाइड्रोजन	इलेक्ट्रोलिसिस	मिक्स्ड ओरिजिन ग्रिड एनर्जी	**मध्यम**
ब्लू हाइड्रोजन	रिफॉर्मिंग/ गैसीकरण + CCS	प्राकृतिक गैस या कोयला	**निम्न**
टर्क्वाइज हाइड्रोजन	पायरोलिसिस	प्राकृतिक गैस	**न्यूनतम से लेकर निम्न (उपोत्पाद के रूप में ठोस कार्बन)**
ग्रे हाइड्रोजन	रिफॉर्मिंग	प्राकृतिक गैस	**मध्यम**
ब्राउन हाइड्रोजन	कोयला गैसीकरण	ब्राउन कोल (लिग्नाइट)	**उच्च**
ब्लैक हाइड्रोजन	कोयला गैसीकरण	ब्लैक कोल	**उच्च**
अनएसाइन्ड हाइड्रोजन	बायोमास गैसीकरण + CCS	बायोमास	**संभवतः नहीं**

हाइड्रोजन और इसके इकोसिस्टम के बारे में

- हाइड्रोजन **ब्रह्मांड का सबसे सरल और प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है,** जिसमें केवल **एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन** होता है।
- **आणविक संरचना:** हाइड्रोजन द्विपरमाणुक (Diatomic) होता है।
- यह अत्यधिक अभिक्रियाशील और लगभग सभी तत्वों के साथ मिलकर हाइड्राइड नामक द्विआधारी यौगिक बनाता है।
- यह ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कर सकता है। यह अधातुओं के साथ जुड़ता है, तो अम्ल (Acid) बनाता है।
- **समस्थानिक: प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।**

हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक पहलें

- **विश्व बैंक की 10 गीगावाट** स्वच्छ हाइड्रोजन पहल
- **द क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल (CEM):** यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है
- **क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल हाइड्रोजन इनिशिएटिव (CEM H2I):** । इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा समन्वित किया गया है।
- **ग्लोबल प्रोग्राम फॉर हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री (GPHI):** इसे 2021 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) ने लॉन्च किया था।

भारत में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन मानक:** यह मानक 19 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किए गए थे।
- **पोत-परिवहन और इस्पात क्षेत्रक में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश।**

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को अपनाने में चुनौतियाँ

- **लागत:** महंगे धातु उत्प्रेरकों की जरूरत होती है।
- **हाइड्रोजन निष्कर्षण के लिए** बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- **बुनियादी ढांचे** और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताएँ।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं: यह** अत्यधिक ज्वलनशील होती है।
- **भंडारण की जटिलताएं:** इसके लिए ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- सरकारी **सहायता और प्रोत्साहन** जारी रखने चाहिए।
- पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) जैसी योजनाओं के माध्यम से **उत्पादन और खपत के लिए मांग उत्पन्न करना।**
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता **को बढ़ाना (125 गीगावाट का लक्ष्य)।**
- **वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना** (जैसे, सऊदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन)।

5.4. तापीय विद्युत संयंत्र और सल्फर डाइऑक्साइड (THERMAL POWER PLANTS AND SULPHUR DIOXIDE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने तापीय विद्युत संयंत्रों (TPPs) को सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चौथी बार समय-सीमा को बढ़ाया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **2022 में जारी अधिसूचना के तहत तय समय-सीमा का विस्तार:** मंत्रालय ने TPPs में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम स्थापित करने की समय-सीमा बढ़ा दी है।
- **2022 की अधिसूचना के अनुसार समय-सीमा:** श्रेणी A 31 दिसंबर, **2024 तक;** श्रेणी B 31 दिसंबर, **2025 तक;** श्रेणी C 31 दिसंबर, **2026 तक।**
- **नई अनुपालन समय-सीमा:** श्रेणी A 31 दिसंबर, **2027 तक;** श्रेणी B 31 दिसंबर, **2028 तक;** श्रेणी C 31 दिसंबर, **2029 तक।**
- **श्रेणी की परिभाषा:**
  - **श्रेणी A:** NCR के 10 कि.मी. के दायरे के भीतर स्थित या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित संयंत्र।
  - **श्रेणी B:** गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों/ गैर-प्राप्ति शहरों के 10 कि.मी. के दायरे के भीतर स्थित संयंत्र।
  - **श्रेणी C:** इसमें अन्य सभी प्लांट्स शामिल हैं।
- **उत्पत्ति:** 2015 में प्रथम उत्सर्जन मानदंड लागू किए।
- **2017:** विद्युत मंत्रालय ने 7 वर्ष के विस्तार का अनुरोध किया; **सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी।**

सल्फर डाइऑक्साइड का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव

- श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी प्रभाव, अम्लीय वर्षा, सामग्री की क्षति, धुंध के कारण विजिबिलिटी में कमी।

स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड के स्त्रोत

- **प्राकृतिक:** ज्वालामुखी (67%)
- **मानवजनित:** जीवाश्म ईंधन का दहन, कागज उद्योग, धातु को गलाना, पेट्रोलियम रिफाइनरी, वाहनों से उत्सर्जन।

सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए सरकारी विनियम

- **वायु अधिनियम, 1981:** CPCB और SPCBs को उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** विशिष्ट SO_2 उत्सर्जन सीमाएं तय कर सकती है।
- **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS):** प्रदूषकों की सांद्रता को नियंत्रित करने के लिए मानक स्थापित किए हैं।
- **BS-VI ईंधन मानक:** ईंधन में सल्फर की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), 2019:** वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है।
- **समीर ऐप और सोशल मीडिया अकाउन्ट्स:** कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन की निगरानी में बहुत प्रभावी रहे हैं।

आगे की राह

- **नियमों का कड़ाई से पालन करना:** समय-सीमा को और नहीं बढ़ाना चाहिए।
- **फ्यूल क्लीनिंग:** कोल बेनीफिकेशन जैसी तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे कोयले को जलाने से पहले पाइराइटिक सल्फर को हटाया जा सके।
- **स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना:** राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए।

5.5. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (NATIONAL TURMERIC BOARD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने **राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (NTB)** का उद्घाटन किया।

- **उद्देश्य:** हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करना, **स्पाइसेस बोर्ड एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय** स्थापित करना।
- **मुख्यालय: निज़ामाबाद, तेलंगाना**
- **संबंधित मंत्रालय:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- **संरचना:**
  - **अध्यक्ष** केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
  - **सदस्य: आयुष मंत्रालय; केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, जैसे- फार्मास्युटिकल विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि।**

- तीन राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधि (रोटेशन आधार पर)।
- अनुसंधान संस्थानों, किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि।
- **वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त एक सचिव।**

हल्दी बोर्ड का महत्त्व

- नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा।
- विदेशों में मार्केटिंग के लिए हल्दी से संबंधित उत्पादों का मूल्यवर्धन।
- हल्दी के चिकित्सीय गुणों के बारे में लोगों को जागरूक करना।
- नए बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उपज बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति श्रृंखला को प्रोत्साहन देना।
- हल्दी उत्पादन और निर्यात की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना।

हल्दी के बारे में

- हल्दी एक राइजोम (भूमिगत तना) है, जिसे "गोल्डन स्पाइस" कहा जाता है।
- **जलवायु परिस्थितियाँ: उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों** (20-35°C, वर्षा 1500+ मिमी)
- **मृदा:** इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई या चिकनी दोमट मिट्टी सर्वश्रेष्ठ होती है।
- **विशेषता:**
  - हल्दी में मौजूद **कर्क्यूमिन (Curcumin)** में **एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी** गुण होते हैं।
  - यह पारंपरिक रूप से **त्वचा, श्वसन तंत्र, जोड़ों और पाचन तंत्र** संबंधी विकारों के उपचार में प्रयोग किया जाता है।
  - यह एक **प्राकृतिक संकेतक** है, जो विलयन के pH के अनुसार रंग बदलता है।

भारत में हल्दी का उत्पादन

- **क्षेत्रफल:** 30 किस्मों के इसकी खेती लगभग 3.05 लाख हेक्टेयर पर की जाती है (2023-24)
- **उत्पादन: भारत वैश्विक हल्दी उत्पादन में 70% का योगदान देता है।**
  - तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का योगदान 63.4% है।
- **निर्यात:** भारत की **वैश्विक हल्दी व्यापार में 62% की हिस्सेदारी** है।
- **प्रमुख निर्यात बाजार:** बांग्लादेश, UAE, USA, मलेशिया।
- **GI टैग प्राप्त भारतीय हल्दी:**
  - **महाराष्ट्र:** सांगली हल्दी, वैगांव हल्दी
  - **तमिलनाडु:** इरोड मंजल (इरोड हल्दी)
  - **मेघालय:** लाकाडोंग हल्दी

5.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.6.1. अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष (International Year of Glaciers' Preservation)

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को 'अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष'** के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही, **प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को 'विश्व ग्लेशियर दिवस'** के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष' के बारे में

- यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।
- **उद्देश्य:** जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका एवं इसके पृथ्वी के क्रायोस्फीयर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना।
- **ग्लेशियरों का महत्त्व:** दुनिया में **2,75,000 से अधिक** ग्लेशियर हैं। ये लगभग **700,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर** करते हैं। ये **ग्लेशियर्स विश्व में 70% ताजे जल की आपूर्ति के स्रोत** हैं।

5.6.2. एक अनुमान के अनुसार हिमालय में स्थित याला ग्लेशियर 2040 तक समाप्त हो जाएगा (YALA GLACIER IN HIMALAYAS PROJECTED TO VANISH BY 2040)

याला ग्लेशियर 1974 और 2021 के बीच **680 मीटर पीछे हट** गया। इसके कारण इसके **क्षेत्रफल में काफी कमी (36%)** आई है।

- यह **संपूर्ण हिमालय में एकमात्र ग्लेशियर है, जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट (GGCL) में शामिल** किया गया है।
- **क्रायोस्फीयर** पृथ्वी का वह जमा हुआ हिस्सा है, जिसमें **बर्फ, हिम (ग्लेशियर) और जमी हुई भूमि (फ्रोजन ग्राउंड)** शामिल हैं।
- **GGCL परियोजना को 2024** में राइस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस और यूनेस्को द्वारा लॉन्च किया गया था।

ग्लेशियर के पीछे हटने के बारे में

वैश्विक स्तर पर

- वह प्रक्रिया है, जिसमें **ग्लेशियरों का आकार और द्रव्यमान कम** हो जाता है।
- **समाप्त हो चुके ग्लेशियर:** वेनेजुएला का **पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर** (2024), फ्रांस का **सरेन ग्लेशियर** (2023) आदि।
- ऐसा अनुमान है कि **चीन का दागू ग्लेशियर 2030 तक समाप्त हो जाएगा।**

क्रायोस्फीयर के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें

वैश्विक स्तर पर

- **संयुक्त राष्ट्र की पहलें: वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष** घोषित किया गया है। **प्रतिवर्ष 21 मार्च को 'विश्व ग्लेशियर दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।
- **अन्य पहलें:** IUCN द्वारा **हिमालयन एडेप्टेशन नेटवर्क** और WWF द्वारा **लिविंग हिमालयाज़ इनिशिएटिव।**

भारत

- हिमालयी पारिस्थितिकी-तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
- **भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS):** यह ग्लेशियर से संबंधित घटनाओं पर नज़र रखता है और GLOF अलर्ट जारी करता है।
- आर्कटिक और अंटार्कटिका के लिए मिशन जैसे, **IndARC** (2014)

5.6.3. भारत ने UNFCCC के तहत अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेटेड रिपोर्ट (BUR-4) प्रस्तुत की {INDIA SUBMITS ITS FOURTH BIENNIAL UPDATE REPORT (BUR-4) TO UNFCCC}

यह रिपोर्ट भारत के थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन का अपडेट है, तथा इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संकलित वर्ष 2020 के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का विस्तृत डेटा दिया गया है

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **GHG उत्सर्जन:** इसमें 2019 की तुलना में 2020 में **7.93% की कमी** आई है।
  - **क्षेत्रक-वार GHG उत्सर्जन घटते क्रम में: ऊर्जा (75.66%), कृषि (13.72%), औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग (8.06%), अपशिष्ट (2.56%)** आदि।
- **सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता:** 2005 से 2020 के बीच **36% की कमी**।
- **गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा:** इनकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में **46.52%** थी।
- **कार्बन सिंक का निर्माण:** 2005 से 2021 के बीच **वनावरण और वृक्षावरण के चलते 2.29 बिलियन टन CO_2 के बराबर** अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण किया गया है।
- **वनावरण और वृक्षावरण:** वर्तमान में यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का **25.17% है और इसमें लगातार वृद्धि** हो रही है।
- **भारत द्वारा शुरू की गई पहलें** : अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली (LiFE) आंदोलन, पीएम-सूर्य घर, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई-बस कार्यक्रम।

5.6.4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने पर्यावरण राहत निधि (संशोधन) योजना, 2024 अधिसूचित की {MOEF&CC NOTIFIED ENVIRONMENT RELIEF FUND (AMENDMENT) SCHEME, 2024}

पर्यावरण राहत निधि (संशोधन) योजना **लोक दायित्व बीमा अधिनियम (PLIA), 1991 की धारा 7A** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। इस संशोधन योजना के अंतर्गत **पर्यावरण राहत निधि (ERF) योजना, 2008 में संशोधन** किया जाएगा।

- इस निधि का उपयोग **खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान** करने के लिए किया जाता है।

मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

- **प्रशासन:** ERF का प्रशासन **केंद्र सरकार** द्वारा किया जाएगा।
- **निधि प्रबंधक: यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** ERF का निधि प्रबंधक था। **1 जनवरी, 2025 से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ERF का निधि प्रबंधक बन गया है। CPCB **पांच साल** के लिए प्रबंधक रहेगा।
- **भुगतान:** निधि प्रबंधक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। साथ ही, वह **जिला कलेक्टर या केंद्र सरकार** के आदेश के माध्यम से राशि को वितरित करेगा।
- **निवेश:** ERF राशि को **सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बचत खातों** में निवेश किया जाएगा।
- **पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत:** निधि प्रबंधक, **खतरनाक पदार्थों** के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF राशि निर्धारित करेगा।
- **लेखा परीक्षा:** ERF के खातों की लेखा-परीक्षा एक **स्वतंत्र लेखा परीक्षक** करेगा। इसे **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से केंद्र सरकार नियुक्त** करेगी।

मुख्य संशोधनों पर एक नज़र

- प्रभावित सार्वजनिक संपत्ति से **प्रत्यक्ष और पर्याप्त संबंध व हित रखने वाले व्यक्ति भी संपत्ति की बहाली के लिए दावा** कर सकते हैं।
- यह **पर्यावरणीय क्षति की मरम्मत के लिए ERF के उपयोग** का प्रावधान करता है।
- एकल दुर्घटना के लिए **बीमा पॉलिसी कवरेज सीमा को बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये और एकाधिक दुर्घटनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

5.6.5. छत्तीसगढ़ हरित GDP अपनाने वाला पहला राज्य बना (CHHATTISGARH FIRST STATE TO ADOPT GREEN GDP)

छत्तीसगढ़ ने अपने **वनों की पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं को हरित GDP से जोड़ने** का फैसला किया है।

- यह पर्यावरण वन योगदान (स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता) को आर्थिक प्रगति से जोड़ता है।
- **छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर वन** हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इसके अलावा **तेंदू पत्ते, लाख, शहद और औषधीय पादप जैसे वन उत्पाद राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण** योगदान देते हैं।

हरित या ग्रीन GDP के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह अवधारणा 1980 के दशक के अंत में विकसित हुई थी, जो GDP में पर्यावरणीय प्रभावों को सम्मिलित करने पर केंद्रित है।
- **परिभाषा:** ग्रीन GDP का तात्पर्य **पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित** GDP से है।
- **गणना: ग्रीन GDP =** निवल घरेलू उत्पाद - (प्राकृतिक संसाधनों की कमी की लागत + पारिस्थितिकी-तंत्र के क्षरण की लागत)
- **आवश्यकता:** पारंपरिक GDP गणना में **पर्यावरणीय गिरावट और क्षरण** की अनदेखी की जाती है। यह अक्सर उन्हें **आर्थिक लाभ** के रूप में मानती है।

ग्रीन GDP लेखांकन के लिए शुरू की गई पहलें

- **SEEA (1993):** यह पर्यावरणीय-आर्थिक सांख्यिकी के मानकीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क है।
- **वेव्स/ WAVES:** यह प्राकृतिक पूंजी को आर्थिक लेखाओं में सुव्यवस्थित व एकीकृत करने वाली विश्व बैंक की पहल है।

5.6.6. नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NET-ZERO BANKING ALLIANCE: NZBA)

गोल्डमैन साक्स ग्रुप इंक सहित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों आदि ने NZBA से बाहर निकलने की घोषणा की है।

नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) के बारे में

- यह बैंकों द्वारा संचालित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित एक समूह है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा **ऋण प्रदान करने, निवेश, और पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों को 2050 तक हासिल किए जाने वाले नेट-ज़ीरो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** के लक्ष्य के अनुरूप करना है।
- कोई भी भारतीय बैंक NZBA का सदस्य नहीं है।
- यह **UNEP वित्त पहल के तहत** प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग (PRB) की जलवायु संबंधी एक पहल है।

5.6.7. भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म (Bharat Cleantech Manufacturing Platform)

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने **भारत जलवायु फोरम 2025** में **भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।**

भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म के बारे में

- इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रकों में **भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी (क्लीनटेक) मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- यह भारतीय कंपनियों को **सहयोग करने**, **सह-नवाचार करने** तथा वित्त-पोषण, विचारों, प्रौद्योगिकियों और संसाधनों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने में मदद करेगा।
  - यह भारत को संधारणीयता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में एक आकर्षक व्यवसाय मॉडल और वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने में मदद करेगा।

5.6.8. IPBES ने ट्रांसफ़ॉर्मेटिव चेंज रिपोर्ट जारी की (IPBES RELEASES TRANSFORMATIVE CHANGE REPORT)

इस रिपोर्ट को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है-

- जैव विविधता हानि के लिए जिम्मेदार कारण और रूपांतरकारी परिवर्तन के निर्धारक, तथा
- जैव विविधता के लिए 2050 विज़न को प्राप्त करने के विकल्पों पर आकलन रिपोर्ट।

रूपांतरकारी परिवर्तन (ट्रांसफ़ॉर्मेटिव चेंज) के बारे में

- **परिभाषा:** यह **विचारों** (सोचने के तरीके), **संरचनाओं** (संगठन और शासन के तरीके) तथा **पद्धतियों** (काम करने व व्यवहार करने के तरीके) में व्यापक एवं मौलिक बदलाव है।
- **रूपांतरकारी परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए चार सिद्धांत:** समानता और न्याय; बहुलवाद और समावेशन; मानव और प्रकृति के बीच सम्मानपूर्ण एवं परस्पर संबंध; तथा अनुकूलनशील शिक्षा और कार्रवाई।

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) के बारे में

- **उत्पत्ति: 2012**
- **उद्देश्य:** जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर विज्ञान-नीति जुड़ाव को मजबूत करना।
- **सदस्यता:** 147 सदस्य देश; भारत इसका संस्थापक सदस्य है।
- **सचिवालय: बॉन, जर्मनी**। यह **संयुक्त राष्ट्र की इकाई नहीं** है, लेकिन **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** IPBES को **सचिवालय सेवाएं** प्रदान करता है।

वैश्विक संधारणीयता के लिए रूपांतरकारी परिवर्तन हेतु पांच रणनीतियां

- **संरक्षण, पुनर्स्थापन और पुनरुद्धार:** उदाहरण के लिए- **नेपाल** में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम; **भारत** में समुदाय-आधारित वन प्रबंधन।
- **सुनियोजित बदलाव को आगे बढ़ाएं:** उदाहरण के लिए कृषि व पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और शहरी विकास के क्षेत्रकों में सुनियोजित परिवर्तन लाना।
- **आर्थिक प्रणालियों का रूपांतरण करना:** उदाहरण के लिए- जैव विविधता प्रबंधन के लिए सालाना 900 बिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता है, लेकिन केवल 135 बिलियन डॉलर ही खर्च किए जाते हैं। **वार्षिक वैश्विक GDP** (58 ट्रिलियन डॉलर) का **50% से अधिक हिस्सा** प्रकृति पर निर्भर करता है।
- **गवर्नेंस में परिवर्तन:** उदाहरण के लिए- **गैलापागोस** मरीन रिज़र्व पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **दृष्टिकोण में बदलाव लाना:** अनुभवों, नीति और स्वदेशी ज्ञान के माध्यम से मानव-प्रकृति के परस्पर संबंध को बढ़ावा देना।

रूपांतरकारी परिवर्तन (ट्रांसफ़ॉर्मेटिव चेंज) के समक्ष वैश्विक चुनौतियां

- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** स्वच्छ प्रौद्योगिकी और ज्ञान साझा करने में बाधाएं।
- **असंधारणीय पद्धतियां:** उपभोग और उत्पादन के हानिकारक तरीके।
- **नीतिगत अपर्याप्तता:** वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियों और संस्थानों की कमी।
- **आर्थिक असमानताएं:** वैश्विक स्तर पर धन और संसाधनों में असमानताएं।
- **औपनिवेशिक संबंध:** ऐतिहासिक पॉवर डायनैमिक्स, जो आधुनिक संबंधों को प्रभावित करते हैं।

5.6.9. IUCN द्वारा पहली बार वैश्विक मीठे पानी के जीव-जंतुओं का आकलन (FIRST-EVER GLOBAL FRESHWATER FAUNA ASSESSMENT BY IUCN)

यह **ताजे जल में रहने वाली अलग-अलग प्रजातियों हेतु किया गया** अब तक का प्रथम आकलन है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- दुनिया की 24% मीठे पानी की प्रजातियां विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं।
- **प्रमुख हॉटस्पॉट्स:** इसमें **विक्टोरिया झील** (केन्या, तंजानिया और युगांडा), **टिटिकाका झील** (बोलीविया और पेरू) व श्रीलंका का **आर्द्र क्षेत्र और पश्चिमी घाट** (भारत) शामिल हैं।
- **केकड़े, क्रेफ़िश और झींगों** के समक्ष विलुप्त होने का सबसे अधिक जोखिम है। इसके बाद **ताजे जल की मछलियों** का स्थान है। ताजे जल में रहने वाले **23,496 जीवों में से कम-से-कम 4,294 प्रजातियां विलुप्त** होने के उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं।
- जल की उच्च अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और अधिक सुपोषण वाले क्षेत्रों में **संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक नहीं** है। इसके विपरीत, जल की कम अभावग्रस्तता वाले क्षेत्रों और कम सुपोषण वाले क्षेत्रों में **संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या अधिक** है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के बारे में

- **उत्पत्ति: 1948**
- **सचिवालय:** ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड
- **उद्देश्य: सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी संगठनों** को ज्ञान एवं साधन प्रदान करना। इससे मानव प्रगति, आर्थिक विकास और प्रकृति संरक्षण एक साथ संभव हो सकेंगे।
- **सदस्यता:** यह सदस्यता वाला संघ है, जिसमें **सरकार और नागरिक समाज** दोनों क्षेत्र के संगठन (14,000 से अधिक) शामिल हैं।

ताजे जल से जुड़े कुछ तथ्य

- **स्थिति:** पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों में से लगभग 10% ताजे जल की प्रजातियां हैं।
- **महत्त्व:** ये सुरक्षित पेयजल, आजीविका, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन शमन में सहयोग प्रदान करता है।
- **ताजे जल के समक्ष खतरे:** प्रदूषण, क्षरण, अत्यधिक मछली पकड़ना और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश।

5.6.10. संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन (SUSTAINABLE NITROGEN MANAGEMENT)

संयुक्त राष्ट्र- खाद्य एवं कृषि संगठन (UN-FAO) ने 'कृषि-खाद्य प्रणालियों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन' पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में, नाइट्रोजन के उपयोग, उससे उत्पन्न समस्याओं और इसे टिकाऊ बनाने के लिए आवश्यक उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **नाइट्रोजन चक्र में परिवर्तन:** मनुष्य **कृषि और औद्योगिक गतिविधियों** के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की भू-सतह में लगभग **150 टेराग्राम (Tg) अभिक्रियाशील नाइट्रोजन** निर्मुक्त करता है। इससे पर्यावरण में **नाइट्रोजन-हानि (Nitrogen loss) बढ़** जाएगी।
- **नाइट्रोजन हानि: ऐसा अमोनिया (NH_3) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)** उत्सर्जन के द्वारा होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
- **कृषि-खाद्य प्रणालियों की भूमिका:** मानव-जनित नाइट्रोजन उत्सर्जन में **पशुधन क्षेत्रक की एक-तिहाई** हिस्सेदारी है।
- **नाइट्रोजन के उपयोग का दोहरा प्रभाव:** संतुलित उपयोग से फसल की पैदावार बढ़ती है और मिट्टी का क्षरण रुकता है, लेकिन अधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग, वायु और जल की गुणवत्ता तथा ओजोन परत का क्षरण होता है।

संधारणीय नाइट्रोजन-प्रबंधन (SNM)

- उद्देश्य: बाहर से नाइट्रोजन के उपयोग को रोकना, वातावरण में नाइट्रोजन-हानि को कम करना तथा उत्पादन प्रणाली के भीतर नाइट्रोजन की रीसाइक्लिंग को बढ़ाना।
- **SNM के लिए सिफारिशें:** नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) बढ़ाना, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करना, नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं निर्धारित करना।

5.6.11. कंपाला घोषणा-पत्र (KAMPALA DECLARATION)

पोस्ट-मालाबो कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CAADP) पर अफ्रीकी संघ (EU) का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 10-वर्षीय CAADP रणनीति और कार्य योजना; तथा अफ्रीका में लोचशील एवं टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण पर कंपाला CAADP घोषणा-पत्र को अपनाया गया।

कंपाला घोषणा-पत्र के बारे में

- कंपाला घोषणा-पत्र **मालाबो घोषणा-पत्र की अनुवर्ती है। मालाबो घोषणा-पत्र को 2014** अपनाया गया था। मालाबो घोषणा-पत्र **साझा समृद्धि और बेहतर आजीविका के लिए त्वरित कृषि विकास एवं परिवर्तन** पर आधारित था।
- इसकी कार्यान्वयन अवधि **2026-2035** होगी।
- इसमें **छह प्रतिबद्धताएं** निर्धारित की गई हैं, जिनका उद्देश्य अफ्रीका में **कृषि-खाद्य प्रणाली को बदलना और उसे मजबूत** करना है।

5.6.12. मैन्युफैक्चर्ड सैंड (MANUFACTURED SAND: M-SAND)

राजस्थान सरकार ने संधारणीय निर्माण और अवसंरचना के लिए एम-सैंड, 2024 नीति जारी की।

मैन्युफैक्चर्ड सैंड (M-SAND) के बारे में

- **एम-सैंड क्या है:** यह चट्टानों या खदान के पत्थरों को पीसकर बारीक पाउडर में बदल कर बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल कंक्रीट निर्माण में **नदी की रेत के विकल्प** के रूप में किया जाता है।
- **लाभ:** बेहतर कार्यशीलता, मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल।

5.6.13. ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 रिपोर्ट (GLOBAL WATER MONITOR 2024 REPORT)

ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम ने ग्लोबल वाटर मॉनिटर 2024 सारांश रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वैश्विक जल चक्र की स्थिति, जल विज्ञान संबंधी घटनाओं का विश्लेषण और प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित करता है।

जल चक्र (Water Cycle)

- जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर **जल की सभी अवस्थाओं (ठोस, तरल और गैस) में संचरण को दर्शाता है।**
- जल चक्र में, द्रव जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, संघनित होकर बादल बनाता है और फिर वर्षा या बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र (जल चक्र की स्थिति)

- 2024 में **जल-संबंधी आपदाओं** के कारण:
  - 8,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई;
  - 40 मिलियन लोग विस्थापित हो गए; तथा
  - 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
- **मृदा में मौजूद जल के मामले में काफी क्षेत्रीय विषमताएं देखी** गई हैं। जैसे **दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका में अत्यधिक शुष्क मृदा तथा पश्चिमी अफ्रीका में आर्द्र मृदा** की दशाएं पाई गई हैं।
- **झीलों और जलाशयों में जल भंडारण में लगातार पांचवें वर्ष गिरावट** दर्ज की गई है।

जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की तीव्रता को **7.4% तक बढ़ा** दिया है।
- गर्म हवा अधिक जलवाष्प को धारण कर सकती है, जैसे प्रत्येक **1°C तापमान वृद्धि** पर अधिक आर्द्रता धारण करने की क्षमता **7% तक बढ़** जाती है। इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि और आवृत्ति बढ़ जाती है।
- तापमान वृद्धि से अधिक **वाष्पीकरण** होता है, मिट्टी सूखती है और सूखे का खतरा बढ़ता है।
- तापीय विस्तार और पिघलती बर्फ से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। साथ ही, **महासागरीय अम्लीकरण से समुद्री जीवन प्रभावित** हो रहा है।

5.6.14. WEF ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप {WEF GLOBAL PLASTIC ACTION PARTNERSHIP (GPAP)}

नए सदस्यों में **अंगोला, बांग्लादेश, गैबॉन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया आदि** GPAP में शामिल हुए हैं।

ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप (GPAP) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे **2018 में विश्व आर्थिक मंच** द्वारा आयोजित **"सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन"** के दौरान लॉन्च किया गया था। यह **"प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलेरेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी' और "फ्रेंड्स ऑफ ओशन एक्शन" के प्लास्टिक पिलर** के रूप में कार्य करती है।
- **वर्तमान सदस्य:** GPAP अब 25 देशों का एक समूह है, जिसमें हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य के साथ-साथ अंगोला, बांग्लादेश, गैबॉन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया जैसे नए सदस्य शामिल हुए हैं।
- **उद्देश्य:**
  - **सरकारों, व्यवसाय जगत और नागरिक समाज को एक साथ लाकर** प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को तेज करना, ताकि सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सके, उत्सर्जन को कम किया जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके।
- **प्रमुख कार्य:** देशों को **राष्ट्रीय कार्रवाई रोडमैप तैयार करने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फंड जुटाने** में मदद करना।
- **प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभाव :** प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत की पहलें

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का प्रावधान।
- **भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप:** ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था।

5.6.15. ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GLOBAL ENERGY ALLIANCE FOR PEOPLE AND PLANET: GEAPP)

GEAPP और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने उच्च प्रभाव वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समर्थन हेतु **100 मिलियन डॉलर का कोष** स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **घोषित की गई अन्य पहलें:** डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजीशन **(DUET)**; एनर्जी ट्रांजीशंस इनोवेशन चैलेंज **(ENTICE 2.0)** आदि।

ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP) के बारे में

- GEAPP एक **वैश्विक व सार्वजनिक-निजी भागीदारी** वाली पहल है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को तीव्र करना है।
- **लक्ष्य:**
  - **1 बिलियन लोगों** को ऊर्जा उपलब्ध कराना,
  - **150 मिलियन लोगों** को हरित रोजगार उपलब्ध कराना,
  - **4 बिलियन टन** उत्सर्जन से बचाव करना आदि।
- **फोकस क्षेत्र:** वितरित नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, ऊर्जा संबंधी गरीबी (विद्युत तक पहुंच का अभाव) उन्मूलन, सतत विकास आदि।

5.6.16. कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम {COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE (CAES) SYSTEM}

दुनिया की सबसे बड़ी **कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज (CAES) सिस्टम** फैसिलिटी ने चीन में पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है।

कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज (CAES) के बारे में

- यह संपीड़ित वायु को रोकने के लिए भूमिगत खदानों या नमक गुफाओं जैसी सीलबंद जगहों का उपयोग करता है।
- यह तकनीक **विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा (संपीडित वायु) के रूप में भंडारित करती है**।
- इसमें ऊर्जा को **ऑफ-पीक घंटों के दौरान भंडारित किया जाता है तथा मांग अधिक होने पर ग्रिड में आपूर्ति कर दी जाती** है।

5.6.17. एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियम, 2025 (END-OF-LIFE VEHICLES RULES, 2025)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025" अधिसूचित किए।

- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत अधिसूचित किए गए ये नियम **1 अप्रैल, 2025** से लागू होंगे।
- प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन यानी **एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स** (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन): वे वाहन जो अब पंजीकृत नहीं हैं, अनुपयुक्त माने गए हैं या रद्द कर दिए गए हैं।

इस नियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **किन वाहनों पर लागू होंगे:** ये नियम EoLV को संभालने वाले **वाहनों के निर्माता, पंजीकृत मालिक, स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) और टेस्टिंग स्टेशन** आदि पर लागू होंगे।
- **अपवाद:** मौजूदा नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों, प्लास्टिक पैकेजिंग, टायर, प्रयुक्त तेल और ई-अपशिष्ट शामिल नहीं है।
- **वाहन निर्माता की जिम्मेदारियां:** RVSF से EPR प्रमाण-पत्र के माध्यम से EPR को पूरा करना।
- **EPR प्रमाण-पत्र:** यह प्रमाण-पत्र **CPCB** द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से RVSF को जारी किया जाता है।
- **वाहन के पंजीकृत मालिक और थोक उपभोक्ता की जिम्मेदारियां:** 180 दिनों के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर EoLV जमा करना।
- **कार्यान्वयन समिति:** नियम लागू करने के लिए CPCB अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गठित।

5.6.18. विश्व के पहले क्रायो-बॉर्न बेबी प्रवाल (WORLD'S FIRST CRYO-BORN BABY CORALS)

ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में दुनिया के पहले क्रायो-बॉर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। .

क्रायो-बॉर्न कोरल के बारे में

- **क्रायो-बॉर्न कोरल को क्रायोप्रिजर्वेशन** तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसमें प्रवाल कोशिकाओं और ऊतकों को **बहुत कम तापमान पर फ्रीज** किया जाता है।
- **क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोसेस:** फ्रीजिंग के दौरान कोशिकाओं से पानी निकालने और बर्फ के पिघलने पर प्रवाल की कोशिका संरचनाओं को सहारा देने के लिए **क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का उपयोग** किया जाता है।

इस सफलता का महत्त्व

- **जलवायु परिवर्तन का सामना:** इसका उद्देश्य **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम लाखों प्रवालों को रीफ में जोड़ना** है।
- **चयनात्मक प्रजनन (Selective Breeding):** इससे पूरे वर्ष प्रजनन कराया जा सकता है और कॉलोनियों का बार-बार इस्तेमाल संभव है, जो प्राकृतिक प्रजनन की साल में एक बार की सीमा को समाप्त करता है।

प्रवाल भित्ति (Coral Reef) के बारे में

- प्रवाल **एंथोजोआ वर्ग (फाइलम नाइडेरिया)** के अंतर्गत आने वाले **अकशेरुकी** जीव हैं। ये छोटे-छोटे पॉलिप्स से बने होते हैं जो मिलकर चूने की चट्टान बनाते हैं। ये पॉलिप्स जिंदा रहने के लिए जूजैंथेले नामक शैवाल पर निर्भर करते हैं।
- **वितरण:** ये 30° उत्तर और 30° दक्षिण अक्षांश के बीच, उथले और धूप वाले समुद्री जल में (16-32°C) मिलते हैं, और आमतौर पर 50 मीटर से कम गहराई पर पाए जाते हैं।
- **प्रवाल भित्तियों के समक्ष खतरा:** जलवायु परिवर्तन, मूंगा खनन, एक्वेरियम का व्यापार, मछली पकड़ने की विनाशकारी प्रथाएं, अत्यधिक मछली पकड़ना, महासागरीय अम्लीकरण, प्रदूषण।

संरक्षण हेतु शुरू की गई अन्य पहलें

भारत में:

- **आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों पर राष्ट्रीय समिति (1986):** यह संरक्षण पर सलाह देती है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986):** निर्माण कार्यों के लिए प्रवाल और रेत के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI):** प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना के लिए बायोरॉक या मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।

वैश्विक स्तर पर:

- **CITES** ने प्रवालों के व्यापार को विनियमित करने के लिए **प्रवाल प्रजातियों को परिशिष्ट-II** में सूचीबद्ध किया है।
- **विश्व धरोहर अभिसमय** प्रवाल भित्ति स्थलों को संरक्षण के लिए नामित करता है।
- **विश्व का सबसे बड़ा फ्रोजन कोरल भंडार:** टारोंगा क्रायोडायवर्सिटी बैंक में 32 प्रवाल प्रजातियों के खरबों स्पर्म संग्रहित हैं, जिन्हें 2011 से प्रतिवर्ष एकत्र किया जा रहा है।

5.6.19. बाघों का स्थानांतरण (TRANSLOCATION OF TIGERS)

मध्य प्रदेश सरकार **छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा**, तीनों राज्यों को 15 बाघ देगी।

- बाघों को मध्य प्रदेश के **बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित** किया जाएगा। यह **एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम** के तहत किया जाएगा।
- यह किसी भी राज्य से सर्वाधिक संख्या में बाघों का स्थानांतरण होगा। ऐसा मध्य प्रदेश में बाघों की **सर्वाधिक संख्या (785)** के कारण संभव हुआ है।

अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजनाओं (ISTTPs) के बारे में

- **उद्देश्य:** बाघों को उन ऐतिहासिक क्षेत्रों में पुनः बसाना जहां वे लुप्त हो गए हैं या **लंबे समय तक बाघों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मौजूदा बाघों की संख्या में वृद्धि करना**।

- वर्ष 2018 में पहली परियोजना के तहत कान्हा और बांधवगढ़ से दो बाघों को सतकोसिया टाइगर रिजर्व (ओडिशा) में स्थानांतरित किया गया, जिसका मार्गदर्शन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया गया।
- **स्थानांतरित करने के लाभ:** पारिस्थितिक संतुलन, मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना, भू-परिदृश्यों का पुनरुद्धार।
- **बाघों को स्थानांतरित करने से जुड़ी चिंताएं:** स्थानीय समुदायों का विरोध, मौजूदा बाघों के साथ अपने इलाकों को लेकर संघर्ष, शिकार की कम उपलब्धता जैसे खराब वन प्रबंधन आदि।

मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य

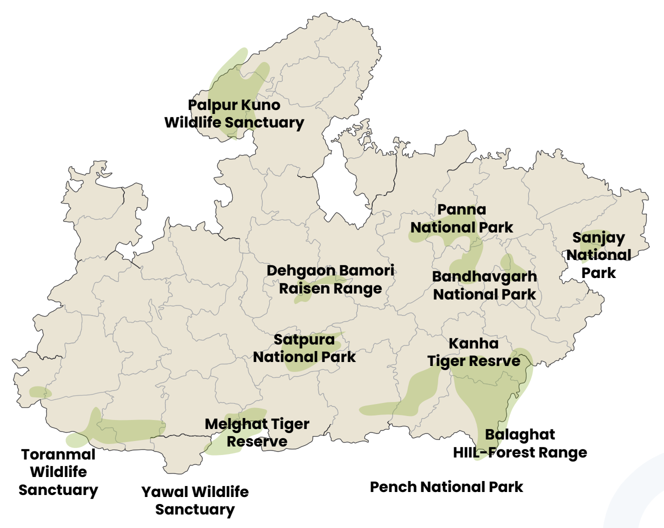

5.6.20. होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य (HOLLONGAPAR GIBBON WILDLIFE SANCTUARY)

हाल ही में, **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड** की स्थायी समिति ने **होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य** के **इको-सेंसिटिव जोन** में तेल और गैस की खोज के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** यह अभयारण्य **असम के** जोरहाट जिले में स्थित है।
  - इसमें आधिकारिक तौर पर डिसोई घाटी रिजर्व फॉरेस्ट, डिसोई रिजर्व फॉरेस्ट और तिरु हिल रिजर्व फॉरेस्ट शामिल हैं।
- **स्थापना:** 1997
- **महत्व:** इसमें भारत की एकमात्र गिब्बन प्रजाति **'हूलॉक गिब्बन'** प्राप्त होती है। साथ ही, इसमें पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट **'बंगाल स्लो लोरिस'** भी पाया जाता है।
  - यहां पाए जाने वाले अन्य नॉन-ह्यूमन प्राइमेट्स हैं- **कैप्ड लंगूर, रीसस मैकाक, असमिया मैकाक, पिगटेल्ड मैकाक और स्टंप टेल्ड मैकाक।**

5.6.21. शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य (SHIKARI DEVI WILDLIFE SANCTUARY)

केंद्र सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को **इको-सेंसिटिव जोन (ESZ)** के रूप में नामित किया है।

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की मध्य ऊंचाई वाली श्रृंखला** पर स्थित है।
- **नाम:** अभयारण्य का नाम देवी **शिकारी देवी** के नाम पर रखा गया है। अभयारण्य में देवी को समर्पित एक मंदिर भी है।
- **विशेषताएं:** इसमें जूनी खुद जलधारा शामिल है।
- **जलनिकाय:** जूनी खुद। यह **ब्यास नदी** की एक सहायक नदी है। इसे **एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता** दी गई है। इसमें अल्पाइन चरागाह और शीतोष्ण पर्णपाती जैसे वन भी हैं। एशियाई काला भालू, तेंदुआ, बार्किंग डियर, विशाल उड़ने वाली गिलहरी आदि का घर भी है।

5.6.22. कवचम (KaWaCHaM)

केरल ने वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट के लिए केरल **चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली (KaWaCHaM) शुरू की है।**

कवचम के बारे में

- **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (NCRMP)** के अंतर्गत **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक के सहयोग** से केरल राज्य आपदा प्रबंधन **प्राधिकरण (KSDMA) द्वारा विकसित।**
- **कार्य: भारी बारिश जैसे चरम मौसम के लिए खतरे का आकलन, अलर्ट और खतरा-आधारित कार्रवाई** योजना प्रदान करता है।

5.6.23. गंभीर प्रकृति की विपदा (Calamity of Severe Nature)

अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) ने **वायनाड भूस्खलन** को **'गंभीर प्रकृति की विपदा' घोषित किया।**

गंभीर प्रकृति की आपदा

- **वैधानिक प्रावधान:** SDRF या NDRF के दिशा-निर्देशों में प्राकृतिक विपदा को 'गंभीर प्रकृति की विपदा' घोषित करने के लिए **कोई विशिष्ट मानदंड नहीं** दिया गया है। केंद्र सरकार तीव्रता, नुकसान की मात्रा और IMCT की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेती है।
- **वित्तीय सहायता:** "गंभीर प्रकृति की विपदा" से निपटने के लिए, राज्य को अपने SDRF में उपलब्ध शेष राशि के अलावा **NDRF से भी अतिरिक्त धनराशि** मिलती है।

5.6.24. गरुड़ाक्षी (Garudakshi)

कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 'गरुड़ाक्षी' ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की।

गरुडाक्षी के बारे में

- यह पुलिस विभाग की FIR प्रणाली के समान **ऑनलाइन FIR प्रणाली को सक्षम करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से** आम जनता मोबाइल फोन या ईमेल के जरिए वन अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकेगी।
- इसे **भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट** के सहयोग से विकसित किया गया है।

5.6.25. भारत की तटरेखा की पुनर्गणना (INDIA'S COASTLINE RECALCULATED)

भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7,516 कि.मी. से बढ़ाकर 2023-24 में **11,098 किमी** कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में **48% की वृद्धि** को दर्शाता है।

- इस वृद्धि का कारण **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक** द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का उपयोग किया जाना है। यह पद्धति जटिल तटीय संरचनाओं जैसे खाड़ी, ज्वारनदमुख और निवेशिकाओं को भी मापती है, जबकि पुराने तरीकों में लम्बाई को सीधी रेखा में मापा जाता था।

मुख्य निष्कर्ष

- **पश्चिम बंगाल** में सबसे अधिक वृद्धि (357%), **केरल में सबसे कम (5%), जबकि पुडुचेरी की तटरेखा 4.9 कि.मी. तक कम हुई है।**
- गुजरात सबसे लम्बी तटरेखा वाला राज्य बना हुआ है। इसके **बाद तमिलनाडु है का स्थान है, जिसने आंध्र प्रदेश (तीसरे) को पीछे छोड़ दिया है।**

5.6.26. हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश (HYDROCLIMATIC WHIPLASH)

विशेषज्ञों ने अमेरिका में वनाग्नि की भीषणता के लिए **हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश को जिम्मेदार** माना है। **जलवायु परिवर्तन** ने हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश घटना को **और गंभीर** बना दिया है।

हाइड्रोक्लाइमेट व्हिपलैश के बारे में

- यह एक दुर्लभ स्थिति है, जहां **अत्यधिक आर्द्र मौसम के बाद अत्यधिक शुष्क मौसम के आने** से यह स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रभाव

- **अचानक बाढ़, वनाग्नि, भूस्खलन** जैसे खतरें बढ़ जाते हैं।
- हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन बढ़ने या जल में अत्यधिक कार्बनिक या खनिज सामग्री के मिलने से **जल की गुणवत्ता प्रभावित** होती है।
- पादपों की उत्पादक क्षमता कम होने और बड़ी संख्या में मवेशी मर जाने से **खाद्य संकट उत्पन्न** हो जाता है।

5.6.27. पोलर वॉर्टेक्स (POLAR VORTEX)

पोलर वॉर्टेक्स के दक्षिण दिशा में प्रसार के कारण आर्कटिक ब्लास्ट (Arctic Blast) हुआ है। इसके कारण **संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा** में अत्यधिक ठंड पड़ रही है।

पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या है?

- **परिभाषा:** यह **पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के चारों ओर संचरण (वामावर्त/ एंटीक्लॉक) करता निम्न दाब और ठंडी हवा** का एक विशाल क्षेत्र होता है।

प्रकार:

- **क्षोभमंडलीय ध्रुवीय भंवर:** ये धरातल से **10-15 किमी की ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत में निर्मित** होते हैं।
- **समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर:** ये धरातल से लगभग **15 से 50 किमी की ऊंचाई** पर निर्मित होते हैं।

पोलर वॉर्टेक्स के प्रभाव

- **आर्कटिक ब्लास्ट:** ध्रुवीय भंवर में व्यवधान के कारण अमेरिका में ठंडी हवा का अचानक और तीव्र प्रसार होने लगता है, जिससे आर्कटिक हवा दक्षिण की ओर फैल जाती है।
- **चरम मौसमी घटनाएं: कमजोर ध्रुवीय भंवर के कारण जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर सरक** सकती है। इससे निचले अक्षांशों तक ठंडी हवा का प्रसार हो जाता है और चरम मौसमी घटनाएं शुरू हो जाती हैं।
- **ओज़ोन क्षरण:** ध्रुवीय भंवर के भीतर मौजूद ठंडी हवा विशेष रूप से **अंटार्कटिका में ओज़ोन के क्षरण को तेज** करती है। इससे **ओज़ोन छिद्र** बन सकता है।
- **भारत पर प्रभाव: कमजोर ध्रुवीय भंवर** के परिणामस्वरूप **अधिक पश्चिमी विक्षोभ** उत्पन्न होते हैं। इससे **पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी** होती है और उत्तरी भारत में तापमान काफी गिर जाता है।

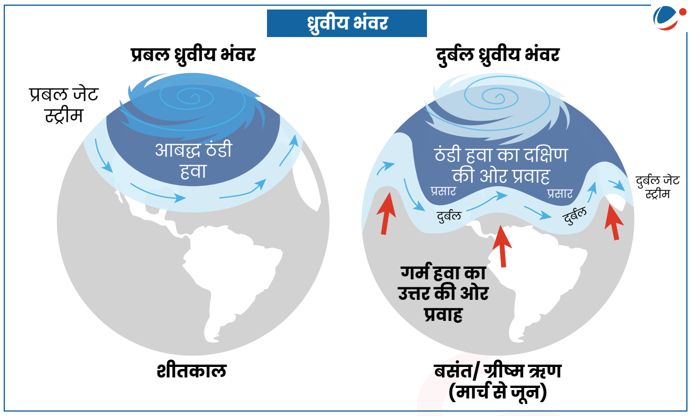

5.6.28. आर्टिजियन दशाएं (ARTESIAN CONDITION)

हाल ही में, **राजस्थान के जैसलमेर** के एक गांव में आर्टिजियन दशाएं देखी गई।

आर्टिजियन दशाओं के बारे में

- इसके तहत **भूमिगत जल अपेक्षाकृत अभेद्य या अपारगम्य चट्टान की परतों में फंसा** रहता है। यह **पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में कम पारगम्य चट्टानों से घिरा** रहता है। इसके परिणामस्वरूप, भूमिगत दबाव बहुत अधिक हो जाता है।
- **आर्टिजियन दशाएं तब बनती हैं**, जब भूजल का प्रवाह **पुनर्भरण क्षेत्र से निम्न ऊंचाई वाले निकासी बिंदु** तक होने लगता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक जल सोते (Springs), ड्रिलिंग उद्योग, आदि। ट्यूबवेल या कुएं से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत होती है, लेकिन आर्टिजियन जल स्वयं भूमिगत दबाव के कारण ऊपर धरातल की ओर निकलने लगता है।

5.6.29. मूसी नदी (Musi River)

मूसी नदी के किनारे की ऐतिहासिक इमारतों को **'वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025'** में शामिल किया गया है।

- **'वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच' दो वर्षों पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में **सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के लिए जागरुकता और सामूहिक कार्रवाई** को बढ़ावा देना है।

मूसी नदी के बारे में

- **उद्गम: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अनंतगिरि की पहाड़ियों** से। यह **कृष्णा नदी** की बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इस नदी पर **उस्मानसागर और हिमायतसागर जलाशयों का निर्माण** किया गया है।
- **ईसी** (8 किलोमीटर) और **मूसा** (13 किलोमीटर) नामक दो **नदिकाएं (Rivulets) मिलकर मूसी नदी** का निर्माण करती हैं।

5.6.30. माउंट इबू (MOUNT IBU)

इंडोनेशिया के सुदूर हेलमहेरा द्वीप पर स्थित माउंट इबू में इस महीने 1,000 बार ज्वालामुखीय प्रस्फुटन हुआ।

माउंट इबू के बारे में

- माउंट इबू एक **सक्रिय ज्वालामुखी** है। यह **पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है,** जो लगातार **ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप** के लिए जाना जाता है।
- **इंडोनेशिया में अनेक ज्वालामुखी हैं,** क्योंकि यह **अभिसारी टेक्टोनिक प्लेटों,** विशेष रूप से **प्रशांत, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों** पर स्थित है।
- **इंडोनेशिया में अन्य हालिया ज्वालामुखी प्रस्फुटन:** माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी।

6.1. बढ़ती वैश्विक आर्थिक असमानताओं पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट (OXFAM REPORT ON WIDENING GLOBAL ECONOMIC INEQUALITIES)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, ऑक्सफैम ने **"टेकर्स नॉट मेकर्स: द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कोलोनियल इनहेरिटेंस"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **वैश्विक स्तर पर अत्यधिक असमानता:** विश्व की **44% आबादी प्रति दिन 6.85 डॉलर (PPP)** से कम आय में जीवन यापन कर रही है, जबकि 1% के पास 45% संपत्ति है।
  - **अरबपति उपनिवेशवाद:** 2024 में, अरबपतियों की संपत्ति **2023 की तुलना में तीन गुना तेजी** से बढ़ी है।
  - **अधिकांश अरबपतियों की संपत्ति अनर्जित प्रकृति की हैं:** अरबपतियों की 60% संपत्ति विरासत, भाई-भतीजावाद या एकाधिकार से प्राप्त।
- **औपनिवेशिक विरासत:** अधिक-अमीर लोगों की संपत्ति का बहुत सा हिस्सा ऐतिहासिक और आधुनिक उपनिवेशवाद को दर्शाती है।
  - **ऐतिहासिक: द्वितीय विश्व युद्ध तक** अन्य देशों पर अमीर देशों का कब्जा।
  - **आधुनिक उपनिवेशवाद (नव-उपनिवेशवाद):** ग्लोबल नॉर्थ का ग्लोबल साउथ के देशों पर प्रभुत्व।
    - **डिजिटल औपनिवेशिकता:** बिग टेक कंपनियां डिजिटल जीवन को नियंत्रित करती है।
    - **शोषणकारी कॉर्पोरेट संरचनाएं**: MNCs ने 242 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (1995-2015) के संसाधनों का दोहन किया।
    - **शक्ति का असमान वितरण:** G7 के पास 10% से भी कम आबादी के साथ IMF के 41% वोट हैं।
- **ऐतिहासिक उपनिवेशवाद का प्रभाव**
  - **असमानता:** वैश्विक कर धोखाधड़ी के कारण कर घाटा (47 बिलियन डॉलर) उनके स्वास्थ्य बजट का 49% है; और कुल बजट का 48% ऋण पर खर्च किया गया।
  - **सीमा संघर्ष:** मनमाने औपनिवेशिक विभाजन के कारण।
  - **सामाजिक विभाजन:** नस्लवाद, भूमि संबंधी मुद्दे, खराब स्वास्थ्य सेवाएँ है।
  - **लैंगिक असमानता:** उपनिवेशवाद ने महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को दरकिनार कर दिया (**जैसे- नगदी फसलों की शुरुआत**)।

भारत में आर्थिक असमानता

- **संपत्ति में असमानता:** भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति है (ऑक्सफैम)।
- **आय में असमानता:**
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपये है।
  - **लैंगिक आधार पर वेतन में अंतराल**: कुल श्रम आय में पुरुष 82% और महिलाएँ 18% कमाते हैं (वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022)।
- **औपनिवेशिक काल में संपत्ति का दोहन:** 1765 से 1900 के बीच, **ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन डॉलर का दोहन किया**, जिसमें से 33.8 ट्रिलियन डॉलर शीर्ष 10% अमीरों के पास गया।

औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से धन का निकासी

- **दादाभाई नौरोजी**
  - उन्होंने अपने 3 शोधपत्रों में तर्क दिया कि ब्रिटेन भारत से एक-चौथाई से अधिक राजस्व का दोहन करके और उसे हड़प लिया।
    - **इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया** (1867)
    - **पावर्टी ऑफ इंडिया** (1873)
    - **पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया** (1901)
  - **उनके "धन की निकासी" सिद्धांत में अत्यधिक भूमि राजस्व, व्यापार शोषण शामिल** था। इसके कारण वर्ष 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन 1900 तक यह घटकर मात्र 2% रह गई थी।
    - **अन्य कारक:** होम चार्ज, ब्रिटेन को लाभ, मुद्रा हेरफेर, आदि
- बीसवीं सदी की शुरुआत में **आर. सी. दत्त** ने अनुमान लगाया कि भारत से लगभग प्रतिवर्ष 20 मिलियन पाउंड **ब्रिटेन भेजे जाते थे।**

आगे की राह (रिपोर्ट में की गई सिफारिशें)

- **राष्ट्रीय लक्ष्य:**
  - **समय-सीमा के साथ** असमानता कम करने **की योजनाएँ निर्धारित करें।**
  - **औपनिवेशिक संस्थाओं में सुधार करें** (असमानता को बनाए रखना)।
- **वैश्विक शासन:** विश्व बैंक/IMF में **ग्लोबल साउथ देशों की मतदान शक्ति** में वृद्धि किया जाना चाहिए।
- **संयुक्त राष्ट्र में सुधार:** सुरक्षा परिषद में वीटो पॉवर को समाप्त करना, ग्लोबल साउथ के देशों को स्थायी सदस्यता देना, आदि।
- **अत्यधिक धनी लोगों पर कर लगाना** और **टैक्स हेवन्स को समाप्त करना।**
- **एकाधिकार को समाप्त करना: कॉरपोरेट कंपनियों पर विनियमन** की आवश्यकता है ताकि वे कर्मचारियों को न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य वेतन दें और जलवायु व लैंगिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हों।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** ग्लोबल साउथ में तकनीक/संसाधनों को साझा करना
- **पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए** और असंधारणीय ऋण को माफ़ करने में सहायता करनी चाहिए।

6.2. भारत का डिजिटल स्वास्थ्य (India's Digital Health)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के "इंडिया कैन बी अ ग्लोबल पाथफाइंडर इन डिजिटल हेल्थ" नामक लेख में एक मजबूत वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत **टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHRs) और एआई डायग्नोस्टिक्स** के साथ **शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच अंतर** को पाट रहा है।
- **भारत मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और निजी क्षेत्र** के नवाचार भारत को अनुकूलनीय स्वास्थ्य देखभाल समाधानों में अग्रणी स्थान दिलाते हैं।

डिजिटल स्वास्थ्य क्या है?

- **परिभाषा:** WHO के अनुसार, डिजिटल स्वास्थ्य **"स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों** के विकास और उपयोग से संबंधित **ज्ञान एवं अभ्यास** का क्षेत्र" है।
- **घटक**:
  - **डिजिटल हेल्थ एप्लिकेशन:** जैसे, EHRs; टेलीमेडिसिन; स्वास्थ्य पहलुओं की निगरानी के लिए धारण करने योग्य उपकरण; स्वास्थ्य डेटा का प्रणाली।
  - **प्रौद्योगिकियां:** उदाहरण के लिए, पैटर्न के लिए AI और बिग डेटा; इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स (IoMT); प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने हेतु ऑगमेंटेड रियलिटी (AR)।

WEF द्वारा उजागर किए गए भारत के डिजिटल हेल्थकेयर की प्रमुख विशेषताएँ

- **इंटरऑपरेबिलिटी और मानकीकरण:** उदाहरण के लिए- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), विशिष्ट स्वास्थ्य IDs** के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों को एकीकृत करता है। अन्य उदाहरण: CoWIN, यू-विन पोर्टल, आरोग्य सेतु, ई-अस्पताल, आदि।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)** का **हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर** सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में डेटा का मानकीकरण करता है।
- **वहनीयता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना:** उदाहरण के लिए- **ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा** दूरदराज के क्षेत्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा से जोड़ती है।
- **वैश्विक प्रभाव:** उदाहरण के लिए, **भारत अपनी डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना** वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल समाधान विकसित करने के लिए एक आदर्श परीक्षण स्थल है।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी चिंताएं

- **मानकीकरण का अभाव:** डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड (जैसे, ESIC कार्ड, PM-JAY कार्ड आदि) में एकरूपता का अभाव है, जिससे डेटा माइग्रेशन जटिल हो जाता है।
- **समानता और पहुँच:** उदाहरण के लिए, **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण** की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **लगभग 30 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा संस्थान खराब डेटा कनेक्टिविटी की समस्या का सामना कर रहे** हैं। इससे चिकित्सा उपचार प्रभावित हो रहा है।
- **निजता और सुरक्षा संबंधी समस्याएं:** उदाहरण के लिए, **नवंबर 2022 में, AIIMS पर साइबर हमला हुआ।** इसके कारण **लगभग 4 करोड़ रोगियों के संवेदनशील डेटा प्रभावित** हुए।
- **एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias):** उदाहरण के लिए, लागत आधारित पूर्वाग्रह के कारण अमेरिका में AI ने अश्वेत मरीजों की तुलना में श्वेत मरीजों को तरजीह दी।

निष्कर्ष

भारत की **डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना** में **स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और दक्षता बढ़ाने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं।** साथ ही, **नीतिगत समर्थन** (जैसे, **साइबर सुरक्षा**), **अवसंरचना विकास** (जैसे, **भारतनेट, ब्लॉकचेन**), **सार्वजनिक-निजी साझेदारी,** और तकनीकी प्रगति के निरंतर प्रयासों से भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में **वैश्विक स्तर पर एक मान्यता प्राप्त डिजिटल हेल्थ मॉडल के रूप में विकसित होने की संभावना** है।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

6.3.1. यूनिसेफ की रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर (DPI) के महत्त्व को उजागर किया गया {ROLE OF DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE (DPI) FOR CHILDREN EXPLORED BY UNICEF REPORT}

यूनिसेफ ने **"ग्लोबल आउटलुक 2025: प्रॉस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बच्चों के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में **DPI की रूपांतरकारी भूमिका** के बारे में बताया गया है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर (DPI) क्या है?

- यह उन **साझा डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है, जो सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित** करती हैं।
- इसके इकोसिस्टम में **प्रौद्योगिकी, बाजार और गवर्नेंस** शामिल हैं।

बच्चों के कल्याण में DPI की भूमिका

- **पहुँच:** डिजिटल आई.डी. आवश्यक सेवाओं पहुंच को सक्षम बनाते हैं। जैसे, दीक्षा अंतराल को समाप्त करती है।
- **वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा** देता है।
- लक्षित लाभों के साथ **सामाजिक सुरक्षा** में सुधार करती है।

DPI के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां

- **डिजिटल असमानता:** उदाहरण के लिए, केवल 43.6% भारतीय ग्रामीण युवा ईमेल भेज सकते हैं।
- **राष्ट्रीय पहचान-पत्र में सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स (CRVS) प्रणालियों का खराब एकीकरण:** यह सार्वभौमिक कवरेज में बाधा उत्पन्न करता है।
- **अन्य:** इंटरऑपरेबिलिटी, सुरक्षा, गोपनीयता जोखिम।

सिफारिशें

- डिजिटल आई.डी. के लिए **CRVS को डिजिटाइज़** करना चाहिए।
- सभी सेवाओं में **सुरक्षित डेटा शेयरिंग** को संभव किया जाना चाहिए।
- **युवाओं में डिजिटल वित्तीय साक्षरता** को बढ़ावा देना चाहिए।
- डिजिटल अवसंरचना डिजाइन करते समय **बच्चों की राय को शामिल करना** अनिवार्य होना चाहिए।

6.3.2. स्कूल शिक्षा पर UDISE+ 2023-24 रिपोर्ट (UDISE+ 2023-24 REPORT ON SCHOOL EDUCATION)

शिक्षा मंत्रालय ने 'स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2023-24 रिपोर्ट' जारी की।

- 2022-23 से **देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक छात्र का डेटा एकत्र** किया गया है।
- UDISE+ रिपोर्ट **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** की सिफारिशों के अनुरूप है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **नामांकन:** 25.18 करोड़ (2022-23) से गिरकर 24.8 करोड़ (2023-24) हो गया।
- **ड्रॉपआउट : बुनियादी स्तर पर स्तर पर शून्य; माध्यमिक स्तर पर अधिकतम।**
  - बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नामांकन में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।
- **प्रतिधारण दर (रिटेंशन रेट):** प्रारंभिक (Elementary) स्तर पर अधिक देखी गई है।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER): माध्यमिक स्तर को छोड़कर सभी स्तरों पर मामूली गिरावट** दर्ज की गई है।
- **स्कूल संबंधी अवसंरचनाएं:** असम, ओडिशा और कर्नाटक में स्कूली अवसंरचनाओं का कम उपयोग हो रहा है।

UDISE+ के बारे में

- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा मैन्युअल डेटा संग्रह के स्थान पर ऑनलाइन संग्रह किया जाएगा।
- ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म के माध्यम से स्कूल, अवसंरचना, शिक्षक, नामांकन, जैसे मापदंडों पर जानकारी एकत्र करता है।

6.3.3. एम्पॉवहर बिज़ (EMPOWHER BIZ)

नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (WEP) ने एम्पॉवहर बिज़- सपनों की उड़ान लॉन्च की है।

- WEP को **2018 में नीति आयोग** द्वारा शुरू किया गया था। 2022 में यह **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** में परिवर्तित हो गया था।
- **उद्देश्य:**
  - **महिला उद्यमियों** को आवश्यक कौशल और संसाधन प्रदान करना।
  - महिला उद्यमियों को खुदरा प्रबंधन, डिजिटल उपकरण, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विकास पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

7.1. जीनोम इंडिया परियोजना (GENOME INDIA PROJECT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जीनोम इंडिया परियोजना (GIP) ने 10,000 व्यक्तियों के जीनोमिक डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC), फरीदाबाद** में व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा को संग्रहीत किया गया है। यह **जैव प्रौद्योगिकी विभाग** के तहत भारत का **पहला राष्ट्रीय जीवन विज्ञान डेटा संग्रह** है।
- **'डेटा प्रोटोकॉल के आदान-प्रदान के लिए फ्रेमवर्क' (FeED) बायोटेक-PRIDE दिशा-निर्देशों** के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। यह पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से उच्च गुणवत्ता वाले, राष्ट्र-विशिष्ट डेटा साझाकरण को सुनिश्चित करता है।

जीनोम इंडिया परियोजना (GIP) के बारे में

- **लॉन्च:** 2020 में **DBT द्वारा, 20 संस्थानों के सहयोग से।**
- **उद्देश्य:** भारतीय जनसंख्या की अद्वितीय विविधता को दर्शाने वाली आनुवंशिक विविधताओं की एक व्यापक सूची तैयार करना।
- **मुख्य उपलब्धियां:**
  - 83 अलग-अलग जनसंख्या समूहों से **20,000 नमूने एकत्र** कर एक बायो बैंक की स्थापना की गई है।
  - **10,000 जीनोम्स का अनुक्रमण किया गया, भारत के लिए एक संदर्भ जीनोम** तैयार हुआ।

जीनोम अनुक्रमण क्या है?

- **जीनोम अनुक्रमण** DNA/ RNA में न्यूक्लियोटाइड बेस के सटीक अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
- **उपयोग:**
  - **स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा:** आनुवंशिक विकारों की पहचान करता है, रोग अनुसंधान में सहायता करता है, आदि।
  - **लोक स्वास्थ्य:** रोगजनकों को ट्रैक करता है, वैक्सीन विकास में सहायता करता है।
  - **कृषि:** फसल और पशुधन आनुवंशिकी में सुधार करता है।

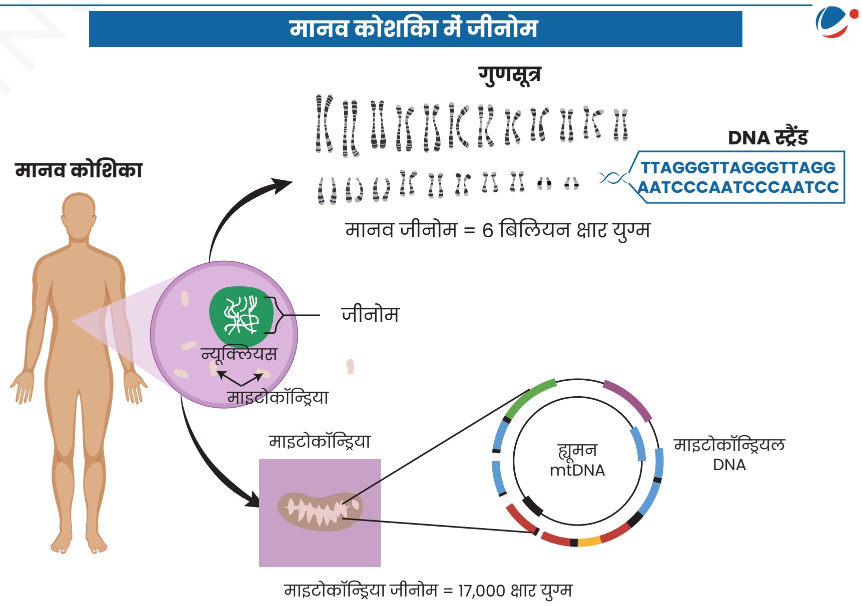

जीनोम अनुक्रमण से संबंधित चुनौतियां

- **जीनोम अनुक्रमण से संबंधित चुनौतियां**
- **डेटा संबंधी सटीकता: विशेषकर** लॉन्ग-रीड सिक्वेंसिंग के मामले में अभी भी त्रुटियां बनी रहती है।
- **डेटा सुरक्षा का मुद्दा:** कई भारतीय अनुवांशिक नमूनों को अनुक्रमण के लिए विदेश भेजा जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं।
- **अन्य:** उच्च लागत, असमानता (गरीबों के लिए सीमित पहुँच), नैतिक चिंताएँ (सूचित सहमति के मुद्दे), आदि।

निष्कर्ष

जीनोम अनुक्रमण को नेक्स्ट-जनरेशन सिक्वेंसिंग (NGS) का विस्तार करके, स्पष्ट नैतिक फ्रेमवर्क को लागू करके, आदि अधिक कुशल तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

जीनोम अनुक्रमण पर अन्य परियोजनाएं

- **इंडिजेन कार्यक्रम** (CSIR द्वारा): विभिन्न नृजातीय समूहों के भारतीयों के जीनोम का अनुक्रमण करना।
- **'वन डे वन जीनोम' पहल (DBT द्वारा):** देश में पाए जाने वाले अद्वितीय बैक्टीरियल प्रजातियों को उजागर करना।
- **मानव जीनोम परियोजना (HGP):** मानव जीनोम का मानचित्रण और अनुक्रमण करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (1990-2003) था।

7.2. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें {GENETICALLY MODIFIED (GM) CROPS}

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **खतरनाक सूक्ष्म जीवों/ आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण (संशोधन) नियम 2024** का मसौदा जारी किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह मसौदा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी **खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।**
- **सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों (जीन कैम्पेन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद) का पालन करते हुए** इन संशोधनों का उद्देश्य आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीवों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) फसलें:

- जिन पादपों, बैक्टीरिया, कवक और प्राणी के **जीन में अपेक्षित परिवर्तन किया गया है,** उन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित सजीव (GMOs) कहते हैं।
- **GM फसलें विकसित करने में शामिल विधियाँ**
  - **जीन गन दृष्टिकोण:** DNA-कोटेड धातु के कणों को पौधे की कोशिकाओं में तेजी से डाला जाता है।
  - **एग्रोबैक्टीरियम विधि:** एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसिएन्स वांछित जीन को पौधों की कोशिकाओं में स्थानांतरित करता है।
  - **इलेक्ट्रोपोरेशन:** इलेक्ट्रिक पल्सेस का उपयोग करके पौधे की कोशिका में छोटे छिद्र बनाए जाते हैं और DNA इन छिद्रों के जरिए कोशिका में प्रवेश करता है।

भारत में GM फसलें

- **बीटी कॉटन**: यह 2002 से भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल है।
- **बीटी बैंगन: इसे** 2009 में GEAC द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया।
- **GM सरसों (DMH-11):** यह सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (दिल्ली विश्वविद्यालय) द्वारा विकसित किया गया है।

भारत में GMOs का विनियमन

- **विनियमन और अनुमोदन संबंधी निकाय:**
  - **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)**
  - **जेनेटिक मैनिपुलेशन पर समीक्षा समिति (RCGM)** (DBT के तहत) - अनुसंधान संबंधी सुरक्षा, आयात/निर्यात आदि की निगरानी करती है।
  - **संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (IBSC):** यह संस्थागत स्तर पर जैव सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- **सलाहकारी निकाय: रिकॉम्बिनेंट DNA सलाहकार समिति (RDAC)**
- **निगरानी हेतु निकाय:** राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति (SBCC) और जिला स्तरीय समिति (DLC)

अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के लाभ

कृषि उत्पादकता: अधिक उपज, सूखा एवं खारेपन को सहने की क्षमता।

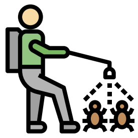

कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता: कीटनाशकों का कम उपयोग (उदाहरण: Bt कपास)।

पोषण में सुधार: बायो-फोर्टिफिकेशन (उदाहरण: गोल्डन राइस), बेहतर तेल और प्रोटीन की मात्रा (उदाहरण: GM सोयाबीन)।

पर्यावरणीय लाभ: निम्नतर कार्बन फुटप्रिंट, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलता, और मृदा संरक्षण।

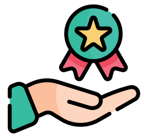

अन्य लाभ: खाद्य सुरक्षा और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी।

GM फसलों से जुड़ी चिंताएं

- **पारिस्थितिकी जोखिम:** आनुवंशिक संदूषण, शाकनाशी प्रतिरोध (जैसे, ग्लाइफोसेट), आदि।
- **कीट प्रतिरोध:** प्रतिरोधी कीटों (जैसे, भारत में पिंक बॉलवर्म, व्हाइटफ्लाइ) के कारण कीटनाशकों पर निर्भरता में वृद्धि।
- **जैव विविधता का नुकसान:** मिट्टी में GM प्रोटीन का रिसाव हो सकता है, जो मिट्टी के सूक्ष्मजीवों और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को प्रभावित कर सकता है।
- **अन्य:** नैतिक मुद्दे (अप्रत्याशित पारिस्थितिक प्रभाव), संभावित एलर्जी, आदि।

निष्कर्ष

GM फसलों से जुड़ी चुनौतियों को GEAC के तहत निगरानी व्यवस्था को मजबूत करके, GM फसलों के प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करके दूर किया जा सकता है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)

- **परिचय:** यह GMO विनियमन के लिए नियम, 1989 के अंतर्गत गठित वैधानिक समिति है।
- **मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- **कार्य:** खतरनाक सूक्ष्मजीवों और रिकॉम्बिनेंट जीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना।

7.3. तीसरा लॉन्च पैड (THIRD LAUNCH PAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित **इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र** में 'तीसरे लॉन्च पैड' (TLP) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

तीसरे लॉन्च पैड' (TLP) के बारे में

- सेमी-क्रायोजेनिक चरण के साथ **अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV)** और **प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3)** के प्रक्षेपण के लिए कॉन्फ़िगर किया गया।
- **महत्त्व**
  - **भविष्य के लिए तैयार:** उन्नत प्रणोदन प्रणालियों के साथ 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) और 2040 तक भारतीय चालक दल के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग का समर्थन करता है।
  - **भावी परिवहन:** आगामी 25-30 वर्षों के लिए अंतरिक्ष परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

श्रीहरिकोटा में मौजूदा लॉन्च पैड

- **प्रथम लॉन्च पैड: ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** और **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)** के लिए।
- **दूसरा लॉन्च पैड: भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV) और प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3)** के लिए।

श्रीहरिकोटा को उपग्रह प्रक्षेपण स्थल के रूप में चयन करने के पीछे निहित कारण

पूर्वी तट पर स्थित होना: यहाँ से उपग्रहों को पूर्व दिशा में सुगमता पूर्वक प्रक्षेपित किया जा सकता है।

विषुवत रेखा के पास स्थित होना: पेलोड को ले जाने के लिए अतिरिक्त गति मिलती है।

सुरक्षा संबंधी नजरिया: इस स्थान पर कम समुद्री या हवाई मार्ग के चलते जोखिम भी कम हो जाता है।

अन्य कारण: यह निर्जन भूमि और समुद्र के पास होने के कारण प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त है।

नई पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV) कार्यक्रम

- **उद्देश्य**: सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए **सूर्य रॉकेट** विकसित करना।
- **विशेषताएं:**
  - यह **थ्री-स्टेज** व्हीकल है। इसमें **पहला स्टेज पुनः प्रयोज्य (Reusable)** है।
  - बूस्टर स्टेज में **सेमी-क्रायोजेनिक प्रोपल्शन** (केरोसीन + LOX) का उपयोग होगा।
  - इसकी पेलोड क्षमता, **वर्तमान पेलोड क्षमता से तीन गुना अधिक** होगी। इसकी लागत **LVM3 की तुलना में 1.5 गुना अधिक** होगी।

इसरो के अन्य प्रक्षेपण यान

- **PSLV:** चार चरणों वाला रॉकेट; पोलर ऑर्बिट मिशनों के लिए उपयोग किया जाता है।
- **GSLV: 3-चरण** वाला रॉकेट; **क्रायोजेनिक ऊपरी चरण** के साथ **भू-अंतरण कक्षा में उपग्रहों** को स्थापित करता है।
- **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV):** हल्के पेलोड के लिए छोटा, लागत प्रभावी **तीन-चरणीय ठोस ईंधन रॉकेट**।
- **भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान Mk-III (LVM3):** हेवी लिफ्ट-ऑफ वाला **तीन-चरणीय रॉकेट**।

7.4. स्क्रैमजेट इंजन (SCRAMJET ENGINE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) ने भारत में पहली बार **एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर** का 120 सेकंड का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इससे **हाइपरसोनिक मिसाइलों** के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत **अमेरिका, रूस, चीन** जैसे राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

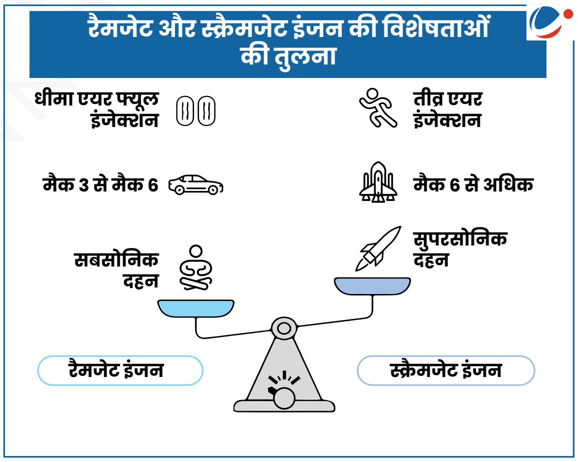

स्क्रैमजेट इंजन के बारे में

- स्क्रैमजेट इंजन का आशय **सुपरसोनिक कम्बस्टिंग रैमजेट इंजन** है।
  - यह **रैमजेट इंजन की तुलना में एक उन्नत संस्करण है।**
    - रैमजेट एक प्रकार का एयर-ब्रीथिंग जेट इंजन है, जो अपनी गति का उपयोग करके हवा को संपीडित करता है, ताकि इसे दहन (Combustion) में इस्तेमाल किया जा सके। इस इंजन में कोई रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता है।
- **इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र:**
  - **फ्लेम स्टेबलाइजेशन:** यह तकनीक 1.5 किमी/सेकंड से अधिक गति पर भी लगातार फ्लेम बनाए रखती है।
  - **असिस्टेड टेक-ऑफ़ पर निर्भर:** प्रारंभिक रॉकेट बूस्ट की आवश्यकता होती है क्योंकि, क्योंकि रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों ही **शून्य वायु गति** पर **थ्रस्ट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं**।

स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी के लाभ

- **अधिक कुशल प्रणोदन प्रणाली:** वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे ऑक्सीडाइज़र निर्भरता कम होती है (रॉकेट में 70%)।
- **लागत-प्रभावी अंतरिक्ष पहुँच:** पुनः उपयोग योग्य इंजन भारी पेलोड को ले जाने में सक्षम होते हैं।
- **रणनीतिक बढ़त:** हाइपरसोनिक मिसाइल और टोही क्षमताओं को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

स्क्रैमजेट तकनीक रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे लागत कम होती है। चल रहे शोध गर्मी प्रतिरोधी सामग्री आदि की आवश्यकता जैसी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

7.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

7.5.1. क्वांटम टेलीपोर्टेशन (QUANTUM TELEPORTATION)

शोधकर्ताओं ने 30 किलोमीटर लंबे फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर प्रकाश की क्वांटम अवस्था को सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट किया। इससे क्वांटम-क्लासिकल नेटवर्क एकीकरण को बढ़ावा मिला।

क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में

- **प्रोसेस:** यह **एंटेंगल्ड अवस्थाओं** का उपयोग करके दो पॉइंट्स के बीच क्वांटम सूचना को स्थानांतरित करने का एक तरीका है।
    - **एंटेंगलमेंट:** इस प्रक्रिया में, कई क्वांटम कण एक-दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।
- **महत्त्व:** यह सफलता क्वांटम इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह **त्वरित एन्क्रिप्शन, बेहतर सेंसिंग और क्वांटम कंप्यूटरों के बीच वैश्विक कनेक्टिविटी** जैसे लाभ प्रदान करती है।

7.5.2. परमाणु घड़ी (Atomic Clock)

यूनाइटेड किंगडम में क्वांटम-आधारित परमाणु घड़ी विकसित की गई है।

परमाणु घड़ी के बारे में

- यह समय की अत्यधिक सटीक माप के लिए **परमाणुओं की विशिष्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी (आमतौर पर सेसियम या रुबिडियम)** का उपयोग करती है।
- क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी **अरबों वर्षों में एक सेकंड से भी कम समय** की चूक करेगी। इससे वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व पैमाने पर समय को मापने में मदद मिलेगी।
- **क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी के लाभ:**
    - यह **ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)** की सटीकता को बढाती है,
    - **उन्नत हथियार प्रणालियों** (जैसे निर्देशित मिसाइलों आदि) की सटीकता को बढ़ाती है।

7.5.3. भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली ने सफलतापूर्वक टेलीसर्जरी को संपन्न किया (INDIA'S FIRST ROBOTIC SYSTEM PERFORMS TELESURGERIES)

भारत की **स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने विश्व की पहली दो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा** किया। देश की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली **SSI मंत्रा** है। मंत्रा ने केवल **40 मिलीसेकंड की विलंबता के साथ टेलीसर्जरी** के माध्यम से रोबोटिक कार्डियक सर्जरी संपन्न की है।

SSI मंत्रा के बारे में

- यह टेलीसर्जरी और टेली-प्रॉक्टोरिंग के लिए **विनियामकीय स्वीकृति प्राप्त करने वाली दुनिया की एकमात्र रोबोटिक प्रणाली** है।
    - हाल ही में, इसे **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- इसने **रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास (TECAB)** का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसे हृदय संबंधी सबसे जटिल सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है।

7.5.4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क (Framework for Artificial Intelligence Diffusion)

अमेरिका की सरकार ने '**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार के लिए फ्रेमवर्क**' जारी किया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य **वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मार्केट के लिए निर्यात और सुरक्षा नियम** लागू करना है। इस फ्रेमवर्क के तहत, **भारत द्वारा GPU (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) के आयात पर कुछ प्रतिबंध** लगाए गए हैं, जब तक कि सुरक्षित तरीके से होस्ट न किया जाए।

'AI प्रसार के लिए फ्रेमवर्क' के बारे में

- इसका उद्देश्य **आर्थिक लाभ** और **अमेरिकी हितों के बीच संतुलन** बनाते हुए **AI के प्रसार को नियंत्रित करना** है।
- यह **त्रि-स्तरीय रणनीति पर आधारित है:**
    - **विशेष छूट:** कुछ सहयोगी देशों को निर्यात एवं पुनः निर्यात की अनुमति दी गई है।
    - **सप्लाई चेन में छूट:** उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात की अनुमति है।
    - **आंशिक छूट:** सीमित मात्रा में कंप्यूटिंग संसाधनों के वैश्विक स्तर पर विनिमय की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह छूट उन देशों के लिए नहीं है, जिन पर **हथियारों की खरीद-बिक्री के संबंध में प्रतिबंध** लगाया गया है।

7.5.5. नैनोपोर प्रौद्योगिकी (NANOPORE TECHNOLOGY)

वैज्ञानिकों ने अलग-अलग अणुओं से मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण करके **तेजी से और अधिक सटीक रोग निदान** के लिए एक **नैनोपोर तकनीक पर आधारित एक उपकरण** विकसित किया है।

नैनोपोर प्रौद्योगिकी के बारे में

- यह प्रौद्योगिकी एक **पतली झिल्ली संरचना** में लगे **नैनो-स्केल छिद्रों** को संदर्भित करती है। ये नैनो-स्केल छिद्र नैनोपोर से छोटे आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाते हैं।
- रियल टाइम में जैविक नमूनों से सीधे **DNA/ RNA को अनुक्रमित करने की क्षमता** प्रदान करती है।
- **उपयोग:** डिजीज मार्कर का पता लगाना, और कैंसर का नॉन-इनवेसिव प्रारंभिक निदान।

7.5.6. नैनो बबल तकनीक (NANO BUBBLE TECHNOLOGY)

केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने **दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी को साफ और शुद्ध** करने के लिए 'नैनो बबल तकनीक' का शुभारंभ किया।

नैनो बबल तकनीक के बारे में

- **नैनोबबल्स:** इनका आकार **70-120 नैनोमीटर** होता है, जो **नमक के एक दाने से 2500 गुना छोटा** होता है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
    - नैनोबबल्स की सतह पर एक **मजबूत ऋणात्मक आवेश** होता है, **जो उन्हें एक साथ जुड़ने** से रोकता है और
        - यह जल से **पायसीकृत वसा, तेल और ग्रीस जैसे छोटे कणों अलग** करने में मदद करता है।
    - **हाइड्रोफोबिक प्रकृति सर्फेक्टेंट** के समान कार्य करते हुए जल से **कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हटाते हैं।**
- **उपयोग:** वॉटर प्यूरीफिकेशन, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उद्योग, औद्योगिक सफाई, आदि।

7.5.7. परमाणु ऊर्जा आयोग (ATOMIC ENERGY COMMISSION: AEC)

केंद्र सरकार ने **परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC)** का पुनर्गठन किया है।

परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में

- **स्थापना:** इसे सबसे पहले **अगस्त 1948** में **वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग** के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बाद में इसे **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)** के अधीन कर दिया गया।
- **कार्य:** परमाणु ऊर्जा के विस्तार की योजना बनाना और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना; परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए नीतियां बनाना।

7.5.8. भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया (INDIA BECOMES 4TH COUNTRY TO ACHIEVE SPACE DOCKING)

स्पेस डॉकिंग को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पेडेक्स/SpaDeX) मिशन के तहत दो छोटे अंतरिक्ष यानों- **SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट) का** उपयोग करके संपन्न किया गया है।

- गौरतलब है कि **स्पेस डॉकिंग** के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान दो उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे वे एक यूनिट बन जाते हैं।
- स्पेस डॉकिंग करने वाले **अन्य तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** हैं।

स्पेडेक्स (SpaDeX) मिशन के बारे में

- **मिशन के लक्ष्य:**
  - **डॉकिंग के बाद**, एक संयुक्त **सिस्टम की स्थिरता** और इसे एक इकाई के रूप में **नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण** करना।
  - भविष्य के रखरखाव और ईंधन भरने के लिए **अंतरिक्ष यान की कार्य अवधि** को बढ़ाना।
- **मिशन की अवधि:** डॉकिंग संपन्न होने के बाद दो वर्ष तक।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग: इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक (ISL),** GNSS आधारित RODP प्रोसेसर।
- **महत्त्व:** चंद्रमा से **नमूना वापसी** को सक्षम बनाता है, **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS), सैटेलाइट सर्विसिंग** का समर्थन करता है आदि।

7.5.9. निजी क्षेत्रक द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया गया (INDIA'S FIRST PRIVATE SATELLITE CONSTELLATION 'FIREFLY' LAUNCHED)

पिक्सल ने अमेरिका से स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 मिशन के तहत **भारत का पहला निजी उपग्रह समूह** 'फायरफ्लाई' लॉन्च किया।

- सैटेलाइट समूह (Satellite Constellations) साझा नियंत्रण और सिंक्रनाइज़ कार्यों के साथ कृत्रिम उपग्रहों का नेटवर्क है। **उदाहरण:** 2,146 सक्रिय उपग्रहों के साथ स्टारलिंक सबसे बड़ा उपग्रह समूह है।

फायरफ्लाई के बारे में

- **विकसित:** पिक्सल (भारतीय अंतरिक्ष-तकनीक कंपनी)।
- **प्रकार:** हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (HSI) उपग्रह समूह
- **विशेषताएँ:** उन्नत पृथ्वी अवलोकन के लिए छह उच्च-रिज़ॉल्यूशन HSI उपग्रह।

हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग (HSI) उपग्रहों के बारे में

- **कार्य:** केवल प्राथमिक रंग (लाल, हरा व नीला) प्रदान करने की बजाय **प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण** किया जाता है।
- **क्षमता:** स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंटिंग वस्तुओं को विस्तार से पहचानने में मदद करती है।
- **विविध अनुप्रयोग:** अपशिष्ट छंटाई और पुनर्चक्रण, कृषि और वनस्पति, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, पर्यावरण निगरानी, खनिज अन्वेषण।

7.5.10. क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट (CROPS EXPERIMENT)

इसरो द्वारा **PSLV-C60 के क्रॉप्स (CROPS) एक्सपेरिमेंट** के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए **लोबिया (Cowpea)** के बीज चार दिन के भीतर अंकुरित हो गए हैं।

- यह अंतरिक्ष में इसरो का **पहला जैविक प्रयोग** है। यह CROPS **(कॉम्पैक्ट रीसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़)** का हिस्सा है।

क्रॉप्स (CROPS) एक्सपेरिमेंट के बारे में

- **विकसित: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र** द्वारा विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** सूक्ष्मगुरुत्व (Microgravity) वातावरण में पौधों के जीवन को विकसित करना।
- **महत्व:** भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में पौधों के जीवन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

7.5.11. कोडईकनाल सौर वेधशाला (KODAIKANAL SOLAR OBSERVATORY)

अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में **कोडईकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

कोडईकनाल सौर वेधशाला के बारे में

- **स्थापना:** इसकी **स्थापना 1899** में हुई थी। वर्तमान में इसके स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी **भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान** के पास है।
- **अवस्थिति: तमिलनाडु की पलानी पहाड़ियों में कोडाइकनाल** में।
- कोडईकनाल **भूमध्य रेखा के निकट** है। साथ ही, अधिक ऊंचाई पर यहां **धूल रहित वातावरण** पाया जाता है। इसलिए, यहां **सौर वेधशाला की स्थापना** की गई है।
- **उद्देश्य:**
  - **सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे गर्म** करता है इसकी जानकारी प्राप्त करना।
  - **मानसून प्रणाली** के बारे में समझ बढ़ाना।

7.5.12. मिशन SCOT (MISSION SCOT)

प्रधान मंत्री ने **मिशन SCOT** की सफलता के लिए **दिगंतारा टीम** को बधाई दी।

मिशन SCOT (स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग) के बारे में

- **उद्देश्य:** यह अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखकर इनकी मैपिंग करेगा।
- **लाभ:**
  - यह **पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में ऑब्जेक्ट्स की सटीक तरीके से ट्रैकिंग और इमेजिंग में मदद** करेगा।
  - यह अंतरिक्ष में **सैटेलाइट्स की सटीक ट्रैकिंग** में भी मदद करेगा।
- **योगदान:** यह **स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने** की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के विकास में योगदान

7.5.13. मिथाइलकोबालामिन (METHYLCOBALAMIN)

FSSAI ने कुछ शर्तों के तहत **स्वास्थ्य पूरक, चिकित्सा उद्देश्यों और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में मिथाइलकोबालामिन के उपयोग हेतु दिशा-निर्देशों में स्पष्टीकरण** जारी किया।

मिथाइलकोबालामिन के बारे में

- **प्रकृति:** विटामिन B12 का एक सक्रिय रूप, कोशिका गुणन, रक्त निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
  - विटामिन B12 की भूमिका: एक **पानी में घुलनशील विटामिन** है, जो **डी.एन.ए. संश्लेषण, RBC के उत्पादन एवं तंत्रिका तंत्र के बेहतर ढंग से कार्य** करने के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है।
  - **अन्य रूप हैं- साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन।**
- **स्रोत:** दुग्ध उत्पाद
- **उपयोग:** डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए, एनीमिया एवं अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में आदि।

7.5.14. ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (HUMAN METAPNEUMOVIRUS: HMPV)

चीन में HMPV के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके मामले विशेषकर **14 वर्ष से कम आयु के बच्चों** में अधिक देखे जा रहे हैं।

HMPV के बारे में

- **प्रकृति:** एक श्वसन संबंधी वायरस है, जो सामान्य **सर्दी-जुकाम** जैसे हल्के संक्रमण का कारण बनता है।
  - यह **न्यूमोविरिडे परिवार** का सदस्य है।
- **संचरण:** यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसके अलावा, यह संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
- **लक्षण:** खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ आदि।

7.5.15. नोरोवायरस (NOROVIRUS)

यू.एस. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने नोरोवायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है।

नोरोवायरस के बारे में

- **प्रकृति:** यह एक **अत्यधिक संक्रामक वायरस है, जो जठरांत्र शोथ (Gastroenteritis)** का कारण बनता है।
- **लक्षण:** मतली, उल्टी, दस्त और पेट दर्द।
- **उत्तरजीविता:** वे **शून्य से नीचे के तापमान के साथ-साथ उच्च तापमान (60°C तक) में भी जीवित** रह सकते हैं।
- **संचरण:** यह वायरस मुख्य रूप से **ओरल-फेकल रूट** से फैलता है, या दूषित भोजन या पानी के सेवन से, या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है।

7.5.16. सीएआर टी-सेल थेरेपी (CAR T-CELL THERAPY)

CDSCO ने **दूसरी लिविंग ड्रग्स 'क्वारटेमी'** को मंजूरी दे दी है। 'क्वारटेमी' **कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर-टी (Chimeric Antigen Receptor: CAR-T) सेल थेरेपी है।**

- **"लिविंग ड्रग्स"** में रोगी की कोशिकाओं को निकाला जाता है, उन्हें संशोधित किया जाता है, और फिर उन्हें रोगी के शरीर में पुनः स्थापित किया जाता है।

सीएआर टी-सेल थेरेपी के बारे में

- एक अभिनव इम्यूनोथेरेपी है, जिसमें रोगी की टी-कोशिकाओं **(श्वेत रक्त कोशिकाओं)** को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया जाता है, ताकि कैंसर कोशिकाओं को लक्षित किया जा सके और उन पर हमला किया जा सके।
- **प्रक्रिया**
  - T कोशिकाओं को **रोगी के रक्त** से लिया जाता है। फिर उन्हें **मानव निर्मित रिसेप्टर (CAR)** बनाने के लिए प्रयोगशाला में एक **जीन जोड़कर** बदल दिया जाता है।
  - संशोधित **CAR-T कोशिकाओं** को फिर से रोगी में वापस प्रवेश करा दिया जाता है, ताकि कैंसर कोशिकाओं की पहचान की जा सके और उन्हें नष्ट किया जा सके।

7.5.17. बॉडी मास इंडेक्स (BODY MASS INDEX: BMI)

डायबिटीज फाउंडेशन इंडिया के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने 15 साल बाद भारत की **"ओबेसिटी गाइडलाइंस"** को अपडेट किया। इसमें **"अधिक वजनी (Overweight)"** की जगह **'ओबेसिटी (मोटापा)-ग्रेड I'** और **'ओबेसिटी (मोटापा)-ग्रेड-II'** श्रेणियों को शामिल किया गया है। **2009 की गाइडलाइंस** पूरी तरह से **BMI मानदंड पर आधारित** थी।

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के बारे में

- यह एक प्रकार का **सांख्यिकीय सूचकांक** है। इसका उपयोग किसी **व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए उसकी लंबाई के अनुसार उसके वजन की सीमा निर्धारित** करने के लिए किया जाता है।
- **सूत्र:** वजन (kg) ÷ ऊंचाई (m^2)।
- **कमियां:** शारीरिक बनावट में अंतर के बावजूद **लैंगिक आधार पर 'लीन बॉडी मास' (वसा रहित) और 'फैट मास' के बीच अंतर नहीं** करता है।

7.5.18. वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी (GLOBAL ANTIBIOTIC RESEARCH AND DEVELOPMENT PARTNERSHIP: GARDP)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और GARDP ने **निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक की कमी को दूर करने के लिए नीति व विनियामक उपायों पर संयुक्त रिपोर्ट** जारी की है।

GARDP के बारे में

- **स्थापना:** GARDP की स्थापना **2016 में WHO और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव (DNDi)** द्वारा की गई थी। यह एक **गैर-लाभकारी संगठन** है। इसे **2018 में स्विट्ज़रलैंड के फाउंडेशन** के रूप में **वैधानिक दर्जा** दिया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **'WHO-एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना 2015'** का क्रियान्वयन करना है।

7.5.19. न्यूरोमोर्फिक डिवाइस (NEUROMORPHIC DEVICE)

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक **न्यूरोमोर्फिक डिवाइस** विकसित किया है।

न्यूरोमोर्फिक डिवाइस के बारे में

- मानव शरीर की **हैबिचुएशन प्रोसेस से प्रेरित -** यह डिवाइस बताता है कि मानव शरीर दर्द को कैसे महसूस करता है और उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है।
    - यह उत्तेजनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए शरीर के दर्द संवेदकों, **नोसिसेप्टर्स** की नकल करता है
- **लाभ:** यह तकनीक **धारण करने योग्य डिवाइसेज** को अधिक टेक-स्मार्ट बनाती है, और **मानव-मशीन के संपर्क में सुधार** करती है।

7.5.20. टाइटेनियम (TITANIUM)

एक भारतीय फर्म **एयरोस्पेस-ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु** के उत्पादन के लिए **वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग (VAR) फर्नेस** शुरू करने वाली **भारत की पहली निजी कंपनी** बन गई।

टाइटेनियम के बारे में

- **प्रकृति:** कठोर, चमकदार और मजबूत धातु।
- **गुण:** हल्का वजन, कम घनत्व, संक्षारण रोधी (Corrosion resistance), उच्च गलनांक, आदि।
- **उपयोग:** मेडिकल इम्प्लांट में; पावर प्लांट कंडेनसर (समुद्री जल में संक्षारण रोधी हेतु) में; विमान के निर्माण में (एल्यूमीनियम सहित अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में), आदि।
- **मुख्य खनिज अयस्क हैं- इल्मेनाइट (FeO.TiO2)** और **रूटाइल (TiO2)**

7.5.21. पिंक फायर रिटार्डेंट (फॉस-चेक) {PINK FIRE RETARDANT (Phos-Chek)}

हाल ही में, लॉस एंजिल्स के पास लगी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने **पिंक फायर रिटार्डेंट (अग्निरोधी)** का उपयोग किया।

फॉस-चेक के बारे में

- फायर रिटार्डेंट वास्तव में **रसायनों का मिश्रण** होता है। इसका उपयोग **आग को बुझाने या फैलने से रोकने के लिए** किया जाता है।
- **संरचना: इसमें** अधिकांशतया **अमोनियम फॉस्फेट घोल होता** है और अन्य लवण, जो जल के समान ही आसानी से वाष्पित नहीं होता है।
- **गुलाबी रंग अग्निशामकों के लिए दृश्यता** बढ़ाता है।
- **चिंताएँ:** इसका छिड़काव विमानों से किया जाता है। इसलिए इसका उपयोग **महंगा साबित होता** है। साथ ही, यह **अधिक कारगर भी नहीं** होता है।

8.1. भारत में लौह युग (Iron Age in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु में लौह युग का आरंभ 3,345 ईसा पूर्व में हुआ था।

अन्य संबंधित तथ्य

- **'एंटीक्वेटी ऑफ़ आयरन: रीसेंट रेडियोमेट्रिक डेट्स फ्रॉम तमिलनाडु'** रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है कि लौह प्रौद्योगिकी का प्रचलन पहली बार **हित्ती साम्राज्य (1300 ईसा पूर्व, अनातोलिया, तुर्की)** में हुआ था।

भारत में लौह युग: नवीन खोजें

- **पृष्ठभूमि:** अब मिले साक्ष्य **तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य** के हैं।
- **अध्ययन में उपयोग की जाने वाली डेटिंग तकनीकें:** इसमें **एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियोकार्बन** (AMS 14C) और **ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनसेंस (OLS) डेटिंग** का उपयोग किया गया है।
- तमिलनाडु से प्राप्त लौह युग के नवीनतम साक्ष्य अब तक के विश्व के सबसे प्राचीन लौह युगीन साक्ष्य हैं।
  - **सिवगलाई:** इस जगह से प्राप्त प्रमाण **3345–2953 ईसा पूर्व** के हैं। यहां एक समाधि कलश भी मिला है जो संभवतः **1155 ईसा पूर्व** का है।
  - **मयिलाडुम्पराई:** इस जगह से **2172 ईसा पूर्व** के लोहे के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं।
  - **किलनामंडी:** तमिलनाडु में शवाधान की प्रक्रिया के **सबसे प्राचीन साक्ष्य 1692 ईसा पूर्व के** हैं।
- **उन्नत धातुकर्म:** धातुकर्म की उन्नत अवस्था का प्रमाण कोडुमनाल, चेट्टीपलयम और पेरुंगलूर जैसे स्थलों पर पाए गए **तीन अलग-अलग प्रकार के लौह-पिघलाने वाली** भट्टियों से मिलता है।
- **ताम्र और लौह युग का समकालीन होना: विंध्य पर्वत के उत्तर** में **ताम्र युग** तथा **विंध्य पर्वत के दक्षिण** क्षेत्र में **लौह युग**।

भारत में लौह युग: भारत में लौह युग की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता (**कांस्य युगीन)** के बाद मानी जाती है।

भारत के विभिन्न हिस्सों में लौह युग के प्रमुख प्रमाण

- **उत्तर भारत में लौह युग: प्रमुख मृदभांड प्रकार**
  - **चित्रित धूसर मृदभांड (PGW) (800-400 ईसा पूर्व):** घग्गर-हकरा नदी, राजस्थान और गंगा-यमुना विभाजन। मुख्यतः शस्त्रों के लिए उपयोग किए जाते थे।
  - **उत्तरी काले चमकदार मृदभांड (NBPW) (600–100 ईसा पूर्व):** इस अवधि में लोहे का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से किया जाने लगा था।
- **दक्षिण भारत में लौह युग:**
  - **महापाषाण कालीन संस्कृति (1000-100 ईसा पूर्व):** आवास स्थलों से संबद्ध।
  - **प्रमुख स्थल: नाइकुंड, विदर्भ-** लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। **पैय्यमपल्ली, तमिलनाडु -** लौह अवशेष मिले हैं।
  - **लोहे का उपयोग:** आग पर नियंत्रण की तकनीक विकसित हुई, जिससे लौह निष्कर्षण की प्रक्रिया उन्नत हुई।
- **अन्य क्षेत्रों में लौह युग**
  - **मध्य भारत (मालवा):** नागदा, एरण और अहार (750-500 ईसा पूर्व) जैसे स्थल।
  - **मध्य और निचली गंगा घाटी:** ताम्रपाषाण काल के बाद और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड (NBPW) से पहले के स्थल, जैसे पांडुराजार ढिबी (~750-700 ईसा पूर्व) हैं।

लौह युग का प्रभाव

- **तकनीकी एवं आर्थिक प्रभाव: धातु कर्म में प्रगति**
  - **शहरीकरण:** गंगा घाटी में नगरों के विकास के साथ भारत का **द्वितीय शहरीकरण (800-500 ईसा पूर्व)** शुरू हुआ।
  - **कृषि:** कुदाल और हल के फाल जैसे लोहे के औजारों ने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को बदल दिया।

- **राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव:**
  - **महाजनपदों का उदय:** खाद्य उत्पादन में सुधार; युद्धकला में विकास: लौह शस्त्र, कवच आदि।
  - **कला एवं वास्तुकला: दिल्ली का लौह स्तंभ (चौथी सदी ईसा पूर्व)** उन्नत जंग-रोधी धातु विज्ञान का प्रदर्शन करता है।

निष्कर्ष:

पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग (Iron Age), यह अनुक्रम व्यापक रूप से निर्णायक माना जाता है। हालांकि, मानव विकास एक सरल रेखीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि प्रौद्योगिकी में प्रगति क्षेत्र, संसाधनों और पर्यावरण के अनुसार यह प्रत्येक क्षेत्र में अलग हो सकती है।

8.2. भौगोलिक संकेत टैग {Geographical Indication (GI) tag}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग के बारे में

- **परिभाषा:** भौगोलिक संकेतक (GI) एक ऐसा चिन्ह है, जिसका उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति या कुछ खास गुण वाले उत्पादों के लिए किया जाता है।
- **उपयोग:** GI टैग का प्रयोग आमतौर पर कृषि, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं या हस्तशिल्प के किसी भी सामान के लिए किया जाता है।
- **संरक्षण:** GI टैग उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **विनियमन:** वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999; DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

भारत में GI टैग की वर्तमान स्थिति:

- भारत में **पहला GI टैग 2004-05 में दार्जिलिंग चाय** को दिया गया था। जुलाई 2024 तक कुल 605 GI टैग जारी किए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश GI-टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में अग्रणी राज्य है, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है।

2024 में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण GI टैग प्राप्त उत्पाद:

- **उत्तर प्रदेश:** पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल; बनारस धातु ढलाई शिल्प; बरेली बेंत और बांस शिल्प।
- **असम:** बोडो अरोनाई, बोडो नाफाम- किण्वित मछली, बोडो ओंडला आदि।
- **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:** निकोबारी मत (चतराई/ हिलेउओई), अंडमान करेन मुसले चावल आदि।

भारत में भौगोलिक संकेत (GI) टैग की चुनौतियां

- **कम पंजीकरण दर: भारत चीन (9,785 जीआई), जर्मनी (7,586)** (विश्व आईपी संकेतक 2024) से पीछे है ।
- **क्षेत्रीय असमानता: कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों** के पास अधिक GI टैग हैं।
- **GI उल्लंघन:** उदाहरण- **सूरत** में **बनारसी रेशम की नकल की जाती है** ।
- **भौगोलिक विवाद:** एक ही उत्पाद के लिए कई राज्य भौगोलिक संकेत का दावा करते हैं।
- **पंजीकरण के बाद के मुद्दे:** उत्पादक की परिभाषा और प्रक्रिया के बारे में चिंताएं।

भारत में GI टैग को मजबूत करने के लिए की गई पहलें: GI उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। APEDA द्वारा GI उत्पादों का निर्यात, एक जिला एक उत्पाद (ODOP), ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की सुविधा।

आगे की राह: जागरूकता बढ़ाना; पंजीकरण के बाद की रूपरेखा को सशक्त बनाना; गरीब उत्पादकों के लिए सहायता; सहयोग के साथ राज्यों के बीच विवादों का समाधान; जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए संरक्षण-केंद्रित दृष्टिकोण।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (NEWS IN SHORTS)

8.3.1. सिंधु घाटी लिपि का अर्थ समझना या उसे पढ़ना (DECIPHERING INDUS VALLEY SCRIPT)

तमिलनाडु सरकार ने **सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने और उसके शब्दों का अर्थ बताने वाले विशेषज्ञों और संगठनों के लिए 1 मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा** की है।

सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में

- **प्रसार:** यह लिपि लगभग 3500 नमूनों के साथ **लगभग 60 उत्खनन स्थलों** से प्राप्त हुई है।
- **लेखन शैली:** अज्ञात प्रणाली, दाएं से बाएं लिखी जाती है, कभी-कभी बौस्ट्रोफेडॉन शैली का प्रयोग किया गया है।
- **रचना:** आंशिक रूप से चित्रात्मक, जिसमें मानव और पशु रूपांकन शामिल हैं।
- **लेखन माध्यम:** मुहरों, तख्तियों, तांबे की पट्टियों का उपयोग किया जाता था; सामग्रियों में टेराकोटा, चीनी मिट्टी, पत्थर, हड्डी, धातु, लकड़ी और कपड़े शामिल थे।

8.3.2. हड़प्पा जल प्रबंधन तकनीक (HARAPPAN WATER MANAGEMENT TECHNIQUES)

हड़प्पा स्थल **राखीगढ़ी (हरियाणा) में 5,000 वर्ष पुरानी जल प्रबंधन तकनीक का पता चला।**

- टीलों के बीच **जल भंडारण क्षेत्र की** खोज की गई, जिसकी अनुमानित गहराई 3.5 से 4 फीट है।
- **चौतांग (या दृशावती) नदी** का सूखा हुआ भाग भी खोजा गया।

हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणालियां

- **विस्तृत जल निकासी:** भूमिगत नालियां सटीक ढंग से बिछाई गई ईंटों से बनाई गई थी, जो घरों को सार्वजनिक नालियों से जोड़ती थी।
- **छोटे बांध:** गुजरात के **लोथल** में सिंचाई और पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए।
- **गोदीबाड़ा:** लोथल में, साबरमती नदी के पास।
- **नालिकाएं और जलाशय: गुजरात के धोलावीरा** में, ताजे पानी के भंडारण के लिए पूरी तरह से **पत्थर** से निर्मित।
- **तालाब और कुएं:** मोहनजोदड़ो में वर्षा का पानी तालाबों में संग्रहित किया जाता था।
- मोहनजोदड़ो में **महास्नानागार** ईंट के फर्श से बना एक बड़ा हौज था, जिसे संभवतः सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था।

8.3.3. संत नरहरि तीर्थ (SAINT NARAHARI TIRTHA)

विशाखापत्तनम के सिंहाचलम मंदिर में संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है।

संत नरहरि तीर्थ के बारे में

- **संत नरहरि तीर्थ** 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध **द्वैत वेदांत** दार्शनिक, विद्वान और संत थे। वे **मध्वाचार्य** के शिष्य थे।
- ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म **चिकाकोलु नगर (वर्तमान श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश)** में हुआ था।
- उन्होंने **यक्षगान और बयालु आटा (खुले रंगमंच का नाटक) को वैष्णव भक्ति आंदोलन का हिस्सा** बनाया था।
- **तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी में चक्रतीर्थ** के निकट शिला के पास उनकी प्रतिष्ठा की स्थापना गई थी।

8.3.4. कलारीपयट्टु (KALARIPAYATTU)

38वें राष्ट्रीय खेलों में कलारिपयट्टु को प्रदर्शन सूची में शामिल किया गया है। इसे **प्रतियोगिता वर्ग से हटा** दिया गया है।

कलारीपयट्टु के बारे में

- यह **केरल** में विकसित, **सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है,** जिसका इतिहास **संगम काल** से जुड़ा है।
- **'कलारी' का अर्थ है प्रशिक्षण केंद्र** या वह स्थान जहां अभ्यास होता है और **'पयट्टु' का अर्थ है लड़ाई या कठोर शारीरिक अभ्यास।**
- **दो मुख्य शैलियां:**
  - **वडक्कन या उत्तरी शैली केरल के मालाबार क्षेत्र** में प्रचलित है।
  - **थेक्कन या दक्षिणी शैली** मुख्य रूप से **त्रावणकोर क्षेत्र** में प्रचलित है।

8.3.5. कोंडा रेड्डी जनजाति (KONDA REDDI TRIBE)

कोंडा रेड्डी जनजाति महंगे पारंपरिक विवाह करने की बजाय **लिव-इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देने** के कारण चर्चा में है।

कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में

- इसे **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **निवास स्थान:** पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी पहाड़ी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र और तेलंगाना के खम्माम जिले।
- **मातृभाषा:** तेलुगु
- **परिवार और विवाह:** परिवार **पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय** होता है। एकल विवाह तथा बहुविवाह वाले परिवार।
- **आस्था और त्यौहार:** यह जनजाति **मुतयालम्मा** (ग्राम देवता), **भूमि देवी** (पृथ्वी देवी), **गंगम्मा देवी** (नदी देवी) आदि की पूजा करती है। यह **ममीदी कोठा, भूदेवी पांडुगा, गंगम्मा पांडुगा और वाना देवुडु पांडुगा** जैसे त्योहार मनाती है।

8.3.6. हाटी जनजाति (HATTI TRIBE)

हाटी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव **बोड़ा त्यौहार** है। इस उत्सव को स्थानीय रूप से **'माघो को त्योहार'** भी कहा जाता है।

हाटी जनजाति के बारे में

- **संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **हाटी** समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया गया है।
- कस्बों में **'हाट' नामक साप्ताहिक बाजारों के आयोजन** के कारण इस जनजाति का नाम **हाटी** पड़ा। इन छोटे बाजारों में ये अपनी उपज बेचते आते हैं।
- इस क्षेत्र को **ट्रांस-गिरि** इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह गिरि और टोंस नदी के पास अवस्थित है।
- **ये समुदाय उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश** राज्यों में निवास करते हैं।

8.3.7. भारत में फसल-कटाई के त्यौहार (HARVEST FESTIVALS OF INDIA)

हाल ही में, भारत में फसल कटाई के त्यौहार मनाए गए, जो प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं।

प्रमुख त्यौहार

- **लोहड़ी (उत्तर भारत, विशेष रूप से पंजाब में):** इसे सर्दियों के मौसम के समाप्त होने के प्रतीक रूप में मनाया जाता है।
- **मकर संक्रांति (उत्तर भारत):** यह ग्रीष्म ऋतु के आगमन तथा हिंदुओं के लिए छह माह के शुभ काल को दर्शाता है। यह त्योहार विशेष रूप से सूर्य के उत्तरायण के आरंभ को दर्शाता है।
- **पोंगल (दक्षिण भारत):** इस **चार दिवसीय** उत्सव में **सूर्य देव की पूजा** की जाती है। यह त्यौहार भी सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश का प्रतीक है।
- **भोगली बिहू (असम):** फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक।

8.3.8. कुंभ मेला (KUMBH MELA)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ (या पूर्ण कुंभ) का आयोजन किया गया।

कुंभ मेले के बारे में

- यह **दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन और** यह एक प्रकार की तीर्थ-यात्रा है। यह **12 वर्षों के दौरान चार बार आयोजित होती** है।
- इसका आयोजन निम्नलिखित **चार तीर्थ स्थलों** पर बारी-बारी से होता है:
  - **हरिद्वार** (उत्तराखंड) में **गंगा नदी** के तट पर।
  - **उज्जैन** (मध्य प्रदेश) में **क्षिप्रा नदी** के तट पर।
  - **नासिक** (महाराष्ट्र) में **गोदावरी नदी** के तट पर।
  - **प्रयागराज** (उत्तर प्रदेश) में गंगा, यमुना और प्राचीन साहित्यों में वर्णित अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर।
- **अन्य प्रमुख तथ्य:**
  - इसे **2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** सूची में शामिल किया गया।
  - राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर चीनी यात्री **ह्वेन त्सांग** ने कुंभ मेले का उल्लेख किया है।
  - **आदि शंकराचार्य** ने 9वीं शताब्दी में कुंभ मेले को इसका वर्तमान स्वरूप दिया था।

8.3.9. भारत रणभूमि दर्शन (BHARAT RANBHOOMI DARSHAN)

रक्षा मंत्रालय ने अपनी **'रणक्षेत्र पर्यटन' (Battlefield Tourism) योजना** के तहत **'भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप'** लॉन्च किए हैं।

- यह वर्चुअल टूर की सुविधा के साथ **युद्धक्षेत्र भ्रमण** के लिए सूचना और मंजूरी हेतु **वन-स्टॉप गंतव्य** होगा।
- **भारतीय सेना ने पर्यटन मंत्रालय** के साथ मिलकर कुछ अन्य **सीमा स्थलों को** शॉर्टलिस्ट किया है: किबिथू और बुम ला दर्रा (अरुणाचल प्रदेश), रेजांग ला और पैंगोंग त्सो (लद्दाख), तथा डोकलाम (2017 में हुए संघर्ष का स्थल)।

8.3.10. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार (NATIONAL SPORTS AWARDS)

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की श्रेणियाँ

- **मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (1991-92): 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन** के लिए प्रदान किया जाता है; गुकेश डी (शतरंज), हरमनप्रीत सिंह (हॉकी), प्रवीण कुमार (पैरा-एथलेटिक्स), मनु भाकर (निशानेबाजी)।
- **अर्जुन पुरस्कार (1961): 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन** के लिए दिया जाता है।
- **द्रोणाचार्य पुरस्कार (1985):** यह **प्रशिक्षकों (कोच)** के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान है।
- **मेजर ध्यानचंद पुरस्कार (2002):** खेल में **आजीवन उपलब्धियों** के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है।
- **राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार (2009):** यह **पिछले 3 वर्षों में** खेल को बढ़ावा देने और उनके विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए **संगठनों/ कॉर्पोरेट्स (निजी व सार्वजनिक) तथा व्यक्तियों** को प्रदान किया जाता है।

9 .1. मौजूदा दौर की विदेशी सहायता से संबंधित नैतिक सरोकार (ETHICAL CONSIDERATIONS IN CONTEMPORARY FOREIGN AID)

परिचय

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के परिचालन को निलंबित करने के बाद विदेशी सहायता की अवधारणा गहन समीक्षा के अधीन रही है।

USAID के बारे में

- **स्थापना: 1961** में, एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में विश्वव्यापी नागरिक सहायता प्रदान करने के लिए।
- **उद्देश्य: लोकतांत्रिक मूल्यों, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व** को बढ़ावा देने और **सॉफ्ट पावर के माध्यम से अमेरिकी सुरक्षा को बढ़ाने** के लिए 100 से अधिक देशों में काम करना।
- **कार्य क्षेत्र:** आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा अनुदान और तकनीकी सहायता के माध्यम से मानवीय सहायता।
- **सहयोग:** यह **सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, कंपनियों** और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करती है।
- **प्रमुख कार्यक्रम:**
  - **प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ (PEPFAR):** (HIV/एड्स राहत)
  - **फीड द फ्यूचर** (भुखमरी का समाधान/खाद्य सुरक्षा)
  - **पावर अफ्रीका** (बिजली की उपलब्धता)
  - **वाटर फॉर द वर्ल्ड एक्ट** (जल/स्वच्छता)
- इसने 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रैक की गई **सभी मानवीय सहायता का लगभग 42% योगदान दिया।**

विदेशी सहायता के बारे में

- देशों के बीच संसाधनों का स्वैच्छिक हस्तांतरण, जिससे प्राप्तकर्ताओं को लाभ होता है।
- **इसमें आर्थिक, सैन्य और मानवीय सहायता शामिल है**, मुख्य रूप से **विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को**।

विदेशी सहायता के औचित्य

- **दार्शनिक और नैतिक तर्क:**
  - **उपयोगितावाद:** सहायता वहां दी जाए, जहां यह अधिकतम लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो।
  - **अधिकार-आधारित:** दुनिया भर में सभी के अधिकार सुनिश्चित करना।
  - **सामुदायिकतावाद:** स्थानीय संस्कृति/समुदाय का समर्थन करना।
  - **स्वतंत्रतावाद:** स्वैच्छिक/आपातकालीन सहायता को प्राथमिकता देता है।
  - **कॉस्मोपॉलिटनिज़्म:** वैश्विक समानता का समर्थन करता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** क्षेत्रों को स्थिर करना, सैन्य और आर्थिक समर्थन के माध्यम से शत्रुतापूर्ण प्रभावों को रोकना।
- **आर्थिक विकास:** बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना; दाता देशों के लिए **नए बाजार** उपलब्ध कराना।
- **मानवीय सरोकार: आपदाओं या संघर्ष जैसे** संकटों का समाधान करना।

विदेशी सहायता के प्रकार

- **द्विपक्षीय सहायता:** सरकार से सरकार तक।
- **बहुपक्षीय सहायता:** अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से।
- **मानवीय सहायता:** पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपातकालीन सहायता।
- **विकास सहायता:** सतत विकास का समर्थन करती है।

मौजूदा दौर की विदेशी सहायता से संबंधित नैतिक सरोकार

सकारात्मक आयाम	नकारात्मक आयाम
सतत विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का समर्थन करना (जैसे, भारत की भूटान को पनबिजली परियोजनाओं में सहायता)।	**निर्भरता:** दीर्घकालिक सहायता आत्मनिर्भरता को हतोत्साहित करती है (जैसे, अफ्रीकी देश सहायता पर निर्भर हो रहे हैं)।
खाद्य सुरक्षा: कृषि उत्पादकता को बढ़ाना (जैसे, भारत अफ्रीका में कृषि के लिए प्रशिक्षण और ऋण देता है)।	**भ्रष्टाचार:** कुप्रबंधन के कारण धन का दुरुपयोग होता है (जैसे, विदेशी सहायता के दुरुपयोग से श्रीलंका का आर्थिक संकट)।
स्वास्थ्य में सुधार: रोग के प्रसार को कम करना (जैसे, कोविड-19 के दौरान भारत के किफायती वैक्सीन)।	**सांस्कृतिक असंवेदनशीलता:** बाहरी सहायता कार्यक्रम स्थानीय परम्पराओं के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं (जैसे, महिलाओं के जनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकार)।
आपदा के दौरान राहत: आपदाओं के बाद जीवन बचाने में सहायक (जैसे, नेपाल और तुर्की के भूकंपों के दौरान भारत की सहायता)।	**राजनीतिक उद्देश्य:** दाता देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सहायता का उपयोग कर सकते हैं (जैसे, चीन की "ऋण-जाल कूटनीति")।
शिक्षा एवं कौशल: दीर्घकालिक मानव पूंजी का निर्माण करना (जैसे, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम)।	**पर्यावरणीय क्षति:** सहायता-संचालित औद्योगिकीकरण से पर्यावरण क्षरण हो सकता है (जैसे, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन)।

आगे की राह

- सार्वजनिक डैशबोर्ड और स्वतंत्र ऑडिट के माध्यम से सहायता में **पारदर्शिता को बढ़ाया जाना चाहिए।**
- जलवायु लचीलापन और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए **पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना।**
- स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नेताओं को परियोजना की प्लानिंग में शामिल करते हुए **स्थानीय समुदायों को शामिल करना।**
- **प्राप्तकर्ता देशों के लक्ष्यों** के अनुसार सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बजाय इसके कि दाता देश अपने एजेंडों के अनुसार लक्ष्यों को तय करें।
- कुशल वितरण और निगरानी के लिए **प्रौद्योगिकी का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- स्थानीय क्षमता निर्माण पर जोर देना चाहिए, ताकि **दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता** सुनिश्चित हो सके।

Agartala | Agra | Ahmedabad | Aizawl | Ajmer | Aligarh | Amritsar | Ayodhya | Bareilly | Bathinda | Bengaluru | Bhilai | Bhopal | Bhubaneswar | Bikaner | Bilaspur | Chandigarh | Chennai Chhatarpur | Chhatrapati Sambhaji Nagar | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Dhanbad | Dharamshala | Dharwad | Durgapur | Faridabad | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Gorakhpur Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Hisar | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jammu | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur Kanpur | Kochi | Kohima | Kolkata | Kota | Kozhikode | Kurukshetra | Leh | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Meerut | Moradabad | Mumbai | Muzaffarpur | Mysuru | Nagpur | Nashik | Navi Mumbai | Noida | Orai | Panaji | Panipat | Patiala | Patna | Prayagraj | Puducherry | Pune | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rohtak | Roorkee | Sambalpur | Shillong | Shimla | Siliguri | Srinagar | Surat Thane | Thiruvananthapuram | Tiruchirappalli | Tirupati | Udaipur | Vadodara | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam | Warangal

10.1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

PMFBY के बारे में

- **उद्देश्य:** फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **शुरुआत**: वर्ष 2016
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग (DAC&FW), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और संबंधित राज्य सरकार।
- **कवर किए गए जोखिम:**
  - **उपज में होने वाली हानि (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर खड़ी फसलें):** प्राकृतिक दावानल और आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, कीट एवं रोग, आदि।
  - **फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान:** कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल।
  - **स्थानीयकृत आपदाएं:** ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़।
  - **जंगली जानवरों की क्षति (अतिरिक्त सुविधा):** राज्य सरकारें कवरेज की पेशकश कर सकती हैं।
- **जिसे कवर नहीं किया जाएगा:** युद्ध, दंगे, दुर्भावनापूर्ण क्षति, चोरी, जंगली जानवरों द्वारा चराई और रोके जा सकने वाले जोखिम।
- **प्रीमियम:** खरीफ - बीमा राशि का 2%, रबी - बीमा राशि का 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी - बीमा राशि का 5%
- **पात्रता:** सभी किसान, जिनमें बटाईदार और किरायेदार किसान भी शामिल हैं।
  - इस योजना को खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया गया है।

10.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई।

BBBP योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** बाल लिंगानुपात में सुधार करना, लैंगिक-पक्षपात को रोकना, लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना आदि।
- **शुरुआत:** 2015 में
- **प्रकार: केंद्र प्रायोजित** (मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के तहत केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित)।
- **योजना के घटक:** जागरूकता अभियान, लिंग-संवेदनशील जिला हस्तक्षेप और वित्तीय प्रोत्साहन योजना।
- **शामिल मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) और शिक्षा मंत्रालय (MoE)

BBBP योजना के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलें

डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड: लैंगिक असमानता और योजनाओं की जानकारी देता है

मेरा लक्ष्य, मेरी मंज़िल अभियान: उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया जाता है

बाल कैबिनेट: यह एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम है, जहां छात्राएं सरकारी कैबिनेट का अनुकरण करती हैं

10.3. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के दस वर्ष पूरे हुए।

SSY के बारे में

- **उद्देश्य**
  - **बालिकाओं के कल्याण को** बढ़ावा देना।
  - माता-पिता को अपनी बालिकाओं की उच्चतर शिक्षा और अन्य खर्चों के लिए धन जुटाने में सहायता करना।
- **शुरूआत:** 2015 में **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** अभियान के तहत।
- **जमा एवं अंशदान:**
  - **न्यूनतम 250 रुपये, अधिकतम 1.5 लाख रुपये/वर्ष (15 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा किया जा सकता है)**।
  - आयकर अधिनियम की धारा **80C के तहत कर से छूट (EEE स्थिति)।**
    - **वित्त मंत्रालय** द्वारा **त्रैमासिक रूप से संशोधित ब्याज दर।**
- **परिपक्वता एवं निकासी:**
  - **21 साल में परिपक्वता** (या शादी के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण के बाद)।
  - **18 साल की आयु या कक्षा 10** के बाद **50% निकासी की अनुमति।**

पात्रता

- जैविक या कानूनी अभिभावक द्वारा 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के लिए खाता खोला जा सकता है।
- एक जमाकर्ता एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता खोल सकता है, जैविक या कानूनी अभिभावक को केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमति है।

सहकारिता	➲ **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 243ZH से 243ZT ➲ **प्रमुख संशोधन** ➜ 97वां संवैधानिक संशोधन, 2011 ➜ बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 ➲ **वैधानिक प्रावधान** ➜ सहकारी ऋण समितियां अधिनियम, 1904 ➜ बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002
नीति आयोग	➲ **प्रमुख पहलें:** अटल नवाचार मिशन, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, महिला उद्यमिता कार्यक्रम। ➲ **सूचकांक:** समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ➲ **रिपोर्ट्स:** सेफ (SAFE) एकोमोडेशन, खाद्य तेल के विकास के लिए मार्ग, साथ-ई (SATH-E) रिपोर्ट।
लोकपाल और लोकायुक्त	➲ **वैधानिक प्रावधान:** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ➲ **प्रमुख संशोधन:** लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)	➲ **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 324 से 329 ➲ **वैधानिक प्रावधान:** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 ➲ **महत्वपूर्ण निर्णय:** अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ, 2023 ➲ **समितियां/ आयोग** ➜ दिनेश गोस्वामी समिति, 1990 ➜ भारत का विधि आयोग, रिपोर्ट संख्या 255
इंटरनेट शटडाउन	➲ **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 19 (2)- उचित प्रतिबंध की अनुमति देता है ➲ **वैधानिक प्रावधान** ➜ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 - धारा 144 ➜ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 - [दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) 2017 नियम] ➲ **महत्वपूर्ण निर्णय** ➜ अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) ➜ फहीमा सिरिन बनाम केरल राज्य (2019)
संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय	➲ इससे पहले अमेरिका **2017 में भी पेरिस समझौते से बाहर हो गया** था, लेकिन **2021** में फिर से इसमें शामिल हो गया। इसी तरह इसने **2020 में WHO की सदस्यता त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।** हालांकि, बाद में 2021 में वह इस संगठन में फिर से शामिल हो गया। ➲ अमेरिका की ओर से अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए **टैरिफ वॉर (प्रशुल्क युद्ध)** भी जारी है।

बहुपक्षवाद और लघुपक्षवाद	➲ **बहुपक्षवाद:** इसे द्विपक्षवाद (Bilateralism) एवं एकपक्षीयवाद (Unilateralism) के विपरीत परिभाषित किया जाता है। बहुपक्षवाद के अंतर्गत **3 या अधिक राष्ट्र** किसी साझा प्रणाली के नियमों और मूल्यों के आधार पर **समान मुद्दे पर आपस में सहयोग** करते हैं। ➜ **उद्भव:** अधिकांश **बहुपक्षीय संस्थाएं** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आईं। ➲ **लघुपक्षवाद:** यह एक **अनौपचारिक, लचीला** और **स्वैच्छिक** फ्रेमवर्क है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप हितों, साझा मूल्यों या प्रासंगिक क्षमताओं को शामिल किया जाता है। यह **1945** से वैश्विक शासन में **सह-अस्तित्व** में रहा है। उदाहरण के लिए, **GATT** की शुरुआत प्रमुख शक्तियों के बीच **लघुपक्षवाद वार्ता** के रूप में हुई थी।
सिंधु जल संधि	➲ **उत्पत्ति:** इस संधि पर **1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच** हस्ताक्षर किए गए थे। ➲ **जल उपयोग अधिकार:** ➜ **पूर्वी नदियां** (रावी, ब्यास और सतलुज) – इन नदियों का पूरा पानी **भारत के लिए आरक्षित** है। ➜ **पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम और चिनाब)** – इन नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि, भारत को विशिष्ट गैर-उपयोग उद्देश्य से कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति प्राप्त है, जैसे- नौवहन, लकड़ी आदि का परिवहन, बाढ़ सुरक्षा या बाढ़ नियंत्रण, मछली पकड़ने या मछली पालन से संबंधित गतिविधियां, इत्यादि। ➲ **IWT का कार्यान्वयन: स्थायी सिंधु जल आयुक्त**।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)	➲ WHO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी** है। ➲ **उत्पत्ति:** 1946 में न्यूयॉर्क में आयोजित **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन** के दौरान WHO के संविधान को अपनाया गया। बाद में यह **1948 में लागू हुआ।** ➲ **194 सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश** WHO के संविधान को स्वीकार करके इसका सदस्य बन सकते हैं। ➲ अन्य देशों को सदस्य के रूप में तभी शामिल किया जा सकता है जब उनके आवेदन को विश्व स्वास्थ्य सभा में **मंजूरी दे दी** जाती है।
ऑकस (AUKUS)	➲ **उत्पत्ति: सितंबर, 2021** में **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच। ➲ **उद्देश्य:** रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, तकनीकी एकीकरण में तेजी लाना। ➲ **इसके दो प्रमुख पिलर/ स्तंभ है:** ➜ **पिलर 1: ऑस्ट्रेलिया** को पारंपरिक रूप से सशस्त्र, **परमाणु-संचालित पनडुब्बियां (SSNs) हासिल** करने में सहायता देना। ➜ **पिलर 2:** खुफिया जानकारी साझा करने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
क्वाड समूह	➲ इसे **2007 में जापान के तत्कालीन प्रधान मंत्री शिंजो आबे** द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था। ➲ **सदस्य देश:** ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यू.एस.ए. ➲ **प्रकृति:** यह एक **अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी** और **समुद्री कनेक्टिविटी वाले मार्गों का लोकतांत्रिक उपयोग** सुनिश्चित करने वाला एक गठबंधन है। ➲ **उद्देश्य:** यह ऐसे **खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है**।
भारत-इंडोनेशिया संबंध	➲ **ऐतिहासिक संबंध:** रामायण और महाभारत के साथ प्राचीन सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध। ➲ **1950:** इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति एच. ई. सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। ➲ **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** भारत और इंडोनेशिया NAM के अग्रणी संस्थापक देश थे। ➲ **रणनीतिक साझेदारी:** 2005 में स्थापित, 2018 में एक नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हो गई।
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025	➲ यह नीति आयोग द्वारा **भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित एक वार्षिक प्रकाशन** है।
घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, 2023-24	➲ इसे **NSSO जारी** करता है। ➲ मासिक प्रति व्यक्ति व्यय **(MPCE) में वृद्धि** हुई है। ➲ **शहरी-ग्रामीण अंतर:** कम हुआ। ➲ उपभोग असमानता में कमी दर्ज की गई है।
भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था	➲ विश्व बैंक की हालिया **ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट** में **21वीं सदी के पहले 25 वर्षों के दौरान** विश्व की अर्थव्यवस्था में हुए उतार-चढ़ाव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
बैंकनेट/ BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क)	➲ वित्त मंत्रालय ने एक नया ई-नीलामी पोर्टल **'बैंकनेट'** लांच किया। ➲ यह **सभी सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों से ई-नीलामी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी को एकत्रित** करता है। साथ ही, यह खरीदारों और निवेशकों को परिसंपत्तियों की विस्तृत श्रृंखला को सर्च करने के लिए एक **वन-स्टॉप गंतव्य भी प्रदान** करता है।

प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI)	➲ **PPIs वास्तव में अग्रिम रूप से जमा पैसे या वैल्यू के बदले में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद**, वित्तीय सेवाओं के संचालन, पैसा भेजने जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
संशोधित खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) नीति, 2024-25	➲ इस योजना के तहत, **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** केंद्रीय पूल से अतिरिक्त अनाज (गेहूं और चावल) को **पहले से तय कीमतों पर ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार** में बेचता है।
प्रोजेक्ट विस्तार	➲ **वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज** (विस्तार/ VISTAR) **महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों को बिना बाधा के प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक व्यापक नेटवर्क** है। यह अलग-अलग डेटाबेस को जोड़ता है।
लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024 रिपोर्ट जारी की गई	➲ इसे **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा जारी किया गया है। ➲ यह रिपोर्ट राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी देती है।
Z मोड़ सुरंग (सोनमर्ग सुरंग)	➲ यह जम्मू-कश्मीर के **गांदरबल के सोनमर्ग क्षेत्र में 8,650** फीट की ऊंचाई पर स्थित दो लेन वाली सड़क सुरंग है। इसमें आपात स्थिति के लिए **7.5 मीटर चौड़ा समानांतर बचाव मार्ग** भी बनाया गया है।
बनिहाल बाईपास	➲ यह दर्रा **जम्मू और कश्मीर में NH-44 के 2.35 कि.मी. लम्बे सड़क खंड का हिस्सा है।** NH-44 **भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।** इसे पहले **NH-7** के नाम से भी जाना जाता था।
अंजी खड्ड पुल	➲ यह भारत का पहला केबल-स्टेड रेल पुल है। यह जम्मू और कश्मीर के **रियासी जिले** में स्थित **उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना** का हिस्सा है।
इंटरपोल	➲ **उत्पत्ति:** इसका गठन 1923 में वियना में **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग** (ICPC) के रूप में किया गया था। **1956** में इसके **संविधान को अपनाने के बाद** इसका नाम बदलकर **इंटरपोल** कर दिया गया। ➲ **सदस्य: 196 देश** (भारत सहित) इसके सदस्य हैं। **भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक** है। ➲ **मुख्यालय:** ल्योन (फ्रांस)। ➲ **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCBs):** सदस्य देशों द्वारा राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो का गठन किया जाता है। ➲ CBI इंटरपोल के लिए भारत का NCB है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा	**DPDP अधिनियम, 2023 की संक्षिप्त पृष्ठभूमि** ➲ **2017 में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण समिति ने डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच की।** ➲ MeitY ने DPDP विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया जो बाद में DPDP अधिनियम, 2023 के रूप में लागू हुआ। ➲ **DPDP नियम, 2025 के मुख्य सिद्धांत:** नोटिस की आवश्यकता, व्यक्तिगत डेटा की चोरी की सूचना, व्यक्तिगत डेटा को हटाना और सीमा पार डेटा स्थानांतरण।
तटीय सुरक्षा योजना	➲ यह योजना **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 2005 में** तैयार की थी। ➲ **योजना के चरण** ➜ **चरण-I (2005-2011): तटीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना स्थापित करना। ➜ **चरण- II (2011-2020):** तटीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा **खतरों/ कमियों के विश्लेषण** के आधार पर। ➜ **चरण-III:** वर्तमान में केंद्र सरकार इस चरण की **प्रक्रिया** तैयार कर रही है।
दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय) नियम, 2024	**नए नियम 2024 के मुख्य प्रावधान** ➲ **कानूनी आधार:** ये नियम **दूरसंचार अधिनियम, 2023** की धारा 56 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियमावली, 1951 के **नियम 419 और 419A** की जगह लेंगे। ➲ **अधिकृत एजेंसियां:** केंद्र सरकार लोक-आपातकाल (पब्लिक इमरजेंसी) या लोक-सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी) से जुड़ी चिंताओं के मामलों में मैसेज को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को अधिकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारी या संस्था से अनुमति लेना आवश्यक है।
प्रलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट	**प्रलय मिसाइल के बारे में** ➲ यह **सतह से सतह पर मार** करने वाली **'कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)'** है। ➲ इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने विकसित किया है। ➲ इस **मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है।**
बाघों का स्थानांतरण	➲ मध्य प्रदेश ने **एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 15 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित** करने का निर्णय लिया है।

विश्व के पहले क्रायो-बॉर्न बेबी प्रवाल	➲ ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के नेतृत्व में विश्व के पहले **क्रायो-बॉर्न बेबी प्रवाल (Corals)** को सफलतापूर्वक ग्रेट बैरियर रीफ में शामिल किया गया।
कवचम (KaWaCHaM)	➲ केरल ने रियल टाइम में आपदा अलर्ट के लिए **'केरल चेतावनी, संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली (KaWaCHaM)'** शुरू की।
भारत की तटरेखा में वृद्धि	➲ भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7,516 कि.मी. से बढ़ाकर 2023-24 में **11,098 कि.मी.** कर दी गई है। यह पिछले 53 वर्षों में **48% की वृद्धि** को दर्शाता है।
माउंट इबू	➲ **इंडोनेशिया के सुदूर हेलमहेरा द्वीप पर स्थित माउंट इबू में इस महीने 1,000 बार ज्वालामुखीय प्रस्फुटन** हुआ।
बढ़ती वैश्विक आर्थिक असमानताओं पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट	➲ **वैश्विक संपत्ति वितरण:** वर्तमान में, विश्व की **44% आबादी प्रति दिन 6.85 डॉलर** से कम आय में जीवन यापन कर रही है, जो विश्व बैंक की निर्धनता रेखा के नीचे आता है। वहीं, **वैश्विक संपत्ति का 45% हिस्सा विश्व के सबसे अमीर 1% लोगों** के पास है। ➲ **भारत की संपत्ति असमानता:** भारत के **सबसे अमीर 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक** हिस्सा है, जबकि **निचले 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति** है। ➲ **भारत में लैंगिक आधार पर वेतन में अंतराल:** वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में पुरुष श्रम आधारित कुल आय का 82% कमाते हैं, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है।
भारत का डिजिटल स्वास्थ्य	➲ भारत के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, CoWIN प्लेटफॉर्म, यू-विन पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप, ई-हॉस्पिटल एप्लिकेशन, ई-संजीवनी** आदि शामिल हैं।
जीनोम इंडिया परियोजना	➲ **शुरुआत:** 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा ➲ **उद्देश्य:** भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्रण करना, एक संदर्भ जीनोम तैयार करना। ➲ **डेटा रिलीज़: भारतीय जैविक डेटा केंद्र (IBDC), फरीदाबाद** में 10,000 जीनोम अनुक्रम संग्रहीत किए गए। ➲ **अन्य जीनोम परियोजनाएं:** इंडीजेन प्रोग्राम (CSIR), 'वन डे वन जीनोम' (DBT), मानव जीनोम परियोजना (1990-2003), 100,000 जीनोम परियोजना (यूनाइटेड किंगडम)।
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें	➲ **परिभाषा:** GM फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें दूसरे सजीवों के विशिष्ट जीन का उपयोग करके विकसित किया जाता है। ➲ **भारत में स्वीकृत जी.एम. फसल:** बॉलवर्म प्रतिरोध के लिए बीटी कॉटन (2002)। ➲ **अन्य जी.एम. फसलें:** बीटी बैंगन और जी.एम. सरसों (डी.एम.एच.-11) ➲ **विनियामक निकाय:** जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) (MoEFCC), जेनेटिक मैनिपुलेशन पर समीक्षा समिति (DBT), संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (संस्थागत स्तर पर जैव सुरक्षा)।
स्क्रैमजेट इंजन	➲ **अवधारणा:** स्क्रैमजेट यानी **सुपरसोनिक कम्बस्टिंग रैमजेट इंजन** वायु प्रवाह के साथ **हाइपरसोनिक गति** पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है ➲ **सिद्धांत:** थ्रस्ट के लिए न्यूटन के तीसरे नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया) का उपयोग करता है; घूमने वाले कंप्रेसर के बजाय **वायु संपीड़न पर निर्भर** करता है। ➲ **महत्व:** हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अंतरिक्ष तक पहुंच आदि को सक्षम बनाता है।
क्वांटम टेलीपोर्टेशन	➲ **अवधारणा:** यह **एंटेंगल्ड अवस्थाओं** का उपयोग करके दो पॉइंट्स के बीच क्वांटम सूचना को स्थानांतरित करने और अलग-अलग दूरियों के बीच उन **सूचनाओं की पहचान को सुरक्षित रखने** का एक तरीका है। ➲ **एंटेंगलमेंट:** इस प्रक्रिया में, कई क्वांटम कण एक-दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। ➲ **महत्त्व:** इसकी सफलता क्वांटम इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह **अत्यधिक सुरक्षित एन्क्रिप्शन**, **बेहतर सेंसिंग और क्वांटम कंप्यूटरों के बीच वैश्विक कनेक्टिविटी** जैसे लाभ प्रदान करती है।
नैनोपोर प्रौद्योगिकी	➲ **अवधारणा और सिद्धांत:** यह प्रौद्योगिकी एक **पतली झिल्ली संरचना** में लगे **नैनो-स्केल छिद्रों** को संदर्भित करती है। ये नैनो-स्केल छिद्र नैनोपोर से छोटे आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाते हैं। ➲ **महत्त्व:** यह प्रौद्योगिकी **रियल टाइम में जैविक नमूनों से सीधे न्यूक्लिक एसिड-DNA या RNA को अनुक्रमित करने की क्षमता** प्रदान करती है। ➲ **अनुप्रयोग:** डिजीज मार्कर का पता लगाना, और कैंसर का नॉन-इनवेसिव प्रारंभिक निदान।
नैनो बबल तकनीक	➲ **अवधारणा और सिद्धांत:** नैनोबबल्स की **हाइड्रोफोबिक प्रकृति** और उसकी सतह पर मौजूद आवेश मिलकर **सर्फेक्टेंट** के समान कार्य करते हुए जल से **कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हटाते हैं।** नैनो-बबल्स का आकार 70-120 nm होता है। ➲ **अनुप्रयोग:** जल शोधन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य उद्योग, औद्योगिक सफाई।

मिथाइलकोबालामिन	➲ **प्रकृति:** यह **विटामिन B12 का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला** एक रूप है। यह **डी.एन.ए. संश्लेषण, रेड ब्लड सेल्स (RBC) के उत्पादन एवं प्रोटीन संश्लेषण** के लिए आवश्यक है। ➲ **उपयोग:** डायबिटिक न्यूरोपैथी में दर्द निवारण के लिए, एनीमिया एवं अल्जाइमर जैसे रोगों के उपचार में। ➲ विटामिन B12 के अन्य रूप हैं- **साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सोकोबालामिन।**
सीएआर टी-सेल थेरेपी	➲ CDSCO ने **रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की दूसरी लिविंग ड्रग्स 'क्वारटेमी'** को मंजूरी दे दी है। ➲ **CAR-T उपचार**- इसमें **रोगी की टी-कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड** T-कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। ➲ **प्रक्रिया:** रोगी के टी-सेल्स को निकाला जाता है। इन्हें विशेष **"काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स" (CARs)** के साथ बदला जाता है। शोधित टी-सेल्स को वापस शरीर में डालकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। ➲ **महत्त्व:** उन्नत इम्यूनोथेरेपी व्यक्तिगत कैंसर उपचार प्रदान करती है।
न्यूरोमोर्फिक डिवाइस	➲ **अवधारणा: हैबिचुएशन प्रोसेस** के तहत व्यक्ति वास्तव में बार-बार दिए जाने वाले दर्द का आदी हो जाता है और इसके प्रति **कम प्रतिक्रिया** देता है। ➲ **कार्य:** हमारे शरीर में **नोसिसेप्टर्स नामक विशेष सेंसर** दर्द को महसूस करते हैं और हानिकारक स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में हमारी मदद करते हैं। ➲ **लाभ:** यह स्मार्ट AI सिस्टम के लिए धारण करने योग्य तकनीक और मानव-मशीन इंटरैक्शन को आगे बढ़ाता है।
भारत में लौह युग	➲ एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, **तमिलनाडु में लौह युग का आरंभ 3,345 ईसा पूर्व** में हुआ था। धातुकर्म की विधि उन्नत अवस्था में थी। **ताम्र और लौह युग समकालीन** थे।
संत नरहरि तीर्थ	➲ **संत नरहरि तीर्थ** 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध **द्वैत वेदांत** दार्शनिक, विद्वान और संत थे। वे **मध्वाचार्य** के शिष्य थे।
कलारीपयट्टू	➲ यह **केरल** में विकसित हुआ था। यह **सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है,** जिसका इतिहास **संगम काल** से जुड़ा है। ➲ **'कलारी' का अर्थ है प्रशिक्षण केंद्र** या वह स्थान जहां अभ्यास होता है और **'पयट्टू' का अर्थ है लड़ाई या कठोर शारीरिक अभ्यास।**
कोंडा रेड्डी जनजाति	➲ इसे **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
हाटी जनजाति	➲ **संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **हाटी** समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया गया है।
भारत रणभूमि दर्शन	➲ रक्षा मंत्रालय ने अपनी **'रणक्षेत्र पर्यटन' योजना** के तहत **'भारत रणभूमि दर्शन वेबसाइट और ऐप'** लॉन्च किए हैं। ➜ यह वेबसाइट और ऐप रण-क्षेत्रों की यात्राओं के लिए सूचना प्राप्त करने एवं मंजूरी देने के लिए **वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करेंगे।

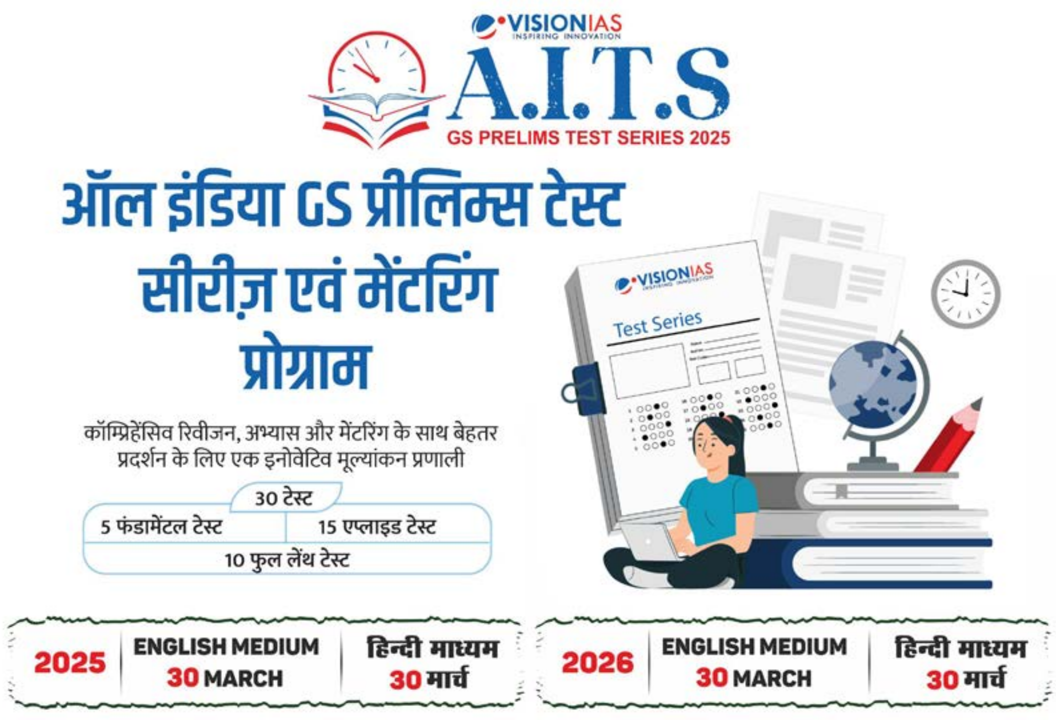

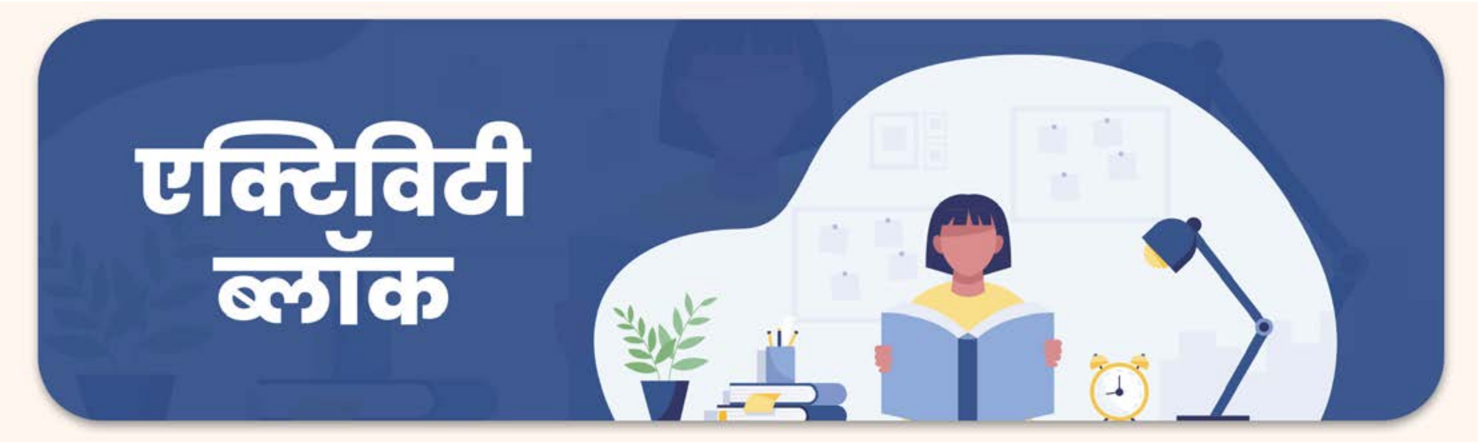

12.1. MCQs

1. नीति आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) यह संसद द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
(b) यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गठित किया गया एक संवैधानिक निकाय है।
(c) इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत की गई है और यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
(d) इसके पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने का अधिकार है।

2. लोकपाल की संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

(a) लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 75% न्यायिक सदस्य होते हैं।
(b) लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 50% न्यायिक सदस्य होते हैं।
(c) लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 25% न्यायिक सदस्य होते हैं।
(d) लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 60% न्यायिक सदस्य होते हैं।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी है।
2. संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

4. सिंधु जल संधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सिंधु के जल का उपयोग बिना किसी रोक-टोक के कर सकता है।
2. इस संधि पर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
3. इस संधि की व्याख्या या इसके अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों के लिए स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की स्थापना की गई है।
4. पश्चिमी नदियों सतलुज, झेलम और चिनाब का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

5. भारत में मुद्रास्फीति सूचकांकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं।
2. उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) वर्तमान में भारत में उत्पादक-स्तरीय मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप है।
3. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, जबकि ये WPI में शामिल नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई नहीं

6. भारत में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ट्रेजरी बिल (T-Bills) केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं।
2. ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉण्ड होते हैं और इन्हें अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी किया जाता है।
3. राज्य विकास ऋण (SDL) राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं और इनके ब्याज का भुगतान प्रत्येक छह माह पर किया जाता है।
4. नकद प्रबंधन बिल (CMB) सरकार की नकदी संबंधी जरूरतों का प्रबंधन करने के लिए जारी की गई दीर्घकालिक प्रतिभूतियां होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 4

7. केंद्र सरकार ने दूरसंचार (संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं और रक्षोपाय) नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केवल संयुक्त सचिव या उससे उच्चतर रैंक का अधिकारी ही इंटरसेप्शन आदेश को अधिकृत कर सकता है।
2. केंद्र सरकार लोक-आपातकाल या लोक-सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मामले में संदेशों को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को अधिकृत कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

8. इंटरपोल के कलर कोडेड नोटिस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रेड नोटिस वांछित व्यक्तियों की लोकेशन का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है।
2. ब्लू नोटिस पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र के लिए जारी किया जाता है।
3. ग्रीन नोटिस किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देता है।
4. पर्पल नोटिस आपराधिक तरीकों या कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) सभी चार

9. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है?

(a) सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(b) रक्षा मंत्रालय
(c) गृह मंत्रालय
(d) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

10. वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है।
2. विश्व में भूजल का दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में होता है।
3. ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां भूजल निकासी अति-शोषित श्रेणी में हो।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) कोई नहीं

11. हाइड्रोजन ट्रेन इंजन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. केवल चार देशों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हैं।
2. सभी हाइड्रोजन चालित रेल वाहन, चाहे बड़े हों या छोटे, 'हाइड्रेल' की श्रेणी में आते हैं।
3. ये इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में महंगे होते है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 3
(d) केवल 1 और 2

12. हल्दी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह एक राइजोम है, जिसे "गोल्डन स्पाइस" कहा जाता है।
2. यह एक प्राकृतिक संकेतक है, जो विलयन के pH के अनुसार रंग बदलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

13. निम्नलिखित में से कौन-सा नव-उपनिवेशवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है?

(a) ग्लोबल नॉर्थ देशों द्वारा नई कॉलोनियों की स्थापना।
(b) बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित कर रही हैं और राजनीतिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं।
(c) ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ को विदेशी सहायता में वृद्धि।
(d) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बहुराष्ट्रीय निगमों की गिरावट।

14. विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, वैश्विक मॉडल के रूप में 'भारत का डिजिटल स्वास्थ्य' किस प्रकार विशेष है?

(a) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डायग्नोस्टिक्स पर विशेष निर्भरता
(b) मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और निजी क्षेत्र के नवाचार
(c) पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का उन्मूलन
(d) केवल शहरी स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना

15. क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन को सक्षम बनाता है, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है?

(a) एक परमाणु को उप-परमाणु कणों में विभाजित करने की प्रक्रिया
(b) दूरी की परवाह किए बिना दो कणों के बीच तत्काल परस्पर संबंध
(c) क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके पारंपरिक डेटा का स्थानांतरण
(d) फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करने की क्षमता

16. नैनोबबल्स का मुख्य गुण क्या है जो जल शोधन में मदद करता है?

(a) उनमें उच्च मात्रा में घुलित ऑक्सीजन होती है।
(b) वे भारी धातुओं से बंधन बनाते हैं और उन्हें तटस्थ बना देते हैं।
(c) वे तेजी से फैलते हैं और फटते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है।
(d) उनकी हाइड्रोफोबिक प्रकृति कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषकों को हटा देती है।

17. भारत में फसल-कटाई के त्यौहारों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(a) लोहड़ी - पंजाब

(b) पोंगल - कर्नाटक

(c) मकर संक्रांति - उत्तर भारत

(d) भोगाली बिहू - असम

18. कुंभ मेले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे प्रत्येक चार साल में चार अलग-अलग स्थानों के पर बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
2. इसे 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया।
3. कुंभ मेले का सबसे पहला ज्ञात संदर्भ चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा-वृतांत में पाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

19. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई न होने की स्थिति के लिए कवरेज प्रदान करती है।
2. जिन किसानों ने फसल ऋण लिया हुआ है, उन्हें नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना में अनिवार्य रूप से नामांकित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

20. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के तहत "मेरा लक्ष्य, मेरी मंज़िल" अभियान का उद्देश्य क्या है?

(a) युवा महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना

(b) बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

(c) शीर्ष प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पहचानना और पुरस्कृत करना

(d) महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना

12.2. ट्रू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स

1. भारत में सहकारी बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और ये RBI के नियमों के अधीन नहीं हैं। **(T/F)**
2. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। **(T/F)**
3. लोकायुक्त की स्थापना राज्य स्तर पर एक केंद्रीय अधिनियमित कानून के माध्यम से की जाती है, जो राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करता है। **(T/F)**
4. तेलुगु सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाओं में से एक है। **(T/F)**
5. ब्रिक्स 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा गठित एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। **(T/F)**
6. फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को मूल रूप से 1979 की इजरायल-मिस्र शांति संधि के तहत स्थापित किया गया था। **(T/F)**
7. Z-मोड़ सुरंग एक चार लेन वाली सड़क सुरंग है जो श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसमों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करती है। **(T/F)**
8. अंजी खड्ड पुल भारत का पहला केबल-स्टेड रोड पुल है, यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। **(T/F)**
9. 'पिग बुचरिंग स्कैम' विश्वास कायम करके किया जाने वाला एक निवेश घोटाला है जिसमें पीड़ित को एक बार में बड़ी मात्रा में मौद्रिक योगदान देने के लिए राजी किया जाता है। **(T/F)**
10. प्रलय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है। **(T/F)**
11. यूरोड्रोन प्रोग्राम चार देशों की पहल है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल हैं। **(T/F)**
12. अरुणाचल प्रदेश ग्रीन GDP की अवधारणा को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। **(T/F)**
13. G7 देश, दुनिया की आबादी के 10% से भी कम का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, IMF और विश्व बैंक में 40% से अधिक मतदान शक्ति रखते हैं। **(T/F)**
14. क्वांटम टेलीपोर्टेशन लंबी दूरी तक कणों के भौतिक स्थानांतरण की अनुमति देता है। **(T/F)**
15. स्क्रैमजेट इंजन वायु को अंदर खींचकर थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उल्लंघन करता है। **(T/F)**
16. GM फसलों को विशिष्ट लक्षणों को बढ़ाने के लिए पौधों के DNA में बाहरी जीन डालकर विकसित किया जाता है। **(T/F)**
17. हाटी जनजाति को अक्सर 'ट्रांस-गिरि' कहा जाता है क्योंकि वे गिरि और टोंस नदियों के पास अवस्थित हैं। **(T/F)**
18. मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। **(T/F)**
19. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को लड़कियों के लिए वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत शुरू किया गया था। **(T/F)**
20. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना का प्राथमिक उद्देश्य बाल लिंगानुपात (CSR) में सुधार करना और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना है। **(T/F)**

12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। भारत में भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं की बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)
2. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियां हैं? इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
3. संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षणवादी नीति के वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसके संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
4. भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)

5. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) में वित्तीय प्रणालियों में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन इनमें कई चुनौतियां भी निहित होती हैं। भारत में CBDCs के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्व, जोखिम और आवश्यक सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, और इंटरपोल कानूनी असमानताओं, संसाधनों की कमी एवं राजनीतिक बाधाओं जैसे मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? (150 शब्द, 10 अंक)
7. सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए समय सीमा को बार-बार आगे बढ़ाना वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाता है। इन मानदंडों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किए बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
8. आर्थिक असमानताओं को बनाए रखने में नव-उपनिवेशवाद की भूमिका पर उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)
9. चर्चा कीजिए कि टेलीमेडिसिन और AI जैसे डिजिटल उपकरण भारत के शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अंतराल को कैसे कम कर रहे हैं। समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत को कनेक्टिविटी के अलावा किन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना होगा? (150 शब्द, 10 अंक)
10. भारत में भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की बढ़ती संख्या के बावजूद, उनकी क्षमता का अभी भी कम उपयोग किया जा रहा है। GI के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा स्थानीय उत्पादकों और अर्थव्यवस्था के लिए इसके लाभों को अधिकतम करने के उपाय सुझाइए। (150 शब्द, 10 अंक)
11. "भारत के सहकारी आंदोलन की सफलता राज्यों में असमान रूप से वितरित है।" इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
12. "नीति आयोग ने भारत के नीति निर्माण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता संरचनात्मक सीमाओं से बाधित है।" प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
13. वैश्विक सहयोग प्राप्त करने में बहुपक्षवाद की कथित विफलता के पीछे क्या चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों से आगे बढ़ने में लघुपक्षवाद किस प्रकार बहुपक्षवाद फ्रेमवर्क का पूरक बन सकता है? (250 शब्द, 15 अंक)
14. डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक संवृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रही है। इसके महत्व, चुनौतियों और इसके समावेशी एवं संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उपायों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)
15. के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त निजता के अधिकार के महत्व पर चर्चा कीजिए और बताइए कि किस प्रकार इस मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 लक्षित है। (250 शब्द, 15 अंक)
16. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्र की सेवा के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारत को 'वेदर-रेडी एंड क्लाइमेट-स्मार्ट' बनाने में IMD के विकास, उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। जलवायु परिवर्तन के दौर में इसकी क्षमताओं को मजबूत करने के उपाय भी सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)
17. वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 भारत में भूजल प्रबंधन के बारे में विभिन्न चिंताओं पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं का परीक्षण कीजिए और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए सतत भूजल प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय सुझाइए।" (250 शब्द, 15 अंक)
18. भारत की आनुवंशिक विविधता के मानचित्रण में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके संभावित उपयोगों और भारत में जीनोम अनुक्रमण से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द, 15 अंक)
19. हाल की खोजों से पता चलता है कि भारत में लौह युग संभवतः पहले से अनुमान से कहीं अधिक पहले शुरू हो गया था। यह पारंपरिक ऐतिहासिक आख्यानों को कैसे चुनौती देता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक तकनीकी प्रगति को समझने के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? (250 शब्द, 15 अंक)
20. सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिससे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के बारे में हमारी समझ सीमित हो गई है। इस लिपि को समझने में आने वाली चुनौतियों और इसके सफल अर्थ निकालने के संभावित तरीकों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

12.4. एथिक्स केस स्टडी

आप भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और ITEC एवं विकास साझेदारी प्रशासन (DPA) के तहत भारत की विदेशी सहायता पहलों की देखरेख कर रहे हैं। एक विकासशील देश जो बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय सहायता प्राप्त कर रहा है, अब राजनीतिक उथल-पुथल, भ्रष्टाचार के आरोपों और स्थानीय सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहा है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दी जा रही आर्थिक सहायता का दुरुपयोग किया गया था, जिससे पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि सहायता को रोकने से कमजोर आबादी के लिए स्थिति और खराब हो सकती है। अंत में, सहायता वापस लेने से BRI ऋणों के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए रास्ता खुल सकता है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस मामले में नैतिक सिद्धांत क्या हैं?
- प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिए और उनकी चिंताएं क्या हैं?
- कौन-सी व्यवस्था यह सुनिश्चित कर सकती है कि भ्रष्ट शासन को मजबूत किए बिना सहायता लाभार्थियों तक पहुंचे?

13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या

1. **उत्तर: (c)**

   व्याख्या:
   - नीति आयोग को 2015 में **केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर स्थापित** किया गया था। नीति आयोग सरकार के एक **सलाहकार निकाय (थिंक-टैंक) के रूप में कार्य करता** है। हालांकि यह **न तो संवैधानिक और न ही सांविधिक** निकाय है। योजना आयोग के विपरीत, इसके पास राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करने का अधिकार नहीं है।

2. **उत्तर: (b)**

   व्याख्या:
   - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में प्रावधान है कि लोकपाल निकाय में **एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य** होते हैं। इनमें से **आधे सदस्य न्यायिक सदस्य** होते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल के **आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं** में से होंगे।

3. **उत्तर: (c)**

   व्याख्या:
   - **कथन 1 सही है:** WHO स्वास्थ्य पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी है।
   - **कथन 2 सही है:** सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश WHO के सदस्य बन सकते हैं।

4. **उत्तर: (b)**

   व्याख्या:
   - **कथन 1 सही नहीं है:** भारत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल का उपयोग बिना किसी रोक-टोक के कर सकता है।
   - **कथन 2 सही है:** सिंधु जल संधि (IWT) पर **1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच** हस्ताक्षर किए गए थे।
   - **कथन 3 सही है:** संधि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए स्थायी सिंधु आयोग (PIC) की स्थापना की गई है।
   - **कथन 4 सही नहीं है:** पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया।

5. **उत्तर: (a)**

   व्याख्या:
   - **कथन 1 सही नहीं है:** थोक मूल्य सूचकांक (WPI) वस्तुओं की थोक कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। और इसमें सेवाएँ शामिल नहीं हैं। इसमें मुख्य रूप से विनिर्मित उत्पाद, ईंधन और प्राथमिक वस्तुएं शामिल होती हैं।
   - **कथन 2 सही नहीं है:** हालांकि उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) का उपयोग विश्व स्तर पर किया जाता है, लेकिन यह भारत में अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है। वर्तमान में, WPI और CPI भारत में प्राथमिक मुद्रास्फीति सूचकांक हैं।
   - **कथन 3 सही है:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं, क्योंकि यह उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली खुदरा कीमतों को मापता है। हालांकि, WPI में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं तक माल पहुँचने से पहले थोक मूल्यों को दर्शाता है।

6. **उत्तर: (b)**

   व्याख्या:
   - **कथन 1 सही नहीं है:** ट्रेजरी बिल (T-बिल) केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, न कि राज्य सरकारों द्वारा। राज्य केवल दीर्घकालिक राज्य विकास ऋण (SDL) जारी कर सकते हैं।
   - **कथन 2 सही है:** T-बिल जीरो कूपन बॉण्ड या प्रतिभूतियां होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर कोई **ब्याज देय नहीं** होता है। इसके बजाय, **जीरो कूपन बॉण्ड को अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हुए जारी** किया जाता है। मैच्योरिटी पर धारक को अंकित मूल्य का भुगतान किया जाता है।
   - **कथन 3 सही है: राज्य विकास ऋण (SDL) राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली दिनांकित प्रतिभूतियां** होती हैं। **ब्याज का भुगतान प्रत्येक छह माह** पर किया जाता है।
   - **कथन 4 सही नहीं है: नकद प्रबंधन बिल (CMBs)** ये **अल्पावधि** वाली प्रतिभूतियां होती हैं। ये **91 दिनों से कम अवधि** में मैच्योर हो जाती हैं। इन्हें दीर्घकालिक साधन के बजाय सरकार की **नकदी संबंधी जरूरतों में तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए** जारी किया जाता है।

7. **उत्तर: (c)**

   व्याख्या:
   - **कथन 1 सही है:** केवल एक संयुक्त सचिव या उससे उच्चतर रैंक का अधिकारी ही इंटरसेप्शन आदेश को अधिकृत कर सकता है।
   - **कथन 2 सही है:** केंद्र सरकार लोक-आपातकाल (पब्लिक इमरजेंसी) या लोक-सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी) से जुड़ी चिंताओं के मामलों में मैसेज को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को अधिकृत कर सकती है।

8. **उत्तर: (d)**

   व्याख्या:
   - **कथन 1 सही है:** रेड नोटिस वांछित (Wanted) व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है।
   - **कथन 2 सही है:** ब्लू नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है।

- **कथन 3 सही है:** ग्रीन नोटिस किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देता है।
- **कथन 4 सही है:** पर्पल नोटिस के तहत आपराधिक तरीकों या अपराधियों की कार्यप्रणाली (Modus Operandi) के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।

9. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।

10. उत्तर: (a)

व्याख्या:

- जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2024 हेतु 'वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट' जारी की।
- **दुनिया में भूजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल** भारत में होता है।
- पंजाब, राजस्थान, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में भूजल निकासी अति-शोषित की श्रेणी में है।

11. उत्तर: (d)

व्याख्या:

- दुनिया में केवल **4 देशों (जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन) के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें** हैं, जो लगभग 500 से 600 हॉर्सपावर उत्पन्न करने में सक्षम हैं।
- **सभी हाइड्रोजन चालित रेल वाहन** चाहे बड़े हों या छोटे **'हाइड्रेल' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं,** भले ही इनमें ईंधन का उपयोग ट्रैक्शन मोटर्स, सहायक प्रणालियों या दोनों के लिए किया गया हो।
- ये इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में कम खर्चीली माना जाता है।

12. उत्तर: (c)

व्याख्या:

- हल्दी एक राइजोम (भूमिगत तना) है, जिसे **"गोल्डन स्पाइस"** कहा जाता है। यह एक **प्राकृतिक संकेतक** है, जो विलयन के pH के अनुसार रंग बदलता है।

13. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- ऑक्सफैम रिपोर्ट आधुनिक उपनिवेशवाद (नव-उपनिवेशवाद) की पहचान एक ऐसी परिघटना के रूप में करती है, जहां ग्लोबल नॉर्थ के समृद्ध देश अब भी ग्लोबल साउथ के देशों पर प्रभुत्व और नियंत्रण बनाए रखते हैं। अब औपचारिक औपनिवेशिक शासन के बजाय अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है।
- **उदाहरण:** डिजिटल औपनिवेशिकता के तहत डिजिटल इकोसिस्टम पर नियंत्रण रखकर, ग्लोबल नॉर्थ की बिग टेक कंपनियां कंप्यूटर-आधारित माध्यमों को नियंत्रित करती हैं। इससे ग्लोबल नॉर्थ के देश ग्लोबल साउथ के देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सीधा प्रभाव डालते है।

14. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- WEF ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और CoWIN जैसे मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) और निजी क्षेत्र के अभिनव योगदान के अनूठे मिश्रण के लिए 'भारत के डिजिटल स्वास्थ्य' की प्रशंसा की। यह संयोजन मापनीय, अनुकूलनीय स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को सक्षम बनाता है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है।

15. उत्तर (b)

व्याख्या:

- क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में
- **प्रक्रिया:** इसमें पहचान को संरक्षित करते हुए एंटेंगल्ड अवस्थाओं का उपयोग करके क्वांटम सूचना स्थानांतरित की जाती है।
- **एंटेंगलमेंट:** इस प्रक्रिया में, दो कणों के बीच तत्काल परस्पर संबंध स्थापित होता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों।
- **महत्त्व:** यह सफलता क्वांटम इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह **त्वरित एन्क्रिप्शन, बेहतर सेंसिंग और क्वांटम कंप्यूटरों के बीच वैश्विक कनेक्टिविटी** जैसे लाभ प्रदान करती है।

16. उत्तर (d)

व्याख्या:

- **नैनो बबल तकनीक के बारे में**
  - **नैनोबबल्स:** इनका आकार **70-120 नैनोमीटर** होता है, जो **नमक के एक दाने से 2500 गुना छोटा** होता है।
  - **मुख्य गुण:**
    - नैनोबबल्स की सतह पर एक **मजबूत ऋणात्मक आवेश** होता है, **जो उन्हें एक साथ जुड़ने** से रोकता है; और
      - यह जल से **पायसीकृत वसा, तेल और ग्रीस जैसे छोटे कणों एवं ड्रॉप्लेट्स को भौतिक रूप से अलग** करने में मदद करता है।
    - नैनोबबल्स की **हाइड्रोफोबिक प्रकृति** और उसकी सतह पर मौजूद आवेश मिलकर **सर्फैक्टेंट** के समान कार्य करते हुए जल से **कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हटाते हैं।**
  - **नैनो बबल प्रौद्योगिकी का उपयोग:** वॉटर पुरीफिकेशन, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य उद्योग, औद्योगिक सफाई आदि।

17. उत्तर: (b)

व्याख्या:

- पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, कर्नाटक का नहीं। इसमें **सूर्य देव की पूजा** की जाती है। यह त्यौहार सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश का प्रतीक है।

18. उत्तर: (d)

व्याख्या:

- कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में चार तीर्थ स्थलों (प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक) में आयोजित किया जाता है। हालांकि अर्ध कुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में और महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस कथन में महाकुंभ या अर्ध कुंभ को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, **इसलिए कथन 1 सही है।**
- **कुंभ मेले** को **2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत** सूची में शामिल किया गया। **इसलिए, कथन 2 सही है।**
- चीनी यात्री **ह्वेनसांग** ने सबसे पहले अपने यात्रा-वृतांत में कुंभ मेले का उल्लेख किया था। ध्यातव्य है कि **ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान** भारत की यात्रा पर आया था। **इसलिए, कथन 3 सही है।**

19. उत्तर (a)

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है** - PMFBY के तहत प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई नहीं हो पाने वाली फसल को कवर किया जाता है। बीमित किसान **25% तक बीमा राशि** का दावा कर सकते हैं।

कथन 2 सही नहीं है - पहले फसल ऋण लाभार्थियों के लिए PMFBY अनिवार्य थी, हालांकि इस योजना को 2020 के खरीफ सीजन से सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया गया है।

20. उत्तर (c)

व्याख्या:

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना: प्रमुख पहलें** -
- **डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड** - लिंग असमानता और योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है।
- **उड़ान** - लड़कियों को पेशेवरों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है।
- **मेरा लक्ष्य, मेरी मंज़िल अभियान** - उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया जाता है।
- **आओ स्कूल चलें** - 100% स्कूल नामांकन अभियान।
- **बाल कैबिनेट** - लड़कियों के लिए अनुकरणीय शासन और नेतृत्व प्रशिक्षण

13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers)

उत्तर:

1. F	2. F	3. F	4. F	5. T	6. T	7. F	8. F	9. F	10. T
11. T	12. F	13. T	14. F	15. F	16. T	17. T	18. T	19. F	20. T

13.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण

1. **परिचय: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 तथा भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र में इसकी अपेक्षित भूमिका का परिचय दीजिए।**
   मुख्य भाग:
   - **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** नियुक्तियों में देरी, क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं, स्वतंत्र जांच तंत्र का अभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
   - **समाधान:** संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जाँच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय, नियुक्तियों में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही तंत्र जैसे उपाय सुझाइए।

   निष्कर्ष: संस्थागत विश्वसनीयता और शासन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

2. **परिचय: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उसके संवैधानिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।**
   मुख्य भाग:
   - **चुनौतियां:** धनबल, बाहुबल, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, चुनावी हिंसा और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
   - **आवश्यक सुधार:** चुनावों के लिए राज्य द्वारा फंडिंग, सोशल मीडिया अभियानों पर सख्त नियम, चुनावी बॉण्ड पारदर्शिता और ECI की स्वतंत्रता को मजबूत करने जैसे उपाय सुझाइए।

   निष्कर्ष: लोकतांत्रिक अखंडता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

3. **परिचय: संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षणवादी नीति, जो इसकी 'अमेरिका फर्स्ट नीति' में निहित है, वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसके संबंधों को प्रभावित करती है।**
   मुख्य भाग:
   - **वैश्विक प्रभाव:** बहुपक्षवाद को कमजोर करता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है और WHO जैसे वैश्विक संस्थानों के लिए धन में कमी लाता है।
   - **भारत-अमेरिका संबंध:** सकारात्मक पहलुओं में भारत को विनिर्माण के विकल्प के रूप में देखना और तकनीकी सहयोग शामिल हैं; नकारात्मक पहलुओं में व्यापार घाटा, H1-B वीज़ा प्रतिबंध और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।

   निष्कर्ष: अमेरिका की संरक्षणवादी नीति वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को नया रूप देती है, यह भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रदान करता है।

4. **परिचय: रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसके महत्व को परिभाषित कीजिए।**
   मुख्य भाग: रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्व, चुनौतियों, इसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाने के उपायों की व्याख्या कीजिए।
   निष्कर्ष: भारत द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ आगे की राह पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

5. **परिचय: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को परिभाषित कीजिए और भारत के डिजिटल रुपए का उल्लेख कीजिए।**
   मुख्य भाग: CBDC के महत्व, चुनौतियों और उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिए।
   निष्कर्ष: भारत द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ आगे की राह पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

6. **परिचय: अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की आवश्यकता और इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।**
   मुख्य भाग: कानूनी असमानताओं, सीमित संसाधनों और राजनीतिक बाधाओं तथा इंटरपोल द्वारा उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा कीजिए।
   निष्कर्ष: संक्षेप में बताएं कि इंटरपोल मानकीकृत ढांचे, संसाधनों और तटस्थ प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को कैसे सुविधाजनक बनाता है।

7. **परिचय: उत्सर्जन मानदंडों से संबंधित दिए गए प्रश्न का संदर्भ प्रदान कीजिए।**
   मुख्य भाग: अनुपालन समय-सीमा के कई बार विस्तार के पीछे के मुद्दों को समझाइए और साथ ही उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
   निष्कर्ष: निष्कर्ष के तौर पर सुझाव दीजिए कि ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है।

8. **परिचय: नव-उपनिवेशवाद को संक्षेप में परिभाषित कीजिए और इसके आर्थिक असमानताओं से संबंधित होने के बारे में बताइए।**
   मुख्य भाग: विशिष्ट उदाहरणों के साथ नव-उपनिवेशवाद के तंत्र की व्याख्या कीजिए; डेटा या रुझानों का उपयोग करके धन अंतराल पर उनके प्रभाव को उजागर कीजिए।
   निष्कर्ष: असमानताओं के बने रहने का सारांश दीजिए और आगे की राह सुझाइए।

9. **परिचय: डिजिटल उपकरणों और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं को कम करने में उनकी भूमिका का परिचय दीजिए।**
   मुख्य भाग: उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि टेलीमेडिसिन और AI किस तरह अंतराल को दूर करते हैं; प्रणालीगत बाधाओं की पहचान कीजिए और उनके महत्व को समझाइए।
   निष्कर्ष: न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल के लिए बाधाओं को दूर करने पर जोर दीजिए।

10. **परिचय: GI टैग को परिभाषित कीजिए और सांस्कृतिक एवं आर्थिक विरासत की रक्षा में उनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए।**
    मुख्य भाग: भारत में GI टैग की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए और अन्य देशों के साथ इसकी तुलना कीजिए। चुनौतियों की सूची बनाइए। समाधान सुझाइए।
    निष्कर्ष: कारीगरों और किसानों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत GI इकोसिस्टम की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

11. **परिचय: राज्यों में सफल सहकारी समितियों के असमान वितरण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।**

मुख्य भाग: क्षेत्रीय असंतुलन के कारण बताइए और सहकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम सुझाइए।

निष्कर्ष: समावेशी विकास और क्षेत्रीय समानता को बढ़ाने के लिए एक संतुलित सहकारी मॉडल की आवश्यकता पर जोर दीजिए।

12. **परिचय: नीति आयोग, इसके कार्यों और नीति निर्माण में इसकी भूमिका का संक्षेप में परिचय दीजिए।**

मुख्य भाग:

संरचनात्मक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसके परिवर्तनकारी योगदान का उल्लेख कीजिए।

- **परिवर्तनकारी भूमिका:** उदाहरणों के साथ सहकारी संघवाद, नीतिगत थिंक-टैंक के कार्यों और आर्थिक नियोजन सुधारों जैसी पहलों पर प्रकाश डालिए।
- **संरचनात्मक सीमाएं:** वित्तीय स्वायत्तता की कमी, राज्यों के सहयोग पर निर्भरता और कार्यान्वयन की चुनौतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

आगे की राह: नीति आयोग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिए।

13. **परिचय: राष्ट्रवाद, महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक असमानताओं के कारण बहुपक्षवाद संघर्ष करता है, जिसके परिणामस्वरूप लघुपक्षवाद का उदय होता है।**

मुख्य भाग: लघुपक्षवाद लचीलापन और त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, जो वार्ता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके बहुपक्षवाद का पूरक बनता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि। यह जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग में कमियों को दूर करता है।

निष्कर्ष: लघुपक्षवाद और बहुपक्षवाद सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। लघुपक्षवाद वार्ता को सुव्यवस्थित करता है और बहुपक्षीय ढांचे में प्रगति को आगे बढ़ाता है।

14. **परिचय: डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके घटकों को भारत के संदर्भ में परिभाषित कीजिए।**

मुख्य भाग: डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व, चुनौतियों, इसकी वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ाने के उपायों की व्याख्या कीजिए।

निष्कर्ष: भारत द्वारा उठाए गए कदमों के साथ-साथ आगे की राह पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

15. **परिचय: के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017) ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एक व्यापक डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क के माध्यम से इस अधिकार की रक्षा करता है।**

मुख्य भाग: DPDP अधिनियम, 2023 डेटा फ़िड्युसरी के लिए दायित्वों का फ्रेमवर्क तैयार करता है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है, और उल्लंघनों के लिए दंड स्थापित करता है। हालांकि, चुनौतियों में राज्य की ओर से छूट और सीमा पार डेटा स्थानांतरण पर चिंताएं शामिल हैं, जिनके सावधानीपूर्वक विनियमन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष: DPDP अधिनियम, 2023 सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण के अनुरूप है, लेकिन विकसित हो रही गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मुद्दों का समाधान करने के लिए इसे निरंतर अपडेट करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

16. **परिचय: IMD की उत्पत्ति के बाद से इसके ऐतिहासिक विकास के बारे में बताते हुए शुरुआत कीजिए।**

मुख्य भाग: मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और तकनीकी प्रगति में हुई प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: वर्तमान चुनौतियों के बारे में बात करते हुए भविष्य की संभावनाओं के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

17. **परिचय: रिपोर्ट के बारे में उल्लेख करते हुए और इसे कौन जारी करता है, के बारे में बताते हुए शुरुआत कीजिए।**

मुख्य भाग: रिपोर्ट से महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, और उसका विश्लेषण प्रदान कीजिए, साथ ही उससे जुड़ी चिंताओं का समाधान कीजिए।

निष्कर्ष: सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख कीजिए, और आगे बढ़ने के बहुआयामी तरीके भी सुझाइए।

18. **परिचय: जीनोम इंडिया परियोजना (GIP) को परिभाषित कीजिए और भारत की आनुवंशिक विविधता के मानचित्रण में इसकी भूमिका बताइए।**

मुख्य भाग

- **GIP का महत्व:** भारत की डेटा संप्रभुता को मजबूत करते हुए सटीक चिकित्सा, रोग निदान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीनोमिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- **GIP का उपयोग:** स्वास्थ्य देखभाल (आनुवंशिक विकार, सटीक चिकित्सा), कृषि (फसल सुधार), लोक स्वास्थ्य (रोगज़नक़ ट्रैकिंग, वैक्सीन विकास) और जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करता है।

चुनौतियां: डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं, नैतिक जोखिम (आनुवंशिक भेदभाव, सूचित सहमति), उच्च लागत और एकीकृत नियामक ढांचे की कमी।

निष्कर्ष: GIP के लाभों को अधिकतम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन, नैतिक सुरक्षा उपायों और नीति सुधारों पर जोर दीजिए।

19. **परिचय: भारत में लौह युग की पिछली समयरेखा (पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व, फिर संशोधित होकर दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व) और तमिलनाडु से प्राप्त नए साक्ष्यों (3345 ईसा पूर्व) का उल्लेख कीजिए।**

मुख्य भाग: प्रमुख स्थलों और उपयोग की गई डेटिंग तकनीकों पर चर्चा कीजिए। बताइए कि पारंपरिक दृष्टिकोण (लौह प्रौद्योगिकी में हित्ती वर्चस्व) को कैसे चुनौती दी जा रही है। धातु विज्ञान, अर्थव्यवस्था और युद्ध सहित भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

निष्कर्ष: चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ये निष्कर्ष बताते हैं की तकनीकी प्रगति मानव इतिहास में क्षेत्र-विशिष्ट और गैर-रेखीय है।

20. **परिचय: सिंधु घाटी लिपि (3500+ नमूने, चित्रात्मक, बौस्ट्रोफेडॉन शैली) का वर्णन कीजिए।**

मुख्य भाग: कोई द्विभाषी पाठ नहीं, लघु शिलालेख, अज्ञात ध्वनि-संबंधी मान, तुलनात्मक भाषाविज्ञान (ब्राह्मी, अक्कादियन या मेसोपोटामिया लिपियों के साथ प्रतीकों का मिलान) और हालिया विकास जैसी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

निष्कर्ष: सिंधु सभ्यता के शासन, व्यापार और भाषा को बेहतर ढंग से जानने के लिए इस लिपि को समझने के महत्व पर प्रकाश डालिए।

13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण

परिचय: विदेशी सहायता की गतिशीलता के बारे में संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत कीजिए।

मुख्य भाग:

- इसमें शामिल प्रमुख नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए।
- हितधारकों एवं उनकी चिंताओं का उल्लेख कीजिए।
- लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रमुख साधनों पर चर्चा कीजिए।

आगे की राह के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

14. सेल्फ-इवेल्युएशन

प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

एक्टिविटी	कुल प्रश्न	सही उत्तर	अटेम्प्ट	स्कोर/परसेंटेज
MCQs				
ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स				

मंथली लर्निंग समरी

टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.
2.
3.

प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर	
इस महीने का स्कोर	
किस क्षेत्र में सुधार हुआ	

रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष	
सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र	
अगले महीने के लिए लक्ष्य	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Aditya Srivastava

2 AIR
Animesh Pradhan

5 AIR
Ruhani

6 AIR
Srishti Dabas

7 AIR
Anmol Rathore

9 AIR
Nausheen

10 AIR
Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

238 AIR
विपिन दुबे

257 AIR
मनीषा धार्वे

313 AIR
मयंक दुबे

517 AIR
देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

53 AIR
मोहन लाल
TOPPERS' TALK

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची